खण्ड-267, अंक-2
मंगलवार, 28 आषाढ़, शक संवत् 1888
(19 जुलाई, 1966 ई0)

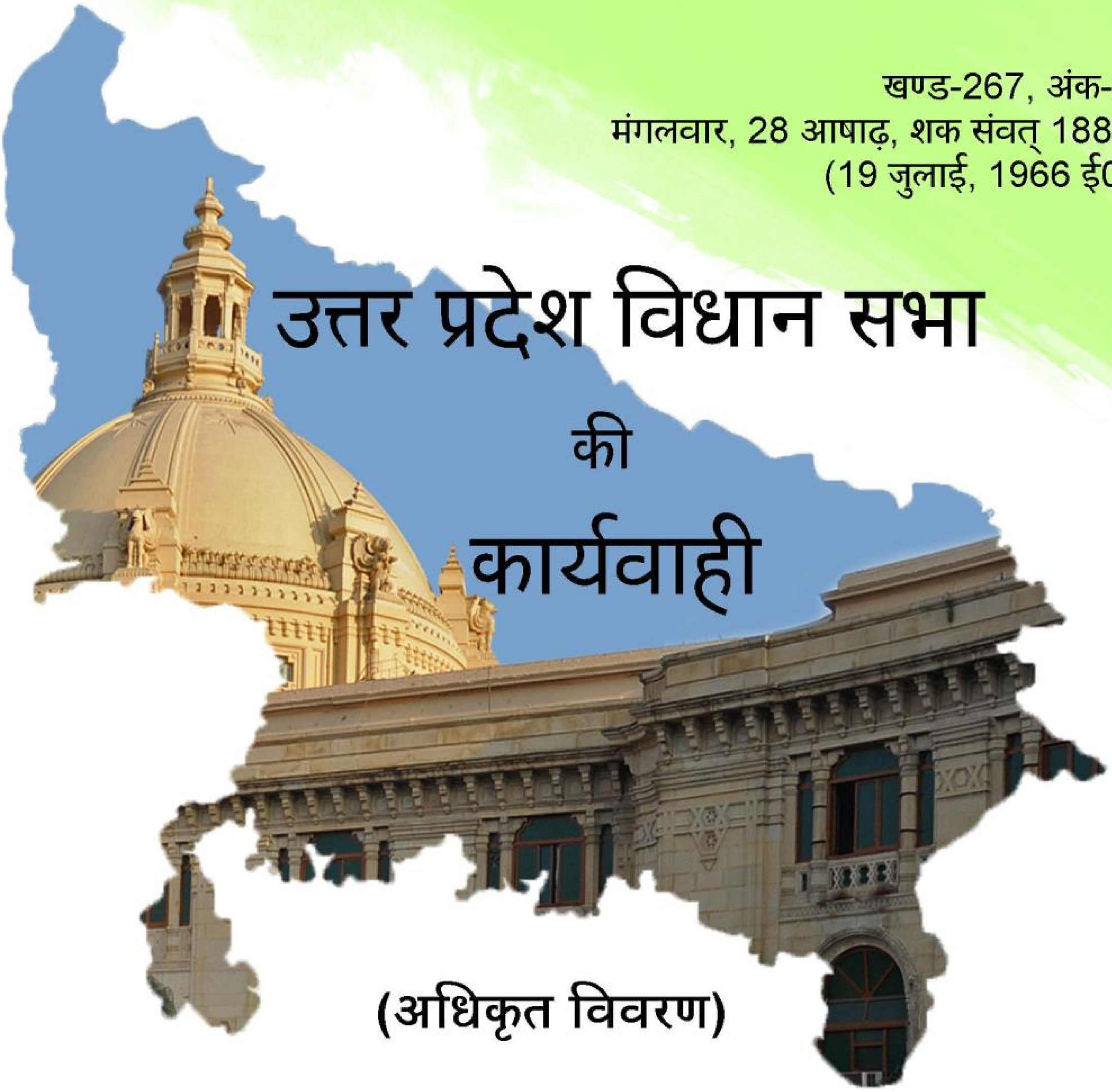

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 267 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, १९ जुलाई, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री नरसिंहदेव वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३५५

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्ड प्रताप सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्या प्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायण प्रताप सिंह, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशी प्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणा कृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री

गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरधारी लाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारी लाल, श्री (वाराणसी)
गिरवर प्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुल प्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्द सहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बा प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीश प्रसाद श्री (मुरादाबाद)
जगदीश प्रसाद पांडेय, श्री
जगदीश शरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीश शरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झिलमिलराम, श्री
टकनेश्वर प्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीत सिंह, श्री
दशरथ प्रसाद, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारिकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नौनिहाल सिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटसिंह, श्री (टुन्नूसिंह)

दंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारी लाल विप्र, श्री
बनारसी दास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवान सिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहन लाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपाल सिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोप्रसाद मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहन सिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वर प्रसाद खंडूडी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रणबहादुर सिंह, श्री
रमाकान्त सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती

राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपाल सिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
बसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
बैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शशिभूषणसिंह, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बन लाल सक्सेना, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)

सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सुरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एटवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

सदस्यों के प्रति श्री अध्यक्ष के कथित आपत्तिजनक व्यवहार के संबंध में शिकायत

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मैं आपके जरिये सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि हमको बांदा गोलीकांड और बनारस विश्वविद्यालय गोली कांड पर बहस करने के लिये मौका दिया जाने वाला था। लेकिन अब ऐसा मालुम पड़ता है कि गोली कांड बांदा पर बात करने का ही मौका मिलेगा यद्यपि मैंने अपने प्रस्ताव में स्थिति को बिलकुल स्पष्ट कर दिया है। मैं सदन से अपील करता हूं कि उन गोली कांडों पर भी विचार होना चाहिये।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

हम तो पहले ही कह चुके हैं कि जैसा श्री रामसुन्दर पांडेय ने कहा कि "सब गोली कांडों पर साफ-साफ बहस होनी चाहिये" इसके अलावा मुझे यह भी कहना है कि बाकी बिजनेस होने से पहले सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित कर दूं कि जब श्री रामसुन्दर पांडेय अपना काम रोको प्रस्ताव लेकर गये तो अध्यक्ष ने कह दिया कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। आप मेरे कमरे से चले जाइये। यदि अध्यक्ष सदस्यों के साथ इस तरह का बरताव करेंगे तो हम उनसे किस बात की आशा करें? इसलिये हमने यह तय किया है कि जब तक अध्यक्ष इस सदन से अनक्वालिफाइड अपोलोजी नहीं मांगते तब तक हम सदन का काम नहीं चलने देंगे।

श्री अध्यक्ष—

मैं १० बज कर २५ मिनट पर अपने कक्ष में पहुंचा। यहां मैंने देखा कि कई कामरोको प्रस्ताव और कुछ मामले नियम ५२ के अन्तर्गत आये हैं। मैं कामरोको प्रस्तावों को देख रहा था तभी १० बज कर ४० मिनट हो गये। मा० रामसुन्दर पांडेय और उनके साथी उसके कुछ देर बाद पहुंचे। उस समय मैं नियम ५२ के मामलों को देख रहा था। मैंने उनसे कहा कि आप थोड़ा ठहरिये, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम था। इस में कोई खास बात नहीं थी, क्योंकि मुझे कई कागजों को पढ़ना था। जहां तक प्रतिष्ठा का प्रश्न है मैं समझता हूं सदस्यों की प्रतिष्ठा सदन की प्रतिष्ठा है। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिये जिससे सदन की प्रतिष्ठा को धक्का लगे। अगर मेरे पास समय होता तो मैं उनसे जरूर बात करता। जब मैंने उनसे कुछ ठहरने के लिये कहा, तो मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं थी। यदि सदस्य को ऐसा भ्रम हो तो मुझे इसके लिये अफसोस है कि पांडेय जी ऐसा समझते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

हमसे कोई बात नहीं हुई, जो कुछ अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं वह मुझे ठीक नहीं मालूम पड़ता, मेरे गवाह और लोग भी हैं जैसे श्री रामसुन्दर शास्त्री, श्री शर्मा आदि।

श्री अध्यक्ष---

मैं पहले ही कह चुका हूं कि उस वक्त मैं नियम ५२ के अन्तर्गत मामलों को देख रहा था। श्री रामसुन्दर पांडेय बीच-बीच में अपने प्रस्ताव का जिक्र करते रहे इसी बीच एक मा० सदस्य ने कहा कि जो आजमगढ़ के लोगों के साथ दुर्व्यवहार हुआ उसकी बाकायदा जांच की जाय। जहां तक मुझे याद है, मैंने उनसे सिर्फ यह कहा कि आप थोड़ी देर ठहर जायें। यह मैंने कभी नहीं कहा कि आप कमरे से निकल जाइये यद्यपि यह सही है कि उनकी बातचीत से मेरे काम में हर्ज हो रहा था। अगर मैंने गलती की है और अध्यक्षपद के अनुरूप काम नहीं किया है तो उसका परिमार्जन करने के लिये तैयार रहता हूं और एक प्रकार से ऐसा करना मेरा कर्त्तव्य हो जाता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

सदन के और सदस्यों की बात सुन लीजिये तब अपनी राय जाहिर कीजिये।

श्री अध्यक्ष---

मैं अपनी राय जाहिर नहीं कर रहा हूं। मैं तो स्पष्टीकरण दे रहा था।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

आपने अपना स्पष्टीकरण तो दे दिया है। हम लोग भी वहां उपस्थित थे जिस वक्त आप ने श्री रामसुन्दर पांडेय से कहा कि आप बाहर जाइये, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। मेरी तरफ भी इसी तरह का इशारा किया और मुझे इस बात का बड़ा दुःख है कि आप का बर्ताव इस तरह का था। यहां तक मैं समझता हूं उस मौके पर मिःथल साहब भी मौजूद थे। मेरा तो अब भी यही ख्याल है कि जो व्यवहार आपने किया वह सही नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

जब मैं समाप्त कर दूंगा तब आप बोलिये। आप (श्री पांडेय जी) ने कहा कि वहां अनियमितता हो रही है। मैंने कहा कि इन सब बातों को मैं देख लूंगा। फिर और बातें होने लगी और मैं भी अपने काम में लग गया। गोलीकांड हुआ, कमीशन नियुक्त हुआ, इंक्वायरी भी होगी। जब सरकार की उपेक्षा नीति का उल्लेख हुआ तब मैंने कहा कि यह बात दूसरी है कि सरकार को क्या कार्यवाही करनी चाहिये थी। इस सम्बन्ध में मैं कुछ सुनने को तैयार नहीं हूं। मेरा मनशा केवल यह था कि मैं एक काम कर रहा था और उसमें विघ्न डाल रहे थे। मेरा मतलब किसी का निरादर करने का नहीं था। मान लीजिये मैंने कह दिया कि इस समय आप चले जायें और जो कुछ आपको कहना है आप ३--३० और ४--३० बजे के बीच मिल कर मुझसे कह दीजिये। आपको और कुछ कहना है तो आप सदन में कह सकते हैं और मैं उसको सुन लूंगा। तो अपमान का प्रश्न नहीं उठता। अगर मैं आप की बात सुनने लगता तो मेरे पास नियम ५२ के मामलों को लेने का समय नहीं रहता। इस समय भी अगर मा० सदस्य को संतोष नहीं हो तो वह फिर आकर मुझसे मेरे चेम्बर में बातचीत कर लें।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

कहीं और क्या बात करें? अब तो सदन में ही बात करें।

श्री रामसुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)---

यह सही बात है कि जब हम लोग आपके पास पहुंचे तो आप नियम ५२ के अन्तर्गत आने वाले कागजों को देख रहे थे। मैंने आपसे कहा कि आप बांदा गोली कांड और लाठी-

चार्ज के मामले को तरजीह में लें। इस पर पांडेय जी ने बहुत सी घटनाओं का जिक्र किया और यह भी कहा कि कौंसिल के चेयरमैन ने कामरोको प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। जिस तरह से आप कह रहे हैं उससे तो यह मालुम पड़ता है कि आप का मंशा सदस्य को अपमानित करने का नहीं थी लेकिन जिस लहजे में आप ने यह बात कही उसका यही मतलब था, आपने बहुत बेरुखी से जवाब दिया। आप कभी कुछ कह देते हैं और कभी कुछ कह देते हैं। लेकिन वहां पर जो सदस्य मौजूद थे उन सब का यही कहना है कि आपने श्री पांडेय के साथ उचित व्यवहार नहीं किया।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैं श्री रामसुन्दर पांडेय के साथ आप के कमरे में गया और कुछ देर बैठा रहा, उस वक्त आप कागजात देख रहे थे। जब श्री रामसुन्दर शास्त्री ने इस बात पर जोर दिया कि बांदा संबंधी प्रस्ताव पर अवश्य बहस होनी चाहिये कि ऐसा कांड उनकी जिन्दगी में इससे पहले कभी नहीं हुआ, इस पर श्री रामसुन्दर पांडेय ने भी इस बात पर जोर दिया। आपने यह कहा कि इसका कोई औचित्य नहीं मालूम पड़ता कि सरकार ने इन्क्वायरी कमीशन मुकर्रर कर दिया है और चूंकि इस मामले की जुडीशियल इंक्वायरी हो रही है इसलिये इस पर बहस नहीं हो सकती है।

श्री अध्यक्ष—

यह मैंने नहीं कहा कि बहस नहीं हो सकती। मैंने केवल यह कहा था कि इस मामले में जुडीशियल इंक्वायरी के आर्डर हो गये हैं? तो फिर अब आप क्या चाहते हैं?

[श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

श्री पांडेय ने कुछ उदाहरण पेश किया यदि आपने कहा तो यह मामला सब-जुडिस है और इस पर बहस नहीं हो सकती। उस वक्त आप का रुख क्या था यह तो हम नहीं बता सकते लेकिन जिस लहजे में आपने पांडेय जी से कमरे से जाने के लिये कहा, वह ठीक नहीं था।

श्री अध्यक्ष—

मुझे तो याद नहीं पड़ता कि मैंने उनसे ठीक-ठीक क्या कहा था लेकिन अगर कहा भी होगा तो यह कि अब आप कृपा करके जाइये।

श्री रामसुन्दर शास्त्री—

आपने यह शब्द इस्तेमाल नहीं किये। आपको इसके लिये सदन से माफी मांगनी चाहिये, जब आप परिमार्जन की ही बात करते हैं तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं। आप से पहले श्री टंडन, श्री खेर और श्री नफी उल हसन अध्यक्ष के पद पर थे और जब उनको मालुम पड़ा कि उनसे कोई भूल हो गई है तो उन्होंने फौरन माफी मांग ली।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

जो मैं पहले कह चुका हूं उसके अलावा और कुछ नहीं कहना चाहता। जो व्यवहार आप विरोधी दल के नेताओं के साथ करते हैं वह उचित होना चाहिये। क्योंकि आपके हाथ में हमारे हितों की रक्षा हो और माननीय सदस्यों की प्रतिष्ठा बनाये रखना भी हमारे साथ आपका भी कर्त्तव्य हो जाता है। बांदा गोली कांड के बारे में चर्चा हो रही है, कल ही इस सम्बन्ध में कुछ बात हुई थी। जब एक गहन समस्या को ले कर आप के पास आते हैं तो आप को चाहिये कि आप शांत रहें और हम लोगों की बात को ध्यानपूर्वक सुने। किसी सदस्य से यह कहना कि आप जाइये। एक प्रकार से उस सदस्य का ही नहीं बल्कि सारे सदन का अपमान है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि जब तक यह मामला तय नहीं हो जाता है और आप अनक्वालिफाइड अपोलोजी नहीं मांगते, तब तक इस सदन में कोई कार्यवाही नहीं होने देंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

इस तरह का व्यवहार इस पूरे सदन का अपमान है, जो इसकी गरिमा है उसको आपने कलंकित किया।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा कर के बैठ जायं।

श्री माधव प्रसादत्रिपाठी—

विरोधी पक्ष के भी कुछ अधिकार होते हैं और अगर आप चाहते हैं कि यहां का काम ठीक तरह से चले तो आपको चाहिये कि किसी भी सदस्य से इस तरह का व्यवहार न करें।

श्री अध्यक्ष—

अगर आप वाक आउट या और कोई प्रदर्शन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

जो करना होगा वह सरकार के खिलाफ करेंगे। आपके खिलाफ क्या होगा?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायें और मेरी बात सुनें। अगर आप समझते हैं कि किसी का निरादर हुआ है तो उसका परिमार्जन हो सकता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मा० रामसुन्दर पांडेय जी का निरादर करने का मेरा कोई इरादा नहीं था और न मैंने कोई ऐसी बात कही थी कि वह बुरा मान जायं। फिर भी अगर उनको मेरी किसी बात से दुःख पहुंचा हो तो उसका मुझे खेद है। मैं नहीं चाहता कि मा० सदस्य के मन में यह बात पैदा हो कि मैं इतना पतित हूं कि आदरणीय सदन के किसी सदस्य का अपमान करूं। इससे ज्यादा और कुछ मैं नहीं कह सकता।

अब हम आज की कार्यवाही शुरू करते हैं।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, १९ जुलाई, १९६६

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न।]

कैनाल डिवीजन, बांदा में छंटनी

*१ —श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

क्या सिंचाई मन्त्री बतायेंगे कि कैनाल डिवीजन, बांदा के कुछ ओवरसियरों को २८ फरवरी को १ माह की नोटिस देकर नौकरी से निकाला जा रहा है? यदि हां, तो क्या उनमें

लगभग १२ साल से उक्त पद पर काम करने वाले, लोक सेवा आयोग से मान्यता प्राप्त तथा स्थायीकरण हेतु नामजद लोग भी हैं ? तो उनके नाम क्या हैं और उनको नौकरी से अलग करने का कारण क्या है ?

सिंचाई मंत्री (श्री गिरधारीलाल)—

जी हां। ऐसा नोटिस केवल एक ओवरसियर को ही दिया गया जिसका नाम है श्री काली चरण सिंह। यह विभाग में बतौर टेम्पोरेरी ओवरसियर १४-१२-१९५४ से काम कर रहे हैं। इनकी नौकरी विज्ञप्ति संख्या २३०/२-बी--१९५३, दिनांक ३० जनवरी, १९५३ के मातहत एक माह की नोटिस दे कर समाप्त कर दी गई है।

[१९ जुलाई, १९६६ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

बीरापुर क्षेत्र में सिंचाई साधनों की कमी

*१—श्री श्यामसुन्दर शुक्ल (जिला प्रतापगढ़)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपा कर बतलायेंगे कि मेरी प्रार्थना पर, जिसे अर्सा ८ या ९ महीने हुये आपके यहां मैंने दिया था, मड़ियाहूं (जौनपुर) का कोई अधिकारी तीन दिन तक मेरे क्षेत्र में ट्यूबवेल्स बनाने के लिये सर्वे किया और दस ट्यूबवेल्स का स्थान चुना, अब तक कोई कार्यवाही नहीं शुरू हुई ? इस देरी का क्या कारण है ?

श्री गिरधारीलाल—

दिनांक ८-१०-६४ का पत्र प्राप्त हुआ था और प्रारम्भिक सर्वे किया गया था परन्तु आर्थिक व प्राविधिक दृष्टि से वहां नलकूप नहीं बनाये जा सकते।

*२—श्री श्याम सुन्दर शुक्ल—

यद्यपि मेरा जिला नहरी क्षेत्र कहलाता है परन्तु जिले भर में इस स्थान पर एक ट्यूबवेल है, इसी वजह से उपरोक्त दरख्वास्त दी गई, यदि किसी कारण से ट्यूबवेल्स नहीं बन सकते हैं, तो फिर नहर ही यहां कब तक पहुंचाई जायगी ?

श्री गिरधारीलाल—

पानी की कमी के कारण इस समय नहरों के विस्तार की कोई योजना नहीं है।

विद्युत् परिषद् के लखनऊ कार्यालय में परीक्षा

*३—श्री राम सुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत् परिषद्, लखनऊ के मुख्य कार्यालय लेखा विभाग में एकाउन्ट आडीटरों की जो विभागीय परीक्षा गत माह अक्तूबर में ली गई थी उसका परीक्षाफल अभी तक घोषित नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी कृपया यह बतायेंगे कि परीक्षाफल कब तक घोषित किया जा रहा है ?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

परिषद् के मुख्य कार्यालय व लेखा विभाग में केवल आडीटरों के कैडर में अन्तर्कालीन व्यवस्था हेतु अक्तूबर, १९६५ में एक परीक्षा ली गई परन्तु इसी बीच दिसम्बर, १९६५ में एकाउन्टेन्ट, असिस्टेन्ट एकाउन्टेन्ट और आडीटर के पदों के लिये नियमित नियुक्तियां की गईं। अतः ऐसी परिस्थिति में अक्तूबर, १९६५ की परीक्षा के फल के आधार पर नियुक्तियां करने की आवश्यकता नहीं रही और इसी कारण उसका परीक्षाफल भी नहीं घोषित किया गया।

*४—श्री रामसुन्दर शास्त्री—

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि परिषद् की विभागीय पदोन्नति के लिये २५ प्रतिशत कोटा निर्धारित है ? यदि हां, तो राज्य विद्युत् परिषद्, लखनऊ के मुख्य कार्यालय लेखा विभाग में विभागीय पदोन्नति के लिये कितने प्रतिशत कोटा निर्धारित हैं ? यदि ऐसा नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर रामानारायण पांडेय—

परिषद् के मुख्य कार्यालय लेखा विभाग में विभागीय पदोन्नति के लिये २५ प्रतिशत कोटा निर्धारित है ।

*५—श्री रामसुन्दर शास्त्री—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् के मुख्य कार्यालय तथा लेखा विभाग में कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिनका सेवा-काल ३ वर्ष से अधिक हो गया है और इनमें कितने कर्मचारी स्थायी कर दिये गये हैं ? यदि स्थायी नहीं किये गये हैं । तो परिषद् इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

परिषद् के मुख्य कार्यालय में ४८ कर्मचारियों का सेवाकाल ३ वर्ष से अधिक हो गया । ३८ पद स्थाई किये जा चुके हैं और २७ कर्मचारी विभिन्न पदों पर स्थाई कर दिये गये हैं । लेखा कार्यालय में ३ वर्ष से अधिक कार्य करने वाले ५५ कर्मचारी हैं। ७७ पद स्थाई किये गये हैं जिन पर उपरोक्त कर्मचारियों को स्थाई किया जायगा ।

श्री रामसुन्दर शास्त्री—

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जबकि परीक्षाफल के आधार पर नियुक्तियां नहीं करनी थी तो नवम्बर में परीक्षा क्यों ली गई और परीक्षाफल को इतनी देर में क्यों आउट किया गया ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

कार्यवाही तो पहले से ही चल रही थी । बाद में विभागीय आधार पर एक परीक्षा ली गई और यह तब हुआ कि इसी परीक्षा के आधार पर लोगों को नियुक्त किया जायगा, अक्तूबर में परीक्षा ली गई । जब नतीजा निकला तो मालुम हुआ कि कुछ बहुत सीनियर लोग उसमें सम्मिलित नहीं हुये । विभागीय अधिकारी की रिपोर्ट थी कि उनमें से अधिकतर छुट्टी पर थे और उनको मौका नहीं मिला इसलिये कुछ लोगों की परीक्षा बाद में ली गई और दिसम्बर में उनको नियुक्त किया गया ।

श्री रामसुन्दर शास्त्री—

स्पष्टीकरण असंतोषजनक है ।

प्रश्न सं० ४ के संबंध में यह जानना चाहता हूं कि जब परिषद् को विभागीय पदोन्नति के लिये २५ प्रतिशत का कोटा रक्खा गया तो उसकी पूर्ति क्यों नहीं की गई ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

अब उसके बारे में नियम बन रहे हैं और सरकार बहुत जल्दी इसका प्रबन्ध कर रही है कि विभागीय कोटा पूरा कर दिया जाय ।

श्री रामसुन्दर शास्त्री—

जब २५ प्रतिशत के हिसाब से लोगों को रखना चाहिये था तो क्यों नहीं रखा गया ? क्या सरकार यह बतलायेगी कि उस कोटा को पूरा करने में कितने आदमियों की कमी है और उसके संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

कोटा के हिसाब से जो आदमी रखे जाने चाहिये थे उसके लिये अब नियम बन रहे हैं और जितने लोग बाकी रह गये हैं उनकी जल्दी नियुक्ति की जायेगी।

एक सदस्य—

उत्तर से यह साफ नहीं हुआ कि परीक्षा में कौन-कौन लोग सम्मिलित हुये थे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

उसमें केवल विभागीय लोग ही सम्मिलित थे। बाकी बचे हुये स्थानों के लिये दूसरे लोगों को मौका है। विभाग के कुछ लोग चूंकि छुट्टी पर और परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सके उनको मौका दिया गया और उनमें से कुछ दूसरी परीक्षा के आधार पर चुने गये।

श्री रामसुन्दर शास्त्री—

मैं यह जानना चाहता हूं कि जब यह कहा गया है कि ७७ पद स्थाई किये गये है तो उन पदों पर अभी तक आदमी क्यों नहीं रखे गये ? दो-दो इम्तेहान हुये लेकिन फिर भी सब आदमी नहीं रक्खे जा सके। क्या सरकार इस संबंध में हुई देर का कुछ कारण बता सकेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इसमें डिले का कोई नहीं है।

श्री रामसुन्दर शास्त्री—

यह पद कब से स्थाई किये गये हैं? मुझे पता चला है कि जो पद ३ साल या उससे ज्यादा से चले आ रहे हैं उनको स्थाई करने की सरकार की क्या नीति है ? इस पर भी ७७ पद स्थाई किये गये हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

यह तो ठीक है लेकिन फिलहाल केवल ७७ पद ही स्थाई किये गये हैं। धीरे-धीरे सब पदों को स्थाई करने का विचार है। जब पद स्थाई हो जायेंगे तभी ही उन पर काम करने वाले व्यक्तियों को स्थाई किया जा सकेगा।

श्री रामसुन्दर शास्त्री—

अभी तक सब पदों को स्थाई क्यों नहीं किया गया ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूं।

आजमगढ़ जिले में नदियों पर बंडाल निर्माण

*६—श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के घाघरा नदी पर रामपुर, धनौली तथा गांगेपुर और हाहा नाला पर वित्तीय वर्ष सन् १९६४–६५ तथा १९६५–६६ में अलग-अलग बंडाल निर्मित करने में सरकार को कितना धन खर्च करना पड़ा है ?

*७—श्री मंगलदेव—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेंगी कि उक्त निर्माण-कार्य को राज्य बाढ़ नियन्त्रण परिषद् ने किस–किस दिनांक को स्वीकृत किया ? और स्वीकृत नक्शे की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

*८—श्री मंगलदेव—

क्या लेखा परीक्षक ने इस खर्च पर गम्भीर आपत्ति उठाई है ? यदि हां, तो वह आपत्तियां क्या हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

श्री मंगलदेव--

इन प्रश्नों का उत्तर मेरे पास नहीं भेजा गया । यह प्रश्न कई बार स्थगित हो चुके हैं और मैं समझता हूं कि इसी तरह जानबूझ कर सरकार इनमें टाइम ले रही है । जब मेरे पास प्रश्नों के उत्तर ही नहीं आये तो मैं सप्लीमेन्टरी प्रश्न क्या कर सकता हूं ?

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, आपने कई बार एलान किया है कि एक बार प्रश्न स्थगित हो जाने पर सरकार से सदन को पूरी सूचना प्राप्त होनी चाहिये । आज जो जवाब दिया जा रहा है उससे भी यह मालुम पड़ता है कि सरकार उन प्रश्नों को स्थगित करना चाहती है । हम समझते हैं कि अगर आप सरकार से आप इस संबंध में जवाब तलब करें तो अच्छा होगा । हमें ऐसा मालूम होता है कि सरकार अपने अधिकारियों की बुराइयों को छिपाने के लिये बार-बार प्रश्नों को स्थगित कराती है । इसका परदाफाश होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

सरकार बतलाये कि क्यों विलम्ब हो रहा है ।

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

इसमें बहुत सी बाते हैं कई ऐसी कार्यवाही करने योग्य थीं जिनमें विलम्ब हुआ और अभी कुछ और समय लगने की संभावना है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

४ महीने तो हो गये, उनसे पूछिये कि कितने महीने और लगेंगे ।

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

मैं समझता हूं कि अगले महीने तक हम इन प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे ।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

अगले महीने तो असेम्बली होगी ही नहीं ।

उन्नाव जिले में गंगा का कटाव

*९--श्री गोपीनाथ दीक्षित (जिला उन्नाव)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गंगा नदी के कटान से उन्नाव जिले की सुरक्षा के लिये परियर में कोई बांध बनाने की योजना है ? यदि हां, तो यह योजना कब कार्यान्वित होगी और इसमें कितना धन लगाने का अनुमान है ?

श्री गिरधारीलाल--

उन्नाव जिले में गंगा नदी के कटाव रोकने के लिये नहीं बल्कि उस नदी की बाढ़ से परियार गांव के आस-पास होने वाली हानि के बचाव के लिये परियार बांध नामक योजना बनाई गई है । राज्य बाढ़ नियंत्रण परिषद् की स्वीकृति मिलने तथा धन उपलब्ध होने पर यह योजना कार्यान्वित हो सकेगी । इसमें लगभग २१ लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है ।

*१०--श्री गोपीनाथ दीक्षित--

क्या सरकार को यह जानकारी है कि गंगा नदी की धारा लगभग ४० मील की लम्बाई में २ से ४ मील की चौड़ाई तक उन्नाव जिले की भूमि को काट चुकी है और इस जिले में पहले

भी प्रायः प्रति वर्ष बाढ़ आती रही है? क्या सरकार उन्नाव जिले को बाढ़-पीड़ित जिला घोषित करने की कृपा करेगी ?

श्री गिरधारीलाल--

प्राप्त सूचना के आधार पर उन्नाव जिले में गंगा नदी से लगभग १५-२० हजार एकड़ भूमि का कटाव हुआ है और पिछले कई वर्षों में इस जिले में बाढ़ आई किन्तु १९६४ और १९६५ में वहां कोई बाढ़ नहीं आई। स्थिति को ध्यान में रखते हुये उन्नाव जिले को बाढ़ पीड़ित क्षेत्र घोषित करने का कोई औचित्य नहीं है।

नलकूप डिवीजन, बुलन्दशहर के सहायक अभियन्ता के विरुद्ध जांच

*११--श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर) तथा श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सिंचाई मंत्री को हाल ही में द्वितीय भाग नलकूप डिवीजन, बुलन्दशहर, के कूप-चालकगण का एक आरोप-पत्र, जो कि द्वितीय भाग के सहायक अभियन्ता के विरुद्ध लगाये गये भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोपों के संबंध में है, मिला है? यदि हां, तो उक्त आरोप-पत्र के संबंध में क्या कोई जांच की गई है? यदि नहीं, तो क्यों नहीं की गई ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

जी हां, मिला था और विभागीय जांच की गयी।

श्री कल्पनाथसिंह--

यह आरोप क्या थे और सरकार ने उससे पहले कोई कार्यवाही तो नहीं की ?

डाक्टर राम नारायण पांडेय--

आरोपों को बतलाना तो जनहित में न होगा। मैं तो केवल इतना ही कह सकता हूं कि नलकूप लगाने के लिये कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। यह कहना कि लोगों ने रिश्वत देकर अपना काम चलाया ठीक नहीं है। असल में तो रिश्वत लेना तथा देना दोनों ही बुरी बातें हैं।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

माननीय मंत्री जी ने इन आरोपों की जो जांच करायी, उसका क्या परिणम हुआ ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

उन पर कोई दोष साबित नहीं हुआ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)--

क्या मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि भ्रष्टाचार के आरोप जैसे बुलन्दशहर में हैं और और भी कई स्थानों में हैं जहां पर रुपया दे दे कर अपना तबादला कैन्सिल कराया, तो क्या सरकार कोई सख्त कार्यवाई करेगी ताकि ऐसी कोई दिक्कत सरकार के सामने न आये ?

श्री गिरधारीलाल--

अध्यक्ष महोदय, वैसे आम तौर पर जिसका तबादला हो जाता है, वह कैन्सिल नहीं किया जाता है। इस संबंध में यदि हमारे माननीय सदस्य पूरा सहयोग दें तो इसको और भी सख्ती से रोका जा सकता है।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि यह शिकायत कब प्राप्त हुई और कौन से अधिकारी द्वारा जांच करायी गयी?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

अधिशासी अभियन्ता ने इसकी जांच की और यह फरवरी में मिली थी।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

क्या मंत्री जी इस किस्म के भ्रष्ट इन्जीनियर के खिलाफ जो शिकायतें आयी हैं उनकी सी० आई० डी० द्वारा सीक्रेट जांच कराने के लिये तैयार हैं ?

श्री गिरधारीलाल—

अध्यक्ष महोदय, श्री मुमताज मुहम्मद खां ने यह प्रश्न उठाया था। जो शिकायत थी वह स्यूडोनामस है। वह अपनी तरफ से लिख कर दे दें उस पर जो मुनासिब कार्यवाई होगी वह पूरे तरीके से की जायगी।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

सदन के अन्दर कह देना लिख कर दे देने से ज्यादा ही है। यदि बहुत से आरोप सही हैं, जहां तक मुझे सूचना है, तो क्या वे इस संबंध में सी० आई० डी० से जांच करायेंगे ? मैं सदन में कहता हूं तो क्या यह लिखकर देने से कम है ?

श्री गिरधारीलाल—

स्पेसिफिक लिख कर दें जिसमें सारे चार्जेज हों।

श्री रामअधार कनौजिया (जिला बहराइच)—

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। आप इसकी व्यवस्था दें कि अभी-अभी मुमताज मुहम्मद खां ने कहा कि सी० आई० डी० से जांच करायें तो मंत्री जी ने कहा कि स्पेसिफिक लिख कर दें। मंत्री जी का यह जवाब कहां तक वैधानिक है ?

श्री अध्यक्ष—

आपको यह प्रश्न मंत्री जी से पूछना चाहिये था।

वाराणसी क्षेत्र में नलकूप

*१२—श्री ऋषिनारायण शास्त्री (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि फरवरी–मार्च, १९६५ में वाराणसी ट्यूबवेल डिवीजन में कितने ट्यूबवेल बोर किये गये ? किन-किन अफसरों द्वारा एक ट्यूबवेल कितने–कितने समय में बोर किया गया ? वाराणसी जिले में तृतीय पंचवर्षीय योजना के कितने ट्यूबवेल बाकी हैं और इस समय कहां बोरिंग हो रही है ?

श्री गिरधारीलाल—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

आगरा जिले में नलकूप

*१३—श्रीमती चम्पावती (जिला आगरा)—

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जिले की किरावली तहसील का भाग जो राजस्थान से लगा हुआ है और वह क्षेत्र केवल वर्षा पर ही निर्भर रहता है इस क्षेत्र की सिंचाई के लिये नहर या नलकूप लगवाने की कृपा करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं।

*१४—श्रीमती चम्पावती—

क्या सिंचाई मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जिले में कितने नलकूप १९६२ से अगस्त, १९६५ तक लगाये गये और कहां-कहां ?

श्री गिरधारीलाल—

इनका विवरण संलग्न सूची में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १४६-१४७ पर)।

फैजाबाद जिले में नलकूप

*१५—श्री महादेव (जिला फैजाबाद)—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में फैजाबाद जिले में कितने नलकूप का निर्माण होना था और उसमें कितने लगाये गये ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय—

तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में फैजाबाद जिले में ८८ नलकूपों का निर्माण होना था जिन में ४३ नलकूपों का निर्माण हो चुका है।

*१६—श्री महादेव—

क्या यह सही है कि फैजाबाद जिले के लिए तृतीय पंचवर्षीय योजना में जितने नलकूपों के निर्माण का कोटा था उसमें से काफी बड़ा प्रतिशत काट कर अन्य जिलों को दे दिया गया ? यदि हां, तो कितने नलकूप फैजाबाद जिले से काट कर अन्य जिलों को दिये गये ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

प्रथम भाग—

जी नहीं।

द्वितीय भाग—

प्रश्न नहीं उठता।

श्री कल्पनार्थसिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जितने नलकूप लगाये गये हैं उनमें से कितने कार्य कर रहे हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

४३ पूर्ण हो चुके हैं। ३० चल रहे हैं।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

फैजाबाद जिले का कोटा दूसरे जिलों में भेज दिया गया तो तीसरे प्लान में कितने थे और उसमें से कितने कम लगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इसका उत्तर देखने की कृपा करें। वहां लिखा हुआ है कि प्रश्न नहीं उठता। तो कोटा काटा कहां गया है ?

श्री रामसुन्दर शास्त्री—

तीसरी पंचवर्षीय योजना में फैजाबाद में ४३ लगे ८८ के बजाए। तो ढील हुई है। किन की वजह से हुई और क्यों हुई ? सरकार उनके खिलाफ क्या करने जा रही है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

मुख्य कारण मशीनरी की कमी और फन्ड्स की कमी थी।

श्री सुखरामदास (जिला फैजाबाद)—

जहां ८८ नलकूप लगने थे वहां ४३ लगे हैं, तो अब इस वर्ष कितने नलकूप लगने हैं?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जैसे-जैसे सीमेंट मिलता जायगा, बनवा दिया जायगा। सन् ६८ तक लक्ष्य पूरा हो जायगा।

श्री जगदम्बाप्रसाद—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि बाकी नलकूप कब तक बन जायेंगे?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

जैसे-जैसे साधन मिलते जायेंगे यथा शक्ति शीघ्र बनते जायेंगे। सन् १९६८ तक पूरा होने का लक्ष्य है।

*१७—श्री बृजमोहनलाल गुप्त—

[स्पष्टीकरण हेतु हटा दिया गया गया।]

रायबरेली जिले में फसली कुलाबे

*१८—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

क्या सिंचाई मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि रायबरेली जिले में गत वर्ष कितने फसली कुलाबे दिये गये? क्या इस वर्ष भी सरकार पुनः उन सभी कुलाबों को लगायेगी जिनके कमान्ड में किसानों ने इस आशा से गेहूं और अन्य गल्ला बो दिया है कि कुलाबा तो मिल ही जायगा?

श्री गिरधारीलाल—

पानी की काफी कमी हो जाने के कारण शारदा नहर में रबी की फसल में फसली कुलाबे नहीं दिए जाते। खरीफ १३७३ में धान की फसल के लिए इस जिले में कुल ७५९ फसली कुलाबे दिए गये।

उक्त जिले में रबी की फसल में, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, फसली कुलाबे देने का प्रश्न नहीं उठता है।

रायबरेली जिले में राजनीतिक पेन्शन

*१९—श्री रतीपाल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में राय बरेली जिले में कितने राजनैतिक पीड़ितों को मासिक पेंशन दी जा रही है और इस पेंशन की उच्चतम और न्यूनतम धनराशि क्या है?

परिवहन मन्त्री (श्री मुजफ्फर हसन)—

वर्तमान वित्तीय वर्ष में रायबरेली जिले में १२९ राजनैतिक पीड़ितों को मासिक पेंशन दी जा रही हैं। इस पेंशन की उच्चतम धनराशि ७५ रु० तथा न्यूनतम धनराशि २० रु० प्रति मास है। इसके अतिरिक्त सभी राजनैतिक पेंशनरों को मंहगाई के कारण दिनांक १-४-६४ से ५ रु० प्रति मास तदर्थ दिए जा रहे हैं।

जालौन जिले में नहर विभाग के कर्मचारियों का भत्ता

*२०—श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जालौन जिले के नहर विभाग के झांसी डिवीजन के जिलेदारी दोयम के कर्मचारियों का मासिक भत्ता मई, १९६५ के बाद से आज तक क्यों रोका गया ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

कर्मचारियों के कोई भत्ते माह मई, १९६५ के बाद से नहीं रोके गए हैं ।

श्री विजयसिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले में दो छोटे-छोटे कर्मचारी हैं उनको जो भत्ता प्रति मास मिलता रहा वह दो-दो तीन-तीन महीने के बाद क्यों मिला ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

अब किसी का बकाया नहीं है । पहले की स्थिति का पता लगाना पड़ेगा ।

श्री विजयसिंह—

क्या मन्त्री जी को ज्ञात है कि जो डाक ले जाने वाले चपरासी हैं उनको आज दस महीने का भत्ता अभी भी नहीं मिला है ।

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

अगर ऐसी कोई बात है तो माननीय सदस्य हमें बता दें, उसकी जांच करा ली जायगी ।

फतेहपुर व कानपुर जिलों में नलकूप

*२१—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में, फतेहपुर जिले में कितने राजकीय नलकूप लगाये जा रहे हैं ? और इन में जिले के अमौली तथा खजुहा विकास खण्डों के अन्तर्गत क्रमशः नोन व यमुना तथा रिंहन्द व यमुना नदियों के मध्य ग्रामों में कितने और किन-किन स्थानों पर लगाये जाने के प्रस्ताव हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

प्रथम भाग—चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में फतेहपुर जिले में नलकूप बनाने की योजना नहीं है ।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता ।

*२२—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या सरकार कृपया यह भी बताएगी कि कानपुर जिले के भीतर गांव और घाटमपुर विकास खण्डों में किन-किन ग्रामों में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में राजकीय नलकूप लगाने की योजना है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में कानपुर जिले के भीतर गांव व घाटमपुर विकास खण्डों में नलकूप बनाने की योजना नहीं है ।

श्री रामकिशोर वर्मा---

क्या मन्त्री जी को यह पता है कि जहां तीसरी पंचवर्षीय योजना में फतेहपुर को छोड़कर ८,५०० नलकूप बनाये जा चुके हैं तो चौथी पंचवर्षीय योजना में एक भी नलकूप न बनवाये जाने का आधार क्या है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

इसकी स्थिति यह है कि अभी पूरा सर्वे किया जा रहा है। अगर उसके पश्चात् प्रेक्टिकेबुल होता है तो विचार किया जायगा।

श्री रामकिशोर वर्मा---

क्या मन्त्री जी को पता है कि फतेहपुर जिले के सिंचाई इंजीनियर ने फतेहपुर जिले का नलकूप सर्वेक्षण करके सरकार के पास भेजा है ? यदि हां, तो क्या आप ऐसे आदेश देंगे कि जहां सिंचाई के साधन नहीं हैं वहां इस योजना के प्रथम वर्ष में ट्यूबवेल लगाये जायें ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

जहां सिंचाई के साधन नहीं हैं वहां लगाये जायेंगे लेकिन इसके लिए साधन उपलब्ध हों तो देखें और सर्वे तो करा लिया जाय, उसके बाद लिखने की जरूरत होगी।

श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)---

जहां जनता ने ट्यूबवेल लगाये और वे कामयाब भी हैं तो सरकार की तरफ से ट्यूबवेल क्यों नहीं लगाये जा रहे हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

जैसे-जैसे साधन उपलब्ध होते जायेंगे वैसे-वैसे एक-एक जगह को लेते जायेंगे।

श्री रामसुन्दर शास्त्री---

अध्यक्ष महोदय, जो सवाल का जवाब मिला है वह सन्तोषजनक नहीं है। कहते हैं कि मह सर्वे करा लें। जबकि वहां पर प्राइवेट ट्यूबवेल लगे हैं और कामयाब हैं तो सर्वे क्या करायेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

जहां तक सर्वे की बात है, सर्वे तो इसलिए कराया जाता है कि कहां कितना एकोनामिक है और दूसरी बातों का पता लगाया जाता है। अच्छा काम हो और साधनों के मुताबिक काम हो।

परिवहन विभाग, जिला बस्ती की गाड़ियां

*२३---श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि परिवहन विभाग, जिला बस्ती की कौन-कौन जीपें तथा गाड़ियां गत १ वर्ष में बिगड़ी तथा उनकी मरम्मत किस-किस वर्कशाप में कराई गई ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

तालिका काफी लम्बी है जिसे माननीय सदस्य मेरे कक्ष में देखने का कष्ट करें।

*२४---श्री हिम्मतसिंह---

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि बस्ती जिले में सरकारी वाहनों की मरम्मत के लिए स्वीकृत (अप्रूव्ड) वर्कशाप कौन-कौन हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

केवल पंजाब आटो इंजीनियरिंग वर्क्स, बस्ती।

श्री हिम्मतसिंह---

पूर्ण संख्या बताने की कृपा करें।

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

तालिका काफी लम्बी है उसको जोड़ना पड़ेगा। आप इसे मन्त्री जी के कक्ष में देख सकते हैं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

ऐसा होता है कि सरकारी गाड़ियां बस्ती से गोरखपुर मरम्मत के लिये ले जायी जाती हैं। क्या मन्त्री जी कोई आदेश ऐसा जारी करेंगे कि बस्ती जिले की गाड़ियां गोरखपुर मरम्मत के लिये न ले जायी जायें क्योंकि सरकारी अधिकारी इस बहाने वहां पर जा कर मौज करते हैं?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

जब तक सरकारी वर्कशाप नहीं कायम हुई थी तब तक यह बात थी कि वहां की प्राइवेट वर्कशाप में मरम्मत की जाय लेकिन जब से सरकारी वर्कशाप कायम हो गयी है तब से सवाल नहीं उठता।

श्री कमलासिंह यादव---

क्या मन्त्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि अक्सर जो लड़कियों के स्कूलों की गाड़ियां हैं वे प्राइवेट वर्कशाप में जाती हैं और वे हजारों रुपया लेकर तैयार करते हैं और दो-एक महीने में फिर खराब हो जाती हैं, तो क्या मन्त्री जी उसी कीमत पर फिर मरम्मत कराने की व्यवस्था करेंगे?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

जब गाड़ियां मरम्मत के लिये जाती हैं तो उसके व्यय के पहले से एप्रूवल दिया जाता है। और कोई भी अच्छे से अच्छा वर्कशाप भी इस बात को नहीं कह सकता कि गाड़ी अब खराब नहीं होगी।

कालागढ़ परियोजना के मजदूरों का संघर्ष

*२५---श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कालागढ़ परियोजना के मजदूरों का जो संघर्ष मार्च, १९६५ में चला और उसका फैसला १४ मार्च को हुआ उस पर आज तक अमल क्यों नहीं हुआ? अमल न होने के क्या कारण हैं?

*२६---श्री रियासत हुसैन---

क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उस फैसले में मजदूरों की क्या-क्या शर्तें मानी गई हैं?

*२७---श्री रियासत हुसैन---

क्या सिंचाई मन्त्री को यह मालूम है कि उन शर्तों के ऊपर कार्यवाही न होने के कारण मजदूरों में दुबारा बेचैनी और असन्तोष दिन पर दिन बढ़ रहा है? यदि हां, तो उनके रोकने का क्या प्रयत्न किया जा रहा है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री रियासत हुसैन---

आज मन्त्री जी साल भर के बाद कहते हैं कि सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री अध्यक्ष—

संघर्ष मार्च, ६५ में हुआ, फैसला १४ मार्च को हुआ, तो आज तक उस पर अमल क्यों नहीं हुआ? अमल न होने का क्या कारण है? इसकी सूचना तो बहुत आवश्यक है, मन्त्री जी, कब तक सूचना आ जायेगी? आप जल्दी इसकी जानकारी प्राप्त करें।

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

बहुत अच्छा।

स्याना क्षेत्र में नलकूप

*२८—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा क्षेत्र, स्याना, जिला बुलन्दशहर के ग्राम सोजना झांया में एक राजकीय नलकूप के निर्माण के सुझाव के सम्बन्ध में जो सरकार ने उक्त स्थान का समस्त सर्वेक्षण कराने के लिए हाल ही में जो आदेश दिये थे तो क्या उक्त स्थान का समस्त सर्वेक्षण हो गया है? यदि हां, तो क्या सरकार समस्त सर्वेक्षण की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

*२९—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त ग्राम सोजना झांया में सरकार एक राजकीय नलकूप के निर्माण को उचित समझती है? यदि हां, तो वहां राजकीय नलकूप का निर्माण कब तक करा दिया जायगा? यदि नहीं, तो किन कारणों से?

*३०—श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा क्षेत्र स्याना, जिला बुलन्दशहर में ग्राम लड़ाना में एक राजकीय नलकूप के निर्माण के लिए सर्वेक्षण कब तक पूरा करा दिया जायगा?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इस सम्बन्ध में सूचना कितने महीने से एकत्र की जा रही है और कब तक एकत्र हो जाएगी?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

कब सूचना एकत्र हो जाएगी इसको अभी नहीं बताया जा सकता।

देवरिया जिले में जल निकासी

*३१—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिले के रुद्रपुर के विकास क्षेत्र और बैतालपुर विकास क्षेत्र के कुर्ना नाला के पानी की निकासी के लिए कोई कदम उठाया जा रहा है? यदि हां, तो वह क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं। इस कार्य की कोई योजना नहीं है।

*३२—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिले के सलेमपुर तहसील के गुमाली नाला, देवरिया तहसील के मयाने नाला और देवरिया तहसील के ढंडवा ताल, सलेमपुर तहसील

नोट:—तारांकित प्रश्न ३० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

के सिसवा ताल के पानी निकासी (वाटर लांगिंग) की क्या व्यवस्था की जा रही है और कब तक यह काम पूरा हो जावेगा ?

श्री गिरधारीलाल---

ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, अतः काम पूरा होने का प्रश्न नहीं उठता।

*३३---श्री चन्द्रबलीसिंह---

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया तहसील के राप्ती नदी से कट रहे गांव तिघरा, करकोल, बनकटी, नागवास्वस नकइल, गावघाट, भदिला अउरल, गोर्रा से पिड़री, पिड़रा, ईश्वरपुर, कटौता, सुल्तानी, जगतमाझा, कनकपुरा, भेलउर, जगदीशपुर पाड़े माझा राजधर, नरायनपुर शीतल माझा, माझा भीमसेन, डहरोवी, गाजन, नथुआ नाले से अवस्थी, सेमरोना, माधोपुर और छोटी गंडक से हेतिमपुर के टोला पठिया को बचाने के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है ? उन सभी गांवों को बचाने के लिए लागत क्या पड़ेगी ?

श्री गिरधारीलाल---

इस कार्य के लिए कोई योजना नहीं है।

हरद्वार में परिवहन विभाग के कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार की शिकायत

*३४---श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)---

क्या परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश विधान सभा, सदस्य, श्री देवी सिंह द्वारा हरिद्वार में परिवहन विभाग के कर्मचारियों द्वारा उनके प्रति किए गए अभद्र व्यवहार के सम्बन्ध में कोई शिकायती पत्र १५ मई, १९६६ अथवा उसके आस-पास किसी दिन मिला ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री मुजफ्फरहसन---

जी हां। शिकायत प्राप्त हुई थी उस पर जांच की जा रही है।

झांसी उद्योगशाला में रविवार का वेतन न मिलना

*३५---श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)---

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सत्य है कि झांसी उद्योगशाला में कोई सरकारी ऐसा आदेश सन् १९५७ में हुआ था कि रविवार का वेतन दैनिक वेतन-भोगियों को मिलना चाहिए ? अगर ऐसा है, तो क्या वह आदेश राजकीय उद्योगशाला झांसी में लागू है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल---

सूचना एकत्रित की जा रही है।

पल्हनी विकास खंड का नलकूप

*३६---श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा) तथा श्री गयाप्रसाद मेहरोत्रा (जिला सीतापुर)---

क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि आजमगढ़ जिले के विकास खण्ड पल्हनी के राजकीय नलकूप नं० ३, ग्रुप आजमगढ़ के काफी दिनों से खराब होने के कारण क्षेत्र की पूरी फसल सिंचाई के अभाव में चौपट हो रही है क्योंकि हजारों एकड़ भूमि के बीच वही एक मात्र सिंचाई का साधन है ? यदि हां, तो व्यवस्था कब तक ठीक हो जाएगी ?

श्री गिरधारीलाल---

राजकीय नलकूप नं० ३ आजमगढ़ ग्रुप का जल निकास कम हो गया है जिसका कारण पानीयुक्त धरातल का न होना है। इस के सुधार के लिए आवश्यक कार्यवाही शीघ्र की जायगी।

दहगवां में बिजली न पहुंचना

*३७—श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बदायूं जिले के विकास खन्ड दहगवां के ग्राम दहगवां तक बिजली की लाइन पहुंच चुकने के बाद भी उस ग्राम में अब तक बिजली न पहुंचने का क्या कारण है जब कि इसके अभाव में कृषि कार्यों को क्षति पहुंच रही है ?

श्री गिरधारीलाल—

ग्राम दहगवां, जिला बदायूं का विद्युतीकरण १-४-६६ को हो गया है।

डांगरबाद गांव में बिजली न मिलना

*३८—श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

क्या सिंचाई मंत्री को पता है कि प्रश्न कर्त्ता के गांव डांगरबाद, जिला बलिया में बिजली लगाने का आदेश एक साल पहले हुआ था, लेकिन अभी तक वहां बिजली क्यों नहीं लगी ? जब कि गांव डांगरबाद, रुद्रपुर (बलिया) बेलहरी ट्यूबवेल से एक फर्लांग से भी कम दूरी पर स्थित है ?

श्री गिरधारीलाल—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

कटरा बाजार टाउन एरिया को बिजली

*३९—श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा)—

क्या सरकार को यह पता है कि गोंडा जिले में कटरा बाजार टाउन एरिया है और उसकी आबादी ७ हजार से अधिक है बिजली के खंभे उपरोक्त नगर के सन्निकट केवल ३ मील की दूरी पर लगे हैं, परन्तु अभी तक इस बाजार में बिजली सप्लाई की व्यवस्था नहीं की गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गिरधारी लाल—

कटरा बाजार टाउन एरिया के विद्युतीकरण के लिये जांच पड़ताल की जा रही है और उपयुक्त पाये जाने पर उसका विद्युतीकरण किया जायेगा। इसका विद्युतीकरण धन की उपलब्धता पर भी निर्भर करेगा।

*४०—श्री उल्फतसिंह यादव—

[स्थगित किया गया।]

*४१—श्री राजेन्द्रसिंह—

[स्थगित किया गया।]

*४२-४३—श्री मुहम्मद रफी खां—

[स्थगित किये गये।]

वाराणसी क्षेत्र में नलकूप

*४४—श्री कमलासिंह यादव—

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी डिवीजन में जो ४६२ नलकूप लगाने वाले थे उनमें केवल १८० नलकूप ३१ मई, १९६६ तक वस्तुतः कार्य कर रहे हैं फिर बाकी नलकूपों के समय से काम न कर सकने के लिये जिम्मेदार कौन है ?

श्री गिरधारीलाल--

वाराणसी कमिश्नरी में तृतीय पंच वर्षीय योजना में ३२७ नलकूप बनने के लिये स्वीकृत थे। उनमें ३१-५-६६ तक २८८ बोर हो चुके थे और बोर किये गये नलकूपों में से १८८ का विद्युतीकरण हो चुका था। हां वाराणसी सिंचाई मंडल में, जिसमें इलाहाबाद और प्रतापगढ़ के जिले भी शामिल है, प्रस्तावित ४६२ नलकूपों में से ३१-५-६६ तक ४०७ नलकूप बोर हो चुके थे और बोर किये गये नलकूपों में से २७७ नलकूपों का विद्युतीकरण हो चुका था। सभी शेष नलकूपों पर कार्य प्रोग्राम के हिसाब से चल रहा है, अतः इसके लिये किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी का प्रश्न नहीं उठता।

चोलापुर तथा सादात ब्लाक मे नहरी कर की वसूली

*४५--श्री कमलासिंह यादव--

क्या यह सही है कि चोलापुर ब्लाक, जिला वाराणसी में तथा सादात लाक, जिला गाजीपुर में कौन-कौन नहरें हैं उनमें पानी १९६५-६६ में कब दिया गया और कितना टैक्स वसूल हुआ ? यदि पानी नहीं दिया गया तो क्यों ?

श्री गिरधारीलाल--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

हैदरगड़ तहसील में ड्रेन योजना

*४६--श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)--

क्या यह बात सही है कि बाराबंकी जिले की हैदरगढ़ तहसील में नहर विभाग, द्वारा सुखेना ताल (लाहीनाला), लिल्हौरा झील, राम नगर, समनावेरा के छोटे तालाब, सुरेला और कुम्भी झील (फिरोजाबाद नाला), सरायपाण्डे मगितपुर झील तथा हैदरगढ़ खलवा वारखेर परियार झील के पानी के निकास के लिये ड्रेन बनाने का निश्चय किया गया है ? यदि हां, तो इन नालों के बनाने, पुलों के निर्माण पर कितना धन व्यय होगा और इन पर कब तक कार्य प्रारम्भ हो जायगा ?

श्री गिरधारी लाल--

प्रश्न में कथित झीलों से पानी निकालने वाली ड्रेनों की सूचना संलग्न है केवल हैदरगढ़ (बेलवावा खेर सुरियार) झीलों से पानी के निकालने के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १४८ पर।)

अतारांकित प्रश्न

बुलन्दशहर क्षेत्र में नलकूप जे० बी० सं० ४२ की नाली

१--श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बुलन्दशहर नलकूप डिवीजन के राजकीय नलकूप जे० बी० संख्या ४२ की जो नाली उत्तर से दक्षिण को जाती है उसके निकट क्या कोई निजी नलकूप लगा हुआ है और राजकीय नलकूप की उक्त नाली को उक्त निजी नलकूप के स्वामी ने नाजायज तौर से अपने अधिकार में लेकर अपने निजी नलकूप के पानी का प्रयोग करने लगा है और उसके अतिरिक्त उक्त नली के बहाव में भी परिवर्तन करके दक्षिण से उत्तर कर दिया है जिसके परिणाम स्वरूप ग्राम रोड की उस भूमि की जो कि उक्त राजकीय नलकूप के सिंचाई क्षेत्र में हैं, एक वर्ष से सिंचाई नहीं हो रही है ?

२—श्री मुमताज मोहम्मद खां—

२—क्या सरकार को बात है कि ग्राम रोड के इस संबंध में पीड़ित कृषकों ने नलकूप विभाग में कितने ही शिकायती पत्र गत साल में भेजे हैं और उन पर इस समय तक क्या कोई विशेष कार्यवाही नहीं की गई ?

श्री गिरधारीलाल—

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

परगना कोलअसला में सिंचाई

३—श्री विजयपाल सिंह (जिला मुजफ्फरनगर) तथा श्री कुदल (जिला वाराणसी)—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव बैकुंठपुर का भी तथा रेलवे लाइन के पश्चिम का क्षेत्र गांव गंगापुर तथा मंगारी के लिये तथा ब्लाक हेड क्वार्टर पिंडारा (मंगारी) पर जिससे नेवादा बाजार के उत्तर का क्षेत्र, गंगापुर का पूर्वी क्षेत्र के लिये परगना कोल, असला तहसील व जिला वाराणसी में सिंचाई हेतु ट्यूबवेल की व्यवस्था करने पर विचार कर रहा है ? यदि हां, तो कब तक और क्या बैकुंठपुर में ट्यूबवेल लगाने का सर्वे हुआ था और ट्यूबवेल लगाने लायक क्षेत्र भी है तो फिर क्यों नहीं लगाया गया ?

श्री गिरधारीलाल—

सूचना एकत्रित का जा रही है ।

मुरादाबाद क्षेत्र में के नलकूप चालकों के विरुद्ध शिकायत

४—श्री चन्द्रबली सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कृषि मंत्री के पास मुरादाबाद के दर्जनों ट्यूबवेल आपरेटरों के खिलाफ समय पर पानी न देने के फलस्वरूप खरीफ की फसल सूखने की शिकायतें अगस्त, १९६५ से नवम्बर, १९६५ के बीच आई है ? यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही अमल में लाई गई ?

श्री गिरधारीलाल—

नलकूप सर्किल मुरादाबाद के आपरेटरों के खिलाफ अगस्त, १९६५ व नवम्बर, १९६५ के बीच में पानी न देने के जो शिकायतें सिंचाई विभाग को प्राप्त हुईं उन पर जांच के फलस्वरूप दो आपरेटरों का स्थानान्तरण किया गया और शेष शिकायतें निराधार पाई गईं । केवल दो शिकायतों पर अभी जांच पूरी नहीं हुई है ।

श्री भीमा प्रसाद की जेल से रिहाई की सूचना

श्री अध्यक्ष—

श्री भीमा प्रसाद १६ जुलाई, १९५६ को जेल से मुक्त कर दिये गये हैं ।

कतिपय विषय

श्री कुदल (जिला वाराणसी)—

कल आपने यह सूचना दी थी कि श्री भीखा लाल को जेल से मुक्त कर दिया गया । मैंने कहा कि मैं उनसे ११ बजे मिला था और तब तक वे जेल में नहीं थे । बाद में मालूम हुआ कि वह तब तक मुक्त नहीं हुए थे । इसका स्पष्टीकरण होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

ऐसा मालूम होता है कि वे जून में किसी तारीख को पकड़े गये थे, जिस जुर्म में उनको पकड़ा गया था उसमें जो सजा मिली थी वह खत्म हो गई और वह मुक्त हो गये। इसके बाद दूसरे जुर्म में वह दुबारा पकड़े गये। आप कृपा कर के वह चीज देख लीजिये ताकि आप का सन्देह दूर हो जाय। हमारे पास जो कागजात हैं उनसे यह मालूम पड़ता है कि जब वह दुबारा पकड़े गये तब से मुक्त नहीं हुए।

श्री ऊदल—

आपने इस मामले का उल्लेख किया उससे यह भ्रम पैदा हो गया कि वह मुक्त हो गये। जून में तो पहली बार मुक्त कर दिये गये थे। लेकिन फिर वह गिरफ्तार कर लिये गये थे और वह जेल में बन्द हैं।

श्री अध्यक्ष—

आफिस ने गलती से समझ लिया होगा कि वह सूचना दूसरी गिरफ्तारी से संबंधित है, इस वजह से शायद यह भ्रम हो गया हो।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

प्रश्न ३५ की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इसका उत्तर मुझे अभी तक नहीं प्राप्त हुआ।

श्री अध्यक्ष—

मैं देख लूंगा, आप लिख कर भेज दीजियेगा। दो बातें हो सकती हैं। या तो हमारे यहां उसका उत्तर विभाग से आया ही नहीं होगा या इस वक्त जो अवस्था हो रही है उसके कारण सम्भव है उत्तर आपको न मिल पाया हो।

श्री लखपतराम शर्मा—

यह प्रश्न आगामी सप्ताह में ले लिया जाय। दूसरी बात यह है कि 'उर्दू प्रदेश की दूसरी क्षेत्रीय भाषा स्वीकार की जाय। दर्शक गैलरी में से कुछ पर्चे इस संबंध में फेंके गये। जहां तक मैं समझता हूं कि बिना किसी की सहायता के, पास दिलवाये हुए कोई भी दर्शक गैलरी में नहीं जा सकता। इस तरह के पर्चे जब हाउस में फेंके जाते हैं तो मैं आप से यह जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई। आज पर्चे फेंके गये कल कोई आदमी दर्शक गैलरी से पिस्तौल से गोली चला सकता है। इस विषय में आप अपनी व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष—

यह पर्चा सदन में फेंका गया। इसमें सरकार का सवाल नहीं है। इस आदरणीय सदन की मर्यादा का सवाल है, इस सदन के मान और अपमान का सवाल है, इसके विशेषाधिकारों का सवाल है। इस विषय में हम अन्वेषण कर रहे हैं और मैंने आदेश दे दिया है कि आज सायंकाल तक इस मामले की जांच हो जाय। जो व्यक्ति पर्चा फेंकते हुए पाया गया वह गिरफ्तार है और पुलिस की कस्टडी में रहेगा। जहां तक मैं समझता हूं कि आज पांच बजे तक हमारे पास पूर्ण तथ्य आ जायेंगे, तब हम उन तथ्यों को आदरणीय सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

एक सदस्य—

पहली बात तो यह है कि दर्शक गैलरी का पास किसी मा० सदस्य के पर्चे पर ही मिला होगा।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)---

माननीय अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय हुकुम सिंह जी अब सदन के सदस्य नहीं हैं। इसलिये अब वह उप-नेता नहीं रह सकते। आपने पहले इस तरह की व्यवस्था दी थी।

श्री अध्यक्ष---

मैंने कहा था कि यह प्रश्न विचाराधीन है। इस तरह की बहुत-सी बातें आप मेरे मुंह में रख देते हैं। आइन्दा से इस तरह की बातें आप लिख कर दे दिया कीजिये तब उनका अध्ययन करके अपनी व्यवस्था दे दिया करूंगा।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

व्यवस्था के प्रश्न आने का कारण तो स्पष्ट है और उसको मैंने बतला भी दिया है।

श्री अध्यक्ष---

अच्छा, इस पर विचार करेंगे।

एक सदस्य---

इस पर आपकी व्यवस्था हो जानी चाहिये। साधारणतः सदन का नेता मुख्य मंत्री ही हो सकता है। सदन का मेम्बर यदि वह मंत्री हो तो भी मुख्य मंत्री की आज्ञा से वह सदन का नेता हो सकता है, लेकिन एक ऐसा मंत्री जो इस सदन का सदस्य नहीं है, नेता या उपनेता कुछ भी नहीं हो सकता।

एक अन्य सदस्य---

एक बात यह भी है कि यहां के भाषण रिपोर्टर्स लिखते हैं और उनकी प्रतियां हम लोगों को दूसरे दिन मिल जाया करती थीं। आप इस बात की कोई व्यवस्था करें कि वे प्रतियां हमको दस्तयाब हो जायं।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---

जब तक कर्मचारियों की ठीक तौर से व्यवस्था नहीं होती तब तक आप क्या व्यवस्था देते हैं ?

श्री अध्यक्ष---

यह जो बीच-बीच में आप लोग खड़े होकर बातें करने लगते हैं इससे बड़ी गड़बड़ी होती है। प्रश्न केवल यह है कि नियम ३०३ के अन्तर्गत आदरणीय सदन की कार्यवाही लिखी जानी चाहिये। कल हमने इस बात का प्रयत्न किया था कि हमारे स्टेनो जो काम पर आये हैं उनके जरिये कार्यवाही लिखवाई जाय। लेकिन उसमें हम सफल नहीं हो सके हैं। कल की कार्यवाही जिस प्रकार से अंकित हुई उसको देखते हुए मेरा ऐसा खयाल हुआ कि यह कार्य संतोषजनक नहीं हो सका। आज मेरे पास यह रिपोर्ट आई है कि सिवाय एक रिपोर्टर के और कोई आया ही नहीं है। तो जैसा मैंने कल आप से निवेदन किया था, अगर सी० आई० डी० के रिपोर्टर हमें मिल सकें तो हम उन्हें बुला कर इस सदन की कार्यवाही की रिपोर्ट तैयार करवा सकेंगे। लेकिन अभी तक उसकी भी व्यवस्था नहीं हो पायी है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

सारी दुनिया पड़ी हुई है। सी० आई० डी० के रिपोर्टर न बुलाये जायें क्योंकि इसकी परम्परा नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि विशेष परिस्थितियों में हम इस प्रकार का प्रबन्ध कर सकते हैं। यह हमारा कर्त्तव्य है कि हम देखें कि हमें और हमारे सदस्यों को इस महत्वपूर्ण और अधिकार सम्पन्न सदन की कार्यवाही सही प्रकार से अंकित की हुई मिले। आप अगर हमारे लिये कोई दूसरा विकल्प रख सकें तो हम उस पर विचार करेंगे। हमारा यह खयाल है कि जिस तरह से भी हो सदन की कार्यवाही को तैयार करवायें। अगर इस आदरणीय सदन के सदस्य इस संबंध में मेरे पास कोई योजना भेजेंगे तो मैं अवश्य उसको कार्यान्वित करने का प्रयत्न करूंगा।

एक सदस्य—

आपने इसका क्या इन्तजाम किया है कि सी० आई० डी० वाले इस अधिकार का दुरुपयोग नहीं करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

इसमें इन्तजाम करने की क्या बात है ? जब वे आयेंगे तो मेरी आज्ञानुसार काम करेंगे।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय—

इस संबंध में मुझे यह कहना है कि विधान मंडल के पुनःसंगठन के बारे में एक रिपोर्ट प्रसारित हुई है। जो रिपोर्टर आपके अधीन हैं उनके सिवा दूसरे रिपोर्टरों पर आपका पूरा अधिकार नहीं हो सकता। न आप उनकी नियुक्ति एवं वेतन के संबंध में कोई आज्ञा ही दे सकते हैं। यदि आप अपने सचिवालय के कर्मचारियों पर भी कंट्रोल नहीं रख सकते तो दूसरे पर आपका क्या कंट्रोल होगा ? प्रदेश भर में हो हल्ला मचा हुआ है। लोगों की समस्याओं का शान्तिपूर्ण ढंग से अध्ययन करना और उनका उचित हल निकालना और उन सब समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक विचार करना सरकार का कर्त्तव्य है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप अपने स्टाफ पर उन अधिकारों का प्रयोग करें जो आपको मिले हुए हैं साथ ही आपके विभाग के जो रिपोर्टर और अन्य कर्मचारी हैं, आपको उनकी मांगों को स्वीकार करके इस बात की चेष्टा करनी चाहिये कि सदन का काम चलता रहे।

एक सदस्य—

मेरा निवेदन यह है कि कल मैं माननीय अध्यक्ष के कमरे में गया। मुझे कुछ प्रश्न स्वीकृत कराने थे। उन्होंने कहा कि सचिवालय का कोई कर्मचारी हमारे यहां नहीं है। इन प्रश्नों को देकर आप क्या करेंगे। इस तरह से हमारे कार्य में बड़ा व्यवधान उपस्थित हो गया है।

श्री अध्यक्ष—

क्या आप चाहते हैं कि मैं सदन को स्थगित कर दूं।

एक सदस्य—

आप सरकार पर दबाव डालें कि वह इस बात का प्रयत्न करे कि हमारा कार्य सुविधापूर्वक चल सके चाहे उस काम को असेम्बली विभाग के कर्मचारी करें या कोई और। मैं समझता हूं कि हमारे असेम्बली विभाग के कर्मचारियों को कुछ तकलीफें हैं। आप किसी योजना को हमारे सामने रखें और मैं आशा करता हूं कि यदि सदन ने उसको स्वीकार कर लिया तो आप उसे कार्यान्वित कर सकेंगे।

उत्तर प्रदेश तृतीय विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का पंचम प्रतिवेदन†

श्री बृजभूषण शरण (जिला देहरादून)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से उत्तर प्रदेश तृतीय विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का पंचम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

बांदा गोलीकांड के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

विशेषाधिकार की अवहेलना की कोई सूचना हमारे पास नहीं आई है लेकिन बहुत से कार्यस्थगन प्रस्ताव आये हैं। प्रायः सभी बांदा गोलीकाण्ड के संबंध में हैं। अपनी-अपनी भाषा में अपने अपने तरीके से कई सदस्यों ने कार्यस्थगन प्रस्तावों की सूचना मुझे दी है। पूर्व इसके कि मैं उनको लूं मैं आदरणीय सदन को उस विज्ञप्ति से अवगत कराना चाहता हूं जो सरकार द्वारा बांदा काण्ड के संबंध में जारी की गई है। वह विज्ञप्ति इस प्रकार है—"चूंकि राज्यपाल की राय है कि सार्वजनिक महत्व के निम्नलिखित विषय में १२ जुलाई, १९६६ को हुई घटनाओं को जिन में पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा तथा गोली चलानी पड़ी, जिसके परिणाम-स्वरूप कुछ व्यक्तियों की जाने गईं तथा औरों के चोट आई, जांच करना आवश्यक है, अतएव कमीशन आफ इन्क्वायरी ऐक्ट १९५२ का ऐक्ट नं० ७ की धारा ३ के द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके राज्यपाल, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री जस्टिस श्री राम आसरे मिश्रा को एकल्प सदस्य जांच आयोग के रूप में नियुक्त करते हैं।" यह विज्ञप्ति जारी हुई है १७ जुलाई, १९६६ को। इसको ध्यान में रखते हुए मेरे पास १०–१५ या उससे अधिक संख्या में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचनायें आई हैं। इस समय आपके सामने जो सूचना रख रहा हूं वह श्री के० के० नायर, माननीय मतोला सिंह, माननीय जगदीश प्रसाद पाण्डेय, माननीय रियासत हुसेन तथा माननीय केशरीप्रसाद द्वारा भेजी हुई हैं और जो इस विज्ञप्ति के होते हुए भी बिक्र करने योग्य मालूम होती हैं। मैं समझता हूं और ऐसा हमारे यहां अन्य स्थानों में निर्णय हो चुका है कि जुडिशियल इन्क्वायरी की स्थिति में उन तथ्यों पर विचार हीं हो सकता जो न्यायिक जांच समिति के विचाराधीन है। इस संबंध में हमारे जो नियम ६०–६१ हैं इनके पढ़ने से यह सब स्पष्ट हो जायेगा। उन नियमों के अनुसार साधारणतः ऐसे प्रस्तावों को पेश करने की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी जो कि ऐसे विषय पर चर्चा उठाने के लिये हों जो किसी न्यायिक जांच समिति के अधीन हों या जो किसी न्यायालय के सामने पेश हों।

अब "बांदा में हुई एक घटना के फलस्वरूप संपूर्ण प्रदेश और विशेष रूप से बांदा की जनता में सरकार के विरुद्ध घोर असन्तोष और उत्तेजना है। बांदा के स्कूल, कालेज, बाजार, न्यायालय और अन्य सभी कारबार ठप्प हैं। नगर में आतंक व्याप्त है। अधिकारियों द्वारा जनता को डराया, धमकाया तथा आतंकित किया जा रहा है। वहां का सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया है।"

इस तरह का एक प्रस्ताव मेरे पास आया है। कहने का मतलब यह है कि जो साधारण नागरिक जीवन बांदा का था वह अस्त-व्यस्त हो चुका है और वहां पर सारा कारोबार ठप्प हो चुका है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वहां के निवासियों को डराया और धमकाया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जो अधिकारी वहां पर उपस्थित थे उन्होंने गोली चलवाई जब कि उसकी जरूरत नहीं थी। इसके अलावा उन लोगों का यह भी कहना है कि अधिकारी

† छापा नहीं गया।

वर्ग वहीं मौजूद हैं। उनका ट्रांसफर नहीं हो रहा है और उनके रहने से जो परिस्थितियां हैं उनमें जुडिशियल इंक्वायरी में बाधा पड़ने की संभावना है। मैं समझता हूं कि सदन गोली-काण्ड के कारणों को छोड़कर और उसके लिये कौन जिम्मेदार है, इस बात को भी छोड़कर गोलीकाण्ड के आफ्टर इफेक्ट्स पर बहस कर सकता है। सदस्यों का कहना है कि जुडिशियल इंक्वायरी के लिये ऐसे वातावरण निर्माण करने की आवश्यकता है जिससे कि नागरिक जीवन रेस्टोर हो सकें। मैं न्याय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इसको ध्यान से सुनें। मैं समझता हूं कि इस प्रकार का ऐडजर्नमेंन्ट मोशन स्वीकार करने में आप को कोई आपत्ति न होगी ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—

मुझे सिर्फ यह अर्ज करना है कि जो नोटिफिकेशन हुआ है उसमें जिन बातों का हवाला दिया गया है, जो बातें यह कमीशन तय करेगा उसमें आप देखेंगे कि उनकी जिम्मेदारी यह रक्खी गयी है कि पहले तो वह उन बातों पर गौर करेंगे और देखेंगे जिनकी वजह से ये वाकयात हुए, जिनकी वजह से इस तरह की घटना वहां पर हुई। दूसरी बात वह यह करेंगे, जो अहम है, कि जांच करने के बाद वे जिम्मेदारी फिक्स करेंगे कि किस की वजह से यह घटना वहां पर हुई। इसके साथ-साथ बहुत साफ अल्फाज में उसमें लिखा है कि उन्होंने जो काम किया, कहां तक जिम्मेदारी उनके ऊपर है। गोली जो चलानी पड़ी, उसमें कहां तक खता मैजिस्ट्रेट की थी, कहां तक पुलिस की थी और उन लोगों ने जानकर ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जिसकी वजह से गोली चलानी पड़ी। यह सब बातें कमीशन के सामने जेरे इन्क्वायरी हैं।

१२ जुलाई को बांदा में पुलिस द्वारा गोली वर्षा हुई और उससे यह नतीजा निकला। मैं अब यह अर्ज करूंगा कि अगर इसके ऊपर बहस होगी कि गोली वर्षा की वजह से यह सारी बातें हो रही हैं तो यकीनन यह आ जायगा कि वहां की पुलिस मैजिस्ट्रेसी और अधिकारी किस हद तक जिम्मेदार हैं। अगर वे जिम्मेदार हैं तो यकीनन तबादला होना चाहिए, सस्पेन्ड होना चाहिये या दूसरी कार्रवाई होनी चाहिये। लेकिन अगर हम कोई ऐक्शन इस किस्म का लेते हैं या पहले से फैसला कर लेते हैं कि ये यकीनन जिम्मेदार हैं और फौरन तबादला करना चाहिये और ऐक्शन लेना चाहिये, तो जुडिशियल इन्क्वायरी बिल्कुल बेकार हो जायगी। इस इन्क्वायरी का इतना वाइड स्कोप है कि इसमें हर वह चीज आयेगी जिससे कि वह सूरत हाल पैदा हो गयी है और जो आज बांदा में है। बांदा में वकील कचहरी में नहीं जाते हैं, स्कूल नहीं खुलते हैं, दुकानें बन्द हैं। यह सब बातें जरूर हैं। इन सब बातों में से यह हादसा होने से पहले कोई भी बात बांदा में नहीं थी। उस दिन यह वाकया हुआ। उसके फलस्वरूप यह सब फरदर डेवलपमेंट्स हुए।

मेरी अर्ज यह है कि जिस वक्त इस पर कोई बहस चलेगी यह माननीय सदस्यों को कहना पड़ेगा कि इसकी जिम्मेदारी किन अफसरों पर है। उन्होंने जिम्मेदारी ठीक से अंजाम नहीं दी, जब यह बात आएगी तो वह चीज हो जायगी जो कमीशन के जेरे इन्क्वायरी है। अगर आप ऐसा रास्ता निकाल सकें कि इस वजह से जिम्मेदारी अफसरों की है या घटना क्यों हुई और उसका जिम्मेदार कौन है, इन सब बातों का जिक्र न आए, सिर्फ जो घटना हुई उसके ऊपर आप कहेंगे तो मेरा खयाल है कि न कोई बहस चल सकती है, न यह मुमकिन होगा और आपके ऊपर भी जिम्मेदारी आ जायगी। अगर कोई शख्स कहना चाहे कि वहां हालत क्या है तो गवर्नमेंट की तरफ से बयान हो जायगा कि वहां की यह हालत है। मोशन में आपने एस० पी० के ट्रांसफर का जिक्र किया। तो यकीनी कहा जायगा कि उसकी जिम्मेदारी की वजह से हुआ या यह कहा जायगा कि उसके वहां होने की वजह से इनक्वायरी में बाधा पड़ेगी। यह सब प्रिजज किया जायगा। अगर इनक्वायरी में कहा गया कि ए : सिचुएशन क्रिएट की गयी, उसके जिम्मेदार वहां की पुलिस और सिटी मैजिस्ट्रेट नहीं थे बल्कि एजिटेटर्स थे जिन्होंने हंगामा किया, तो क्या फिर ट्रांस्फर जस्टीफाइड होगा ? और इसी बात पर इसरार किया जायगा। मैं

[श्री सैयद अली जहीर]

जानता हूं कि जो खबरें वहां फैलाई गयी हैं उनकी वजह से वहां एक ऐटमास्फियर अफसरों के खिलाफ पैदा हो गया है। आया वह ऐटमास्फियर जस्टीफाइड है या नहीं, यह कमीशन को तय करना है। उसके ऊपर यहां बहस करेंगे तो जरूर एक किस्म से प्रि-जज करना होगा। कहा जायगा कि इसके जिम्मेदार वही अफसर हैं और सरकार को कोई न कोई ऐक्शन लेना चाहिए।

यह इस तरह का मोशन है, बराबर आपकी रूलिंग हो चुकी है, मेरे खयाल में इलाहाबाद में फायरिंग हुई थी तब भी मामला उठाया गया था और उस वक्त तय हुआ था, स्पीकर्स डिसीजन नम्बर ३७, सफा ७४, १९५२–६२, उसको देखेंगे, जब इनक्वायरी होने जा रही है तब उस घटना पर बातचीत नहीं हो सकती। अगर उस घटना पर बातचीत नहीं हो सकती तो जाहिर है कि उस घटना के फलस्वरूप जो बातें पैदा हो गयी हैं उन पर अगर बहस की जायगी तो लाजिमी है कि उस घटना पर बहस हो जायगी। चूंकि इनक्वायरी कमीशन बन गया है, उसके सामने बहुत व्यापक सवालात रख दिए गए हैं, उनका जिक्र यकीनन आएगा। जाहिर है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमको दिक्कत पड़ेगी। हम कोई फैसला पहले से नहीं कर सकते। हम इंतजार करेंगे कि क्या रिपोर्ट आती है। लेकिन अगर अपोजीशन पर पाबन्दी नहीं होगी तो अफसरों पर इल्जाम लगायेंगे और उनको जिम्मेदार ठहरायेंगे कि उनकी वजह से यह सूरत पैदा हो गयी है। कोई स्पीकर बैठ कर इसको रोक नहीं सकेगा। ऐसी सूरत में इस स्टेज पर डिस्कशन एलाऊ करना मुनासिब नहीं होगा।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मन्त्री ने जो विचार व्यक्त किया है उस के सम्बन्ध में उत्तर देना चाहता हूं। बांदा में फायरिंग हुई। यह फैक्ट स्वीकृत है। इसके दो परिणाम हुए। एक तो यह कि किसने फायरिंग की, मैजिस्ट्रेट का या एस० पी० का दोष था फायरिंग कराने के लिए? यह विचारणीय विषय है जो रेफर किया गया। मैं इसके बारे में कहना नहीं चाहता। दूसरा पहलू यह है कि उसका परिणाम क्या हुआ? आतंक चारों तरफ फैला हुआ है। दूकानें बन्द हैं। विद्यार्थी स्कूल कालेज में नहीं जाते। इतना जिम्मेदार तबका वकीलों का है, वह नान कोआपरेट कर रहा है। हजारों की तादाद में क्लायंट्स उनकी सेवाओं से वंचित हैं। इससे ज्यादा आतंक का वातावरण नहीं हो सकता। यह सब विचारणीय विषय नहीं हैं, कमीशन के सामने। दूसरी बात आपने कहा मैजिस्ट्रेट के ट्रांसफर के लिए, एस० पी० के ट्रांस्फर के लिए, पुलिस वालों के ट्रांसफर के लिए, मैंने कहा सरकार के हाथ में सत्ता है। सरकार के हाथ में पुलिस है, मैजिस्ट्रेसी है। अभी परसों मुझे हजरतगंज पुलिस थाने में जाने का मौका पड़ा। आप लोगों की कृपा से मैं विरोधी दल का नेता हूं। मेरे साथ यह व्यवहार हुआ। मैंने कहा कि एक आदमी को देखना चाहता हूं। कहा कि कौन है? मैंने कहा कि मेहतर है। कहा—क्या आपका रिश्तेदार है? मैंने कहा कि आप स्वयं समझ सकते हैं कि मैंने अपना नाम माधव प्रसाद त्रिपाठी बताया है। उस नालायक सी० ओ० ने मुझसे ऐसा प्रश्न किया।

श्री अध्यक्ष—

जरा शान्ति से बोलें।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

पुलिस एक ऐसी संस्था है जो गवाहों को निष्पक्ष रूप से आने नहीं देगी। उन्होंने बहुत इस पर बल दिया कि कहा जायगा कि मैजिस्ट्रेट और एस० पी० के ट्रांसफर हों। कमीशन यह जांच नहीं करेगा कि एस० पी० का ट्रांसफर करें या न करें। कमीशन यह निर्णय देगा कि किस का कुसूर है, मैजिस्ट्रेट का या एस० पी० का। वह भी चाहते होंगे कि स्वतन्त्र निर्णय हो। स्वतन्त्र एविडेंस तभी आ सकती है जब कि उनका ट्रांसफर हो जाय। जितनी बातों का मैंने उल्लेख किया है उन में एक भी बात ऐसी नहीं है जिस पर कमीशन निर्णय देगा। आतंक

पर निर्णय देगा ? अशांत वातावरण पर कमीशन निर्णय देगा ? मुझे आशा है कि अगर आपका डिस्कशन ५० फीसदी होगा तो इस विशेष परिस्थिति में ६० फीसदी इधर आएगा और ४० फीसदी उधर जायगा, जिसके पास सत्ता है उधर विवेक नहीं झुकेगा। इन शब्दों के साथ में अपने विचार सदन के सम्मुख रखता हूं।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

अध्यक्ष महोदय, आज प्रश्न यह है कि बांदा गोली काण्ड पर विवाद किया जाय। मान्यवर, माननीय न्याय मन्त्री ने बहुत सुन्दर ढंग से उस प्रश्न को रखा था। मैं माननीय न्याय मन्त्री को बधाई देता हूं। उन्होंने बड़े सुन्दर ढंग से इस चीज को पेश किया। आखिर में डिस्कुशन आप पर छोड़ा। उन्होंने कहा कि इन-इन बातों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आप को विश्वास हो कि डिबेट को इस तरह से किया जा सकता है कि कमीशन के अन्तर्गत जो विषय है उसकी चर्चा नहीं होगी तो आप विवाद करवा सकते हैं।

मुझे इस सम्बन्ध में दो तीन बातें कहनी हैं। हमारे नियमों में आमतौर पर यह है कि जुडीशल इनक्वायरी सेटअप हो जाने के बाद ऐडजर्नमेंट मोशन नहीं आ सकता। काउन्सिल के चेयरमैन ने ऐडजर्नमेंट मोशन तो नहीं माना लेकिन उन्होंने इस की घोषणा की कि इस पर विवाद किया जा सकता है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं, कानून की बात, आप मुझ से अधिक जानते हैं, टेक्निकली स्पीकिंग जुडीशल इनक्वायरी के बाद मामला सब्जुडिस नहीं हो जाता। प्रोपराइटी का तकाजा है कि ऐसी बात न कही जाय जिसका जजमेंट पर असर पड़े। मैं ज्यादा मिसालें नहीं देना चाहता, जिस समय बनारस के विद्यार्थियों का मामला हुआ था उस समय जुडीशल इनक्वायरी बिठा दी गयी थी। एक जज नियुक्त कर दिया गया था। फिर हाउस के अन्दर विवाद होने का मौका आपने दिया था। एक बात सही है जिस समय विवाद होता है तो इतनी बारीक डिवाइडिंग लाइन होती है यह आपके देखने की बात है कि आप परमिशन दें या न दें। जो घटना हुई उससे काफी क्षोभ है। आठ दिन से बाजार बन्द है। कचेहरियों में वकील नहीं जा रहे हैं। इस सदन के सामने मोटे तौर से यह बातें आ जायं, उन बातों को बचाते हुए जो कंट्रोवर्शल बातें हैं, जिन पर कमीशन को वर्डिक्ट देना है, तो आपत्ति नहीं होगी। एक बात और कहना चाहता हूं। आज इस बात का प्रश्न नहीं है कि इनक्वायरी हमने बिठा दी। उससे लोगों में सन्तोष भी है। क्योंकि चीफ मिनिस्टर ने इतनी जल्दी कदम उठाया। यह बात सराहनीय है। लेकिन सही या गलत अगर लोगों के मन में भाव हो कि वर्तमान स्थिति कायम रखने से फेयर और इम्पार्शल इनक्वायरी नहीं हो सकती है तो उसको दूर करने का कर्तव्य हो जाता है। एस० पी० के ट्रांसफर की बात आयी। वह कोई जुडीशल मैटर नहीं है, ऐडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। अगर लोगों के दिल में यह भावना हो कि कोई ऐसी चीजें की जा रही हैं जिससे लोग फ्रीली इनक्वायरी कमीशन के सामने नहीं आ सकते तो चूंकि कमीशन यह तय नहीं करेगा कि ट्रांसफर किया जाय या न किया जाय, वह तय करेगा कि पुलिस ने कितना फोर्स इस्तेमाल किया, वह विद्दिन लिमिट्स था या नहीं, तो मैं इस बहस में न जाते हुए कि ऐडजर्नमेंट मोशन स्वीकार हो या न हो यह जरूर चाहता हूं कि जब इतनी महत्वपूर्ण बात हमारे सामने है तो हाउस को मौका दें कि इस पर विवाद किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

अब इस सम्बन्ध में मैं अपने विचार रख दूं। एक बात मैं बताना भूल गया था कि इसमें माननीय टम्ब्रेश्वर प्रसाद का भी नाम है। जैसा कि माननीय नवलकिशोर जी ने कहा, कुछ बातें ऐसी हैं जिन बातों के सम्बन्ध में न्यायिक जांच आयोग अपने विचार प्रकट नहीं कर सकता। यह ठीक है कि बहस के क्रम में कहीं-कहीं कुछ अंश में थोड़ा-सा गोली काण्ड का तजकिरा आ सकता है, इसमें शंका नहीं। सवाल यह है कि अगर कहीं गोली काण्ड का जरा सा अंश आ जाय तो क्या यह हाउस अपने राइट्स को सरेन्डर कर सकता है ? हमारा अधिकार यह है कि हम सरकार से यह मांग करें कि परिस्थितियों को स्थापना करावे जिससे वहां आतंक-

[श्री अध्यक्ष]

रहित और स्वतन्त्र वातावरण उत्पन्न हो। बांदा में ऐसी स्थिति स्थापित हो जिसमें सरकार के प्रति और सरकार के अधिकारियों के प्रति विश्वास स्थिर हो और जनता के हृदय की जो भावना है उन सब का सम्मान हो। इन सब बातों को दृष्टि में रखते हुए मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव इस शर्त के साथ स्वीकार किया जाय कि माननीय सदस्य गोली काण्ड की घटनाओं के सम्बन्ध में वाद-विवाद न पैदा करें और उसके डिटेल्स में न जायं। जैसा नेता विरोधी दल ने कहा कि यह एक निश्चित बात है कि गोली काण्ड हुआ। सही या गलत हुआ, कौन जिम्मेदार था, कौन नहीं था, यह विषय न्यायिक जांच आयोग के विचाराधीन है। अब केवल इस पर विचार अवश्य हो सकता है कि जो स्थिति इस वक्त है उसको दूर करने के लिए क्या काम करना चाहिए। उनकी तरफ से जैसी मांग है कि अधिकारी वर्ग का स्थानान्तरण हो, आप उसके सम्बन्ध में कह सकते हैं। सरकार जब दोनों तरफ की बात सुन लेगी तब निर्णय करेगी कि क्या होना चाहिए। इस शर्त पर मैं इस प्रस्ताव को स्वीकार करता हूं कि गोली काण्ड के तथ्यों पर जो तमाम बातें न्यायिक जांच आयोग के विचाराधीन हैं उन पर बहस न हो कर केवल उन बातों पर विवाद होगा जो वर्तमान स्थिति है। गोली काण्ड के तथ्यों पर या उन बातों पर जो न्यायिक जांच आयोग के विचाराधीन हैं, विवाद अगर होने लगेगा तो मुझे रोकना पड़ेगा। माननीय सदस्य इस बात का ध्यान रखेंगे कि उन बातों पर विचार न करें। अन्त में, माननीय न्याय मन्त्री ने हमारा ध्यान आकर्षित किया है संकलन के पृष्ठ ७४ पर, निर्णय के सम्बन्ध में। पृष्ठ ७५ पर निर्णय ३९ में भी इसी प्रकार का प्रश्न आया था जिसमें निर्णय हुआ था कि चूंकि कार्य-स्थगन प्रस्ताव का विषय न्यायिक जांच के विचाराधीन नहीं है, इस वजह से एजेंडर्नमेंट मोशन आ सकता है। इसमें माननीय पटेल के निर्णयों का भी उद्धरण है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि इस पर विचार हो उसी सीमित क्षेत्र में, जो मैंने निवेदन किया है और यह ४ बजे या उसके पूर्व अगर कार्य समाप्त हो जाय तो उसके तुरन्त बाद ले लिया जायगा।

(व्यवधान)

अब चूंकि आपत्ति हुई है इसलिए मैं माननीय टम्बेश्वर प्रसाद से कहूंगा कि वह अनुज्ञा मांगें।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला संतापुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, बांदा में जो स्थिति है वह अत्यन्त भयानक है। उस स्थिति पर विचार करने के लिए मैं चाहता हूं कि सदन इस कार्य-स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दे।

श्री अध्यक्ष—

जो अनुज्ञा देने के पक्ष में हों, वह खड़े हों।

(सदस्यों के खड़े होने पर)

३६ से अधिक सदस्य इसके पक्ष में हैं, अतः यह अनुज्ञा दी गयी।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मैं आप को वाराणसी विश्वविद्यालय गोली काण्ड के सम्बन्ध में याद दिलाऊं। आप इस पर सदस्यों के जो भाषण हों उनको कमीशन के पास गवाही के रूप में भेज देंगे। उससे कमीशन को मालूम होगा कि सदस्यों की क्या राय है।

छितौनी बांध टूटने के फलस्वरूप किसानों में व्याप्त असन्तोष के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय रियासत हुसैन की सूचना को मैंने स्वीकार किया है। वह इस प्रकार है—"जिला देवरिया में ग्राम भेदीहारी के पास १४ मील लम्बा छितौनी का बांध गंडक नदी में जिसको नारायणी भी कहते हैं पानी आने के कारण टूट गया है, जिसके कारण हजारों कुटुम्ब बेघर हो गए हैं और उस इलाके में फसलें बरबाद हो गयी हैं।

अभी वर्षा ऋतु शुरू ही हुई है। और इस बांध के यकायक टूट जाने से जिला देवरिया व गोरखपुर के सैकड़ों ग्रामों के किसानों में बेचैनी फैली हुई है, और त्राहि-त्राहि मची हुई है जिसकी वजह से जिला देवरिया व गोरखपुर की जनता में असन्तोष और अविश्वास की भावना फैल गयी है।"

मन्त्री जी, इस पर कब वक्तव्य देंगे?

शिक्षा उपमन्त्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

कम से कम एक हफ्ते का समय दे दीजिए।

हरिद्वार में सोमवती अमावस्या के अवसर पर घटी घटना के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

अब माननीय हिम्मत सिंह, माननीय मुकुटबिहारी लाल, माननीय जगन्नाथ राव, माननीय राजेन्द्रसिंह की एक नियम ५२ की सूचना है।

"कल हरिद्वार में सोमवती अमावस्या के अवसर पर एकत्र गंगा स्नानार्थियों की व्यवस्था में सरकारी कुप्रबन्ध के कारण १७ व्यक्ति मौत के घाट उतर गए, सैकड़ों घायल हुए, जिनमें से कितनों की ही हालत चिन्ताजनक है। मृत व्यक्तियों में बच्चे तथा महिलाएं भी हैं।" इसको केवल वक्तव्य के लिए मैंने स्वीकार किया है।

शिक्षा उपमन्त्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

अगले हफ्ते इसको भी रखिए।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यानाकर्षणार्थ अन्य सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

माननीय नाथूराम की एक शिकायत है कि प्रयाग जिले में अवर्षण के कारण सूखे की दशा व्याप्त हो गयी है। इसे मन्त्री जी के पास विशेष ध्यान के लिए भेज रहा हूं। इसी प्रकार माननीय लखपतराम शर्मा की झांसी नगरपालिका के सम्बन्ध में शिकायत है। एक माननीय दीपनारायण सिंह जी की शिकायत नहरों से पानी न देने के सम्बन्ध में नहर विभाग के खिलाफ है। यह भी मन्त्री जी के पास भेज रहा हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

मैं कहना चाहता था कि प्रदेश के ५४ जिलों में शायद कोई जिला बाकी रहा हो जहां ऐसा न हुआ हो कि पहले वर्षा हुई उसके बाद एक महीना बीत रहा है, जो फसल उगी थी सब

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

झुलस गयी है। मैं चाहता हूं कि सरकार की ओर से एक विस्तृत रिपोर्ट आनी चाहिए और उस पर सदन में गम्भीरतापूर्वक विचार होना चाहिए। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप राजस्व मन्त्री जी से कहें कि इस प्रकार की रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करें।

श्री अध्यक्ष—

मैंने आज सवेरे भी कहा था, इस प्रकार की सूचनाएं आ जायं समस्त उत्तर प्रदेश की लेकिन तीन-चार ही अभी आयी हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

सारे प्रदेश की सूचना दे रहा हूं। सब से मैंने बात की। कहीं वर्षा नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष—

मैं एक बात कह देता हूं तो उस पर बहस शुरू हो जाती है। थोड़ा-सा लिख कर दे दें तो क्या कठिनाई होगी ?

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

एक सूचना नियम ५३ में आपकी सेवा में भेजी थी।

श्री अध्यक्ष—

उसको मैंने देखा नहीं है।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन है कृपया उसे सुन लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

वह मैं समझ गया। आपका वह प्रस्ताव यदि उचित समझूंगा तो उसे माननीय मन्त्री जी के पास भेज दूंगा।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत एक सूचना दिया था। आपने सबकी बातें सुन लीं और सबको उत्तर दे दिया इसलिए मेरी भी बात सुन लीजिए।

श्री अध्यक्ष—

आपको क्या कहना है ?

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मेरा निवेदन है कि आज हाईकोर्ट बन्द है, सरकारी सचिवालय बन्द है। कार्यवाही का कोई पता नहीं है। सरकार का सारा काम बन्द है। कल आपने लाठी चार्ज पर वक्तव्य दिलवा दिया था। इसलिए मेरे प्रस्ताव को भी मंजूर कर लीजिए।

श्री अध्यक्ष—

इस पर अब कुछ नहीं हो सकता, उसे मैंने अस्वीकार कर दिया है।

प्रतिनिहित विधायन समिति के लिये विधान परिषद् के चार सदस्यों के मनोनयन का प्रस्ताव

श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव (जिला लखनऊ)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि सभापति, विधान परिषद्, से यह निवेदन किया जाय कि यदि विधान परिषद् सहमत हो तो वे उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति (१९६६–६७) में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के चार सदस्यों को मनोनीत कर के उनके नाम भेजने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन उक्त प्रस्ताव से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

लोक-लेखा-समिति (१९६६–६७) के लिये विधान परिषद् के पांच सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सदन उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से संस्तुति करता है कि विधान परिषद् के पांच सदस्यों को विधान सभा की वित्तीय वर्ष १९६६–६७ की लोक लेखा समिति में सहयुक्त सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करे। यदि विधान परिषद् इस प्रस्ताव से सहमत हो, तो ऐसे पांच सदस्यों के नाम इस सदन को भेजने की कृपा करे।"

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन उक्त प्रस्ताव से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

दि बिहार ऐन्ड उत्तर प्रदेश (आल्टरेशन आफ बाउन्डरीज) बिल, १९६६†

*माल मंत्री (श्री हुकुम सिंह बिसेन)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि :—

"यह सदन 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद ३ के प्रतिबन्धात्मक खंड के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विधान मंडल का विचार जानने के लिये राष्ट्रपति महोदय के दिनांक ४ जून, १९६६ के आदेश के साथ पठित दिनांक ७ मार्च, १९६६, के निदेश के साथ प्राप्त 'दि बिहार ऐण्ड उत्तर प्रदेश (आल्टरेशन आफ बाउन्डरीज) बिल, १९६६, से सहमत है।"

मैंने यह प्रस्ताव इसलिये रखा कि चूंकि बलिया और बिहार की बाउन्डरीज के बारे में काफी अरसे से झगड़ा फसाद चल रहा था। पहले गंगा और घाघरा के फलस्वरूप चला। उनकी धाराओं के रुख बदलते रहे। कभी उनका रुख बलिया की तरफ तो कभी बिहार की तरफ; जिससे बलिया के कुछ लोग कभी बिहार की तरफ चले गये और कभी वहां के

---

†छापा नहीं गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हुकुम सिंह विसेन]

लोग इस तरफ चले आये। इसमें काफी दिक्कतें खड़ी हुयीं और काफी रद्दोबदल आया। उधर के काश्तकारों ने उधर जोता और इधर के काश्तकारों ने इधर की ओर जोता। फलस्वरूप बहुत कत्ल हुये। इसलिये यह नतीजा निकला कि बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में एक बाउन्ड्री होनी चाहिये। किन्तु बीच में झगड़ा होने से मामला ठप हो गया। यह मामला यों ही लटकता गया। १९५२ में हमारे चीफ मिनिस्टरों की कान्फ्रेंन्स हुई और उसमें यह तय हुआ कि बाउन्डरी का मसला हल होना चाहिये। यह मसला सी० आई० डी० को दिया गया क्योंकि यह सोचा गया था कि उसके जरिये से जांच-पड़ताल करने में आसानी होगी, किन्तु बिहार ने बाद में खर्चा नहीं दिया। कान्फ्रेन्स में भी कोई काम नहीं हो पाया। इसलिये यह सोचा गया कि यह मामला किसी जज के द्वारा तय कराया जाय। इसलिये जस्टिस त्रिवेदी जी को यह मामला जांच-पड़ताल के लिये दे दिया गया। उन्होंने अपना अवार्ड दिया। उसको हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने पढ़ा और उसको मंजूर कर लिया। किन्तु जो रद्दोबदल एक दूसरे राज्य में किया जाय वह कैसे किया जाय, यह प्रश्न उत्पन्न हुआ। यही समझा गया कि इसके लिये एक कानून बनाया जाय और उसके द्वारा यह मामला तय हो जायगा। इसलिये बिल का मसविदा तैयार किया गया जो कि यहां भेजा गया है। उसको यहां पार्टी कन्सर्न्ड की राय जानने के लिये भेजा गया है। इसलिये विधान परिषद् और असेम्बली की राय लेने की जरूरत है। परिषद् ने अपनी राय दे दी है। बलिया के लोग इसके महत्व को अच्छी तरह समझते हैं। मुझे मालूम है कि असेम्बली भी अपनी मंजूरी इस बिल पर दे देगी और जब यह बिल यहां से पास हो जायगा तो यह कानून बन जायेगा।

(इस समय १ बज कर ५ मिनट पर, अधिष्ठाता, श्री जगदीश प्रसाद पीठासीन हुये।)

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह जो विधेयक इस सदन में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। मान्यवर, इस प्रस्तुत विधेयक का मैं इसलिये स्वागत नहीं करता कि इसका बड़ा आकार करने की बात इसमें है, बल्कि इसलिये स्वागत करता हूं कि, मान्यवर, उत्तर प्रदेश और बिहार में, बलिया और शाहाबाद के बीच नदी की जो धारा सीमा निर्धारण करती है उसमें सैकड़ों गांव दुविधा में पड़े हुये थे। इसलिये बलवे और कत्ल हुये हैं और काफी खून-खराबी होती रही है। १९६३ में एक कानून बनाया गया सैकड़ो गांव के भोले-भाले किसानों के लिये। श्रीमन्, आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि यह मामला बहुत लम्बे समय से लटका हुआ है। मैं समझता हूं कि इससे उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों में काफी झगड़े हुये और इस कारण मैं अनुभव करता हूं कि उत्तर प्रदेश के अधिकांश अधिकारी इस मामले को समझने की कोशिश नहीं किये हैं, इसका मुझे अफसोस है। श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस समस्या को समझने की कोशिश नहीं की गई है और यही कारण है कि आज तक यह मामला लटका हुआ है। राष्ट्रपति महोदय ने जो इसको सदन की राय जानने के लिये भेजा है उसमें भी काफी देरी हुई है। हमारे विधान मंडल में यह बिल पिछले सत्र में रखा गया था किन्तु उस वक्त भी ऐसी दुर्घटना हुयी कि यह बिल न आ सका। इस विधेयक को बिहार के विधान मंडल के सामने भी नहीं रखा गया है। इसलिये यह कोशिश की जायेगी कि इसके लिये बिहार सरकार टाइम मांगेगी और फिर इसको लटका दिया जायेगा। मुझे यह पता चला है कि यह मामला १९६७ तक लटका दिया जायेगा। वहां के अधिकारी यह चाहते हैं, वहां के मंत्री हो या चाहे वहां के अधिकारी, सभी यही चाहते हैं। सबसे पहले बिहार सरकार १९४८ में उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच जो दुविधापूर्ण स्थिति थी उसको हल करने के लिये सहमत थी कि सीमा का निर्धारण किया जाय, लेकिन अब पता नहीं वे इसको क्यों लटकाते जा रहे हैं। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं और खास तौर से राजस्व मंत्री जी

से कि आप स्वयं दिलचस्पी लें और जल्दी से इस मामले को निपटाने का प्रयत्न करें। केन्द्रीय सरकार से भी प्रयत्न करायें ताकि यह कानून का रूप ले ले।

जब हमारे स्वर्गीय पन्त जी जीवित थे और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे वे बिहार के मुख्य मंत्री से मिले थे और उनसे सीमा निर्धारण के लिये बातचीत की थी। वे पन्त जी की बात को मान गये थे और सीमा निर्धारण के लिये तैयार हो गये, किन्तु बिहार के मुख्य मंत्री ने बहुत ही होशियारी से काम किया जिसके फलस्वरूप आज हमारे उत्तर प्रदेश के ५० गांव बिहार में जा चुके हैं। बिहार की सीमा से लगा हुआ एक मौजा है जो कटनी टोला कहलाता है। उसमें करीब १,५०० कुनबे हैं। वहां के ९० फीसदी परिवार चाहते हैं कि बलिया में आ जांय। एक सरदार जी थे वे ठाकुर साहब के पास गये और कहा कि हम सब लोग बिहार में जाना चाहते हैं। उन्होंने राय दे दी। आज हम लोगों पर दबाव पड़ता है कि क्यों बिहार में जा रहे हो। वहां के लोग बलवा और कत्ल किया करते हैं और उनका असर बिहार सरकार पर भी है। बिहार के मंत्रिगण उनके यहां दावत खाते हैं। सुधर छपरा की जनता भी बिहार में नहीं जाना चाहती है। आज भी उस गांव की दुर्दशा है। उस गांव के किसानों का कागज में नाम है, वह लगान देते हैं, लेकिन वह फसल बो नहीं पाते और अगर बो पाते हैं तो काट नहीं पाते। बारह-बारह साल से दफा १४५ के मुकदमे चल रहे हैं। वहां के लोग बीस-बीस मील पैदल जाते हैं और अपने मुकदमे की पैरवी करते हैं। पिछले साल सुधर छपरा के लोगों को भाला मारा गया और कहा गया कि बन्दूक से उड़ा दिया जायगा। भाले से पेट चीत कर लिखवा लिया गया और शाहाबाद के एस० पी० और कलेक्टर ने कोई मदद नहीं की। वहां की वह स्थिति है जो पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल की सरहद पर भी नहीं है। पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल की सरहद पर अमन-चैन है, लेकिन बलिया की सरहद पर अमन —चैन नहीं है।

भारतवर्ष में जहां एक ही पार्टी की सरकार है, जहां कानून की मर्यादा है, वहां हमारे उत्तर प्रदेश के किसान के जान-माल की रक्षा नहीं हो रही है। आखिर इसका कोई इलाज है या नहीं? सुधर छपरा तो चला गया बिहार में। मैंने त्रिवेदी जी से कहा कि रोज-रोज के झगड़े, कत्ल और बलवों के बन्द करने के लिये स्थायी सीमा का अंकन होना चाहिये। उन्होंने कृपा कर के स्थायी सीमा का फैसला दे दिया। हमारे यहां दो-चार गांव हैं जो बिहार से कट कर आये हैं जिनमें अधिकांश किसान बिहार के हैं। हमारे यहां मतियार दियारा का गांव है। वहां लोगों ने कहा कि बिहार में जाना चाहते हैं। हमारे यहां से कोशिश नहीं की गयी कि उत्तर प्रदेश में रहना चाहिये। हमने कहा कि 'वह जाना चाहते हैं, जायं।' वहां एक सज्जन रघुनाथ प्रसाद हैं। वह लोगों की जमीन खरीदता है और सरहदी लोगों को ठेके पर दे देता है और लाखों रूपया वसूल करता है। अभी एक झगड़ा खड़ा हो गया। गोपालनगर १८४२—५० के बीच में बिहार का एक गांव बना है। उस गांव की उत्तरी सरहद मतियार दियारा से मिली है। कागज में दो सौ एकड़ बढ़ा दिया। मैंने कहा गोपालनगर का नकशा फैलाकर नाप दो। उतना पत्थर गाड़ दो, उसके बाद मतियार दियारा नाप लो। हमारे हाकिम परगना ने एक हजार रुपया रिश्वत लेकर खड़े होकर उसको लुटवा दिया। मैं कहना चाहता हूं, माननीय राजस्व मंत्री से, कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी कहां हैं? आज उसको चकबन्दी के लिये ए० ओ० सी० नियुक्त किया गया। ऐसे अफसर छांट-छांट कर मंत्री जी चकबन्दी में रख ले तो चकबन्दी का नाश हो जायगा, जिसने एक हजार रुपया लेकर दो सौ एकड़ जमीन बिहार में देने की साजिश की। १२५ गांव बिहार में चले गये। जो गांव बिहार से उत्तर प्रदेश में आये हैं, अधिकांश गांव १८४० से पहले उत्तर प्रदेश में थे। लेकिन मैं मानता हूं कि बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों भारतवर्ष के अंग हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार के बहुत घनिष्ट संबंध हैं। हमारी सारी रिश्तेदारियां छपरा जिले से हैं। मैंने त्रिवेदी जी से कहा था कि बिहार का ए० डी० एम० हमारी तरफ आकर नारे लगवा रहा है। यह चाहें तो हमारे घरों में नारे लगवा सकते हैं। उनकी लड़कियां हमारे घरों में बैठी हैं। चाहें तो उनसे नारे लगवा सकते हैं।

[श्री मैनेजर सिंह]

हम यह चाहते थे कि स्थायी सीमा का अंकन हो। हमें खेद यही है कि हमारे यहां के अधिकारियों की लापरवाही से दर्जनों ऐसे गांव है, जैसे रुद्रपुर है, जो झगड़े की सूची में नहीं आये। एक जंवई गांव है। जंवई में दो मौजे विलीन हो गये थे। जंवई गांव खंडित हो रहा है। इसकी जिम्मेदारी राजस्व विभाग पर है। दोनों गांव झगड़े की सूची में आये, दोनों बिहार में चले गये। आम तौर से १८४२ का नक्शा आधार रहा है। यह दो गांव १८४२ के पहले बिहार में थे इसलिये बिहार को दे दिया यद्यपि दोनों गांवों की सूची में नहीं आना चाहिये। राजस्व विभाग की लापरवाही से कई मौजों से हमें हाथ धोना पड़ा है। आज जो स्थायी सीमा का निर्णय त्रिवेदी जी ने दिया उसका श्रेय राजस्व विभाग के मौजूदा कर्मचारियों को देना चाहिये। यदि मैं ऐसा नहीं करता हूं तो शायद अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करूंगा। पिछले वर्ष त्रिवेदी जी इस सिलसिले में बिहार में गये, बलिया गये और यहां लखनऊ भी आये। राजस्व विभाग के कर्मचारियों ने रात दिन काम किया। उसका फल है कि त्रिवेदी जी प्रभावित हुये। उन्होंने उत्तर प्रदेश के ९० फीसदी तर्कों को माना है। करीब डेढ़ महीना बलिया के जिलाधीश शायद चार घंटे भी सोये नहीं होंगे। राजस्व विभाग के अधिकारियों ने रात-दिन परिश्रम किया। मैंने उनके साथ रात दिन दौरा किया। त्रिवेदी जी भी काफी प्रभावित हुये। उन्होंने पूछा कि आप लोगों को कुछ और कहना है? कहा कि कुछ नहीं कहना है। आपका निर्णय प्रत्यक्ष रूप से स्थायी सीमा के पक्ष में हो गया है। मैं पहले से अपना एलान कर दूंगा कि त्रिवेदी जी का निर्णय स्थायी सीमा के पक्ष में हो गया। वह हंसने लगे। मैं पुनः राजस्व विभाग के प्रति अपना आभार प्रगट करना चाहता हूं जिन्होंने त्रिवेदी जी के साथ रात दिन परिश्रम किया। जब कभी कोई समस्या रखने की कोशिश की, उन्होंने सहानुभूति-पूर्वक विचार किया, स्वयं अधिकारियों को सतर्क किया और केन्द्र को भी बार-बार लिखते रहे हैं। मैं उनसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप केन्द्र पर दबाव डालें कि जो अक्टूबर तक की सीमा दी है उसके लिये केन्द्रीय सरकार बिहार सरकार पर दबाव डाले कि अक्तूबर के पहले केन्द्रीय सरकार के पास उनकी सहमति आ जाय ताकि संसद के सामने विधेयक पेश किया जा सके।

मान्यवर, मुझे स्वयं बहुत प्रसन्नता है कि आज बहुत दिनों के बाद यह विधेयक स्थायी सीमा के लिये प्रस्तुत किया गया है। जब मैं १९६२ के चुनाव के सिलसिले में दियारा इलाके में घूम रहा था तो हमसे दो साथी मिले। एक से बातचीत हुई। मैंने कहा कहिये, ओझा जी, कौन-सी बीमारी हुई? वह रोने लगे। जवाब नहीं दिया। उन्होंने मुझसे पेट की तरफ इंगित करके कहा कि केवल भूख की बीमारी है। मैं अवाक् रह गया। कुछ खो-सा गया। जो मेरे पास चार रुपये थे, मैंने दिये। मैंने कहा कि फिर बाद में मिलूंगा। उसके बाद तुरन्त, एक सभा में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की सभा में माननीय रामानन्द तिवारी आये हुये थे। उनका कार्यक्रम था। मैंने उस सभा में यह कहा कि जिस क्षेत्र की जनता नारकीय जीवन बिताती हो, उस क्षेत्र के प्रतिनिधि के लिये विधान सभा में बैठना गौरव की बात नहीं है। यदि स्थायी सीमा का हल नहीं होता तो यहां के प्रतिनिधि को विधान सभा में नहीं बैठना चाहिये। मैंने उस सभा में भावावेश में कहा, यदि मेरे चुने जाने के तीन साल के अन्दर स्थायी सीमा का निर्धारण नहीं होगा तो मैं विधान सभा से इस्तीफा देकर आपके बीच में आऊंगा। तिवारी जी ने कहा कि यह नौजवान भावावेश में बोल गया। यह लड़कपन में कह गया, जोश में कह गया, इसकी बात सही न मानिये। मैंने फिर कहा। मैंने भावावेश में कहा था लेकिन मैं अडिग हूं। अगर स्थायी सीमा का निर्धारण नहीं होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा।

श्री हुकुम सिंह विसेन—

इस प्रस्ताव से इन बातों का क्या मतलब?

श्री मैनेजर सिंह—

इसकी अहमियत क्या है बलिया जिले के लोगों के लिये, वह मैं सामने रखना चाहता हूं। १९६३ में जब त्रिवेदी जी आने को थे, तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की सभा में मैंने कहा था कि

मैंने एक ही बचन मतदाता लोगों को दिया है। यदि तीन साल में स्थायी सीमा नहीं होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैंने कहा कि एक साल की अवधि और है। स्थायी सीमा नहीं होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उसके बाद स्वर्गीय प्रधान मंत्री शास्त्री जी को खत लिखा और कड़ा रोष जाहिर किया कि त्रिवेदी जी इस मामले को एक साल से दबाये बैठे हैं। यह मैं इसलिये निवेदन कर रहा था कि इस मामले की अहमियत बलिया जिले के लोगों के लिये क्या है, यह मालूम हो जाय। जो गांव इस फैसले के अनुसार आपके यहां आये हैं उनकी बड़ी दुर्दशा है। आज उनके साथ बिहार के अधिकारी बड़ा दुर्व्यवहार कर रहे हैं। आज वह अपने घर में रहने में असमर्थ हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी केन्द्रीय सरकार और बिहार सरकार का ध्यान आकर्षित करें और बाढ़ से रक्षा का उपाय करें। जिले के अधिकारियों को आदेश दें कि स्थायी सीमा और गंगा के बीच जो गांव पड़े हैं इनको बाढ़ से बचाने के लिये और जो गांव सीमा से प्रभावित हुये हैं उनके लिये समुचित प्रबन्ध करें। मैं पुनः राजस्व मंत्री को और उनके अधिकारियों को जो उन्होंने परिश्रम किया स्थायी सीमा के निर्धारण के लिये, उनको मैं बधाई देता हूं। वह केन्द्रीय सरकार पर दबाव डालें कि जल्दी से जल्दी इस विधेयक को वह संसद में प्रस्तुत करे और स्थायी सीमा का अंकन १९६७ से पहले हो जाय।

*श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं राजस्व मंत्री द्वारा जो प्रस्तावित प्रस्ताव है उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। साथ ही मैं अपना कर्त्तव्य पालन करूंगा यदि माननीय राजस्व मंत्री को, उनके विभाग और इस कमीशन को बधाई दूं, इसलिये भी कि यह विवाद मामूली विवाद नहीं था। यह दो प्रदेशों के बीच में एक बहुत लम्बे अर्से से चला आ रहा था। अधिष्ठाता महोदय, माननीय मैनेजरसिंह ने जैसा बताया, इस इलाके की जो हालत है, बलिया जिले का जो इलाका कहा जाता है, जो बिहार के बार्डर पर है, उस क्षेत्र में जो अरक्षा की स्थिति बनी रहती थी उसका एकमात्र कारण था धूरधारा का सिद्धांत। उसका मतलब यह था कि नदी की गहरी धारा में दो प्रदेशों के बीच की सीमा बने। इस सिद्धांत से लोगों को जितनी कठिनाई हुई और जितनी जानें गईं उनका विवरण करना मैं यहां पर मुनासिब नहीं समझता। मैं उन सब बातों को कह कर इस सदन का समय नहीं लेना चाहता, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि यह बड़ी खुशी की बात है कि कमीशन ने इस मामले को हमेशा के लिये तय कर दिया है। २३ अगस्त, १९५५, को लखनऊ में एक मीटिंग हुई जिसमें दोनों प्रदेशों के मुख्य मंत्री शामिल हुये और दोनों प्रदेशों के राजस्व मंत्रियों ने भी विचार-विमर्श में भाग लिया। उसके बाद भारत सरकार के गृह मंत्रालय को बिहार सरकार ने एक पत्र भेजा जिसमें कहा कि इस मामले को किसी कमीशन के सुपुर्द कर दिया जाय। बिहार सरकार का कहना यह था और सन् १९६० में बिहार के मुख्य मंत्री ने यही सुझाव पेश किया कि जो मौजूदा हालत नदी की धूरधारा की है उसको निश्चित धारा सीमा समझी जाय। लगभग १९२ गांव या उससे भी अधिक ऐसे हैं जो हर वर्ष बाढ़ की वजह से परेशान होते हैं। कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि नदी के किनारे रहने वाले लोग बिलकुल बरबाद हो जाते हैं। सन् १९५० से लेकर आज तक बलिया जिले की सीमा निश्चित रही है।

मैं इस सिलसिले में एक बात और अर्ज करना चाहूंगा और वह यह है कि प्रादेशिक दृष्टि से कुछ गांव उत्तर प्रदेश में रहें या बिहार में इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों राज्य भारत में ही हैं। इस रिपोर्ट में भी यह सब बातें लिखी गई हैं और मेरे लिये उन्हीं सब बातों का यहां दोहराना ठीक नहीं होगा। अनिश्चित वातावरण अगर रह जाय तो काम नहीं चलता। इस तरह के इलाकों को न तो बिहार सरकार ही अभी तक अपना इलाका समझती थी और न उत्तर प्रदेश की सरकार ही। अन्त में मैं यही कहूंगा कि जो सुझाव त्रिवेदी कमीशन ने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कल्पनाथ सिंह]

दिये हैं उनको मान लेना ही हमारे हित में होगा। एक बार और मैं राजस्व मंत्री जी, उनके कर्मचारियों, त्रिवेदी कमीशन और केन्द्रीय सरकार को धन्यवाद देता हूं।

श्री यशपालसिंह (जिला सहारनपुर)—

मैं भी इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इस प्रस्ताव की डिटेल्स के बारे में माननीय मैनेजरसिंह जी ने काफी प्रकाश डाला है। मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव एक औपचारिकता को निभाने के लिये आया है। वास्तविक बात यह है कि जब तक दो राज्यों के बीच की सीमाओं का स्थायी रूप से निर्धारण नहीं होता तब तक बड़ी कठिनाई रहती है। मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार करें।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

जो प्रस्ताव आज सदन के सामने उपस्थित है, मैं समझता हूं कि वह अधूरा है। इसलिये मैं इसका आधा ही समर्थन करूंगा और मंत्री जी से प्रार्थना है कि वह इसको पूरी पास करा के भेजें। इसमें केवल एक जिलेकी समस्या है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश का जो भी जिला दिल्ली और पंजाब से मिला है उसमें ६–७ जिलों की सीमा है, २०–२५ क्षेत्र पड़ते होंगे।

श्री अधिष्ठाता—

आप तो विषयांतर कर रहे हैं। यह बिल केन्द्रीय सरकार की तरफ से आया हुआ है। इसमें कुछ जोड़ने या घटाने का प्रश्न हमारे सामने नहीं है। यह तो केवल हमारी स्वीकृति के लिये आया है।

श्री रामचन्द्र विकल—

मेरे कहने का मतलब सिर्फ यह है कि माल मंत्री जी केन्द्रीय सरकार से सिफारिश कर दें कि बिहार के साथ दिल्ली और पंजाब को भी जोड़ दिया जाय। इसमें कोई वैधानिक कठिनाई नहीं होगी।

श्री अधिष्ठाता—

यह तो पुनरावृत्ति हो गई और विषयान्तर भी। आप केवल प्रस्तुत बिल के संबंध में ही अपने विचार रखें और यह बतलायें कि आप उससे सहमत हैं या नहीं।

श्री रामचन्द्र विकल—

जो प्रस्ताव इस समय हमारे सामने है उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जितनी जल्दी केन्द्रीय सरकार इसको ऐक्ट के रूप में ला सके उतना ही अच्छा है।

*श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

अधिष्ठाता महोदय, जो प्रस्ताव माल मंत्री जी ने इस सदन के सामने प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करनेके लिये खड़ा हुआ हूं। हम लोग बलिया के रहने वाले हैं। हमारी दिक्कतें हैं। गाजीपुर भी बलिया से जुटा हुआ है लेकिन इस बिल से कोई मतलब नहीं है। मैं इस ओर अवश्य ध्यान दिलाना चाहता हूं कि गाजीपुर जिले का भी बहुत सा हिस्सा ऐसा है जिसमें यही समस्याएं हैं, वहां पर भी ऐसी ही दिक्कतें हैं। जैसा कि इस रिपोर्ट में पृष्ठ ८ पर दिया गया है कि १८८४ से १९५० तक लगभग १९२ गांवों का क्षेत्राधिकार बदलता रहा है। चार-चार, पांच-पांच बार उत्तर प्रदेश के गांव बिहार में और बिहार के गांव उत्तर प्रदेश में चले गये। इस मामले में बड़ी धांधली होती थी। इससे बड़ी-बड़ी कठिनाइयां होती थीं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

काश्तकारों में बलवे और लड़ाइयां इसीलिये होती थीं। धूरधारा का कोई ठिकाना नहीं था। दोनों पक्ष के लोग क्लेम करते थे कि जमीन हमारी है। जो बलवान होता था, जिसके पास लाठी तलवार की ताकत होती थी, वह जमीन पर कब्जा जमाए रहता था। दूसरों की फसलें काट ली जाती थीं।

ठाकुर शिवरामसिंह हमारे बीच में नहीं रहे लेकिन खुशी की बात है कि यह उन्हीं के प्रयत्नों के फल से हमें यह सफलता मिली है। हमारे वर्तमान सचिव चतुर्वेदी जी ने भी बहुत ही सराहनीय काम किया है और उप सचिव मिश्र जी ने भी बहुत अच्छा काम किया है, सही सीमा के निर्धारण में। वहां के जिलाधीशों ने भी बहुत मुस्तैदी से काम किया है। मैं ऐसे अधिकारियों को अवश्य बधाई दूंगा। साथ ही साथ श्री मैनेजरसिंह ने भी काफी समय तक अभियान किया और प्रचार किया है। इसलिये मैं उन्हें अवश्य बधाई दूंगा। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि बलिया के जो लोग हैं वे रोशनी डालते तो ज्यादा अच्छा होता। माननीय काशीनाथ जी तो बलिया के नहीं हैं। लेकिन मैं दूसरे लोगों को भी जो उधर के बैठने वाले हैं, सुनना चाहता था। लेकिन हमारी दिक्कत यह है कि माननीय मंत्री जी ने दुविधा में रक्खा है। यदि रिपोर्ट के साथ नक्शा दिया होता तो अच्छा होता। इन शब्दों के साथ मैं राजस्व मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रक्खा है उसका समर्थन करता हूं और पुनः राजस्व मंत्री को बधाई देता हूं और पुनः प्रार्थना करूंगा कि लैंड ऐक्वीजीशन ऐक्ट जिसके बारे में हमारे यहां घोर असंतोष है उस पर भी बिल जल्द से जल्द लायें ताकि हमारी कठिनाइयां दूर हो सकें। अगर आप जल्द से जल्द बिल लाने की कोशिश करेंगे तो मैं बड़ा आभारी होऊंगा।

एक सदस्य—

मुझे व्यवस्था का सवाल उठाना है। उप नेता सदन मौजूद हैं। यहां कई दिनों से अव्यवस्था चल रही है। एकाउन्ट आफिस बन्द है। मैं वहां गया, पैसा नहीं मिला। इसकी क्या व्यवस्था की गई है? मुख्य मंत्री जी झुकने को तैयार नहीं हैं। अव्यवस्था फैली हुई है। ला ऐन्ड आर्डर नहीं है। सदन कैसे चल सकेगा। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप उप नेता सदन से स्पष्टीकरण मांगें कि उन्होंने कोई फरदर एरेन्जमेन्ट किया है या नहीं।

श्री अधिष्ठाता—

मेरी सूचना यह है कि व्यवस्था कर दी गयी है। रुपया आ गया है और सदस्यों को मिल रहा है।

*श्री उदल (जिला वाराणसी)—

यह बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमाओं के बारे में जो प्रस्ताव है मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, मुख्य सवाल यह था कि सीमाओं का निर्धारण किस तरह से किया जाय। उत्तर प्रदेश की तरफ से इस बात पर जोर दिया जा रहा था कि स्थायी सीमा का निर्धारण हो और बिहार की तरफ से धूर धारा का सिद्धान्त मानने के लिये लगातार प्रयत्न किया जा रहा था जिसकी वजह से सैकड़ों वर्ष से यह झगड़ा चलता रहा जिसका नतीजा यह होता रहा कि हर साल सैकड़ों लोग लाठी और डंडे से मारे जाते थे, उनकी फसलें छीन ली जाती थीं, बिहार के लोग यू० पी० के किसानों के ऊपर नाना प्रकार के जुल्म और मुकदमें करते थे। यह बहुत बड़ा सवाल था। इसके पीछे बुनियादी सवाल था कि स्थायी सीमा हो। यह जो रिपोर्ट है इसमें स्थायी सीमा निर्धारण के लिये सिफारिश की गयी है। यह प्रशंसनीय है। सारी स स्या का समाधान आज इस स्थायी सीमा निर्धारण से हो जाता है। इसलिये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। यह बहुत ड़ा काम बिहार के लोगों के लिये, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिये होने जा रहा है। जो काम ५० वर्ष में नहीं पूरा हुआ वह आज पूरा होने जा रहा है। इसके लिये मैं बधाई देता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ऊदल]

दूसरी बात यह निवेदन करनी है कि माननीय विकल जी जो प्रस्ताव रख रहे थे कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा का भी निर्धारण हो जाय, वह एक अलग सवाल है। अगर वहां पर ऐसी समस्याएं हैं और झगड़े हैं तो राजस्व मंत्री जी को और राजस्व विभाग को इस प्रश्न को लेना चाहिये। इसमें संशोधन की कोई आवश्यकता नहीं है बल्कि वहां की समस्याओं के लिये भी राजस्व मंत्री जी का ध्यान जाना चाहिये। अगर जल्द ऐसी समस्याओं का समाधान कर सकें तो अच्छा होगा।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं धन्यवाद दूं या न दूं, लेकिन माननीय माल मंत्री जी स्वयं अपने को इस बात के लिये बधाई दे सकते हैं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के इतिहास में आज पहली बार उन्होंने एक ऐसा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिस पर विपक्ष के और इस ओर के सभी दलों के लोग बधाई दे रहे हैं। इस प्रस्ताव के पीछे एक बहुत बड़ा लम्बा-चौड़ा इतिहास है। मंत्री जी ने और अधिकारियों ने अपने केस को प्रस्तुत किया है और एक सैकड़ों वर्ष पुराने झगड़े का निबटारा करने का प्रयत्न किया है। इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। यह हो सकता है कि दस-पांच गांव ऐसे हों जिनको हम समझते हैं कि उनको हमारे क्षेत्र में आना चाहिये और इस विधेयक के अन्तर्गत न आये हों। अच्छा यही होगा यदि इस वक्त ऐसी बात न उठायी जायें। यह विधेयक एक पंच फैसले के आधार पर है। यदि उत्तर प्रदेश सरकार या राजस्व मंत्री जी यह कहते हैं कि त्रिवेदी जी की रिपोर्ट उन गांवों के बारे में तो ठीक है जो उत्तर प्रदेश को दे दिए हैं लेकिन उन गांवों के बारे में ठीक नहीं है जो बिहार में चले गए हैं, तो आप अपने केस को स्वयं खराब करते हैं। हम लोग जितनी बातें इस आरबिट्रेशन के फैसले के विरुद्ध कहेंगे, बिहार विधान सभा में वह बातें कल कही जायेंगी। इसलिये और भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब यह कमीशन का काम किया गया था उस वक्त वहां पर सारन जिले के किसान की ओर से रिट दाखिल किया गया था कि आरबिट्रेशन का फैसला नहीं माना जायगा। अभी शायद पटना हाई कोर्ट में इसका फैसला नहीं हुआ है। बिहार के लोगों का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने आरबिट्रेटर नियुक्त किया था। उनको किसी दूसरे को भी नियुक्त करने का अधिकार दिया था। प्राइम मिनिस्टर ने किसी दूसरे को अधिकार दिया। रिपोर्ट पढ़ने से मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जितने भी मेमोरेंडम प्रस्तुत किये वे सब इतने जायेज और उचित समझे गए कि रिपोर्ट ज्यादातर उन्हीं के अनुसार हुई है।

आज बड़ा गौरव का दिन है कि हमारी विधान सभा के सभी आदरणीय सदस्यों ने राजस्व मंत्री जी, राजस्व विभाग तथा यू० पी० सरकार को उसके सफल प्रयास के लिये सभी ने बधाव दी है और इस प्रस्ताव से सहमति प्रकट की है। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री मैनेजर सिंह---

मैंने कभी यह नहीं कहा कि त्रिवेदी जी ने जो फैसला दिया है वह गलत दिया है या सही दिया है। मैंने केवल इतना ही कहा था कि उत्तर प्रदेश ने अपना केस ठीक ढंग से नहीं रक्खा था।

*श्री बृज बिहारी (जिला आजमगढ़)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी अभी कल्पनाथ सिंह जी ने इस बात को लेकर कहा कि उनका संबंध बलिया जिले से है और उन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया है। मेरा भी बहुत

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ही मधुर संबंध है। मैनेजर सिंह जी के साथ मेरी विशेष दिलचस्पी इस विषय से रही है। मुझे व्यक्तिगत अनुभव बीसियों वर्ष से है। मैं इसको देख रहा हूं कि हम एक न एक मुकदमा धूरधारा की वजह से वहां लड़ते रहे हैं। कितने ही मुकदमें और फौजदारियां होती रहती थीं। सीमा निश्चित करके सरकार ने बड़ा अच्छा काम किया है। मैं तो बधाई देना चाहता हूं त्रिवेदी जी को जिन्होंने काफी परिश्रम करके इस समस्या का हल किया है। इसके साथ ही साथ मैं माननीय राजस्व मंत्री जी को, उनके विभाग के अधिकारियों को, बधाई देना चाहता हूं। इस समस्या का एक ही हल था जो आज इस विधेयक के द्वारा होने जा रहा है। १९२ गांवों में झगड़े रहते थे। कोई गांव कभी उधर चला जाता था और कभी इधर आ जाता था। इसलिये इस विधेयक को प्रस्तुत करके एक बहुत बड़ी समस्या का निराकरण होने जा रहा है। मुझे हार्दिक प्रशंसा इस बात की है कि इस विधेयक का सभी सदस्यों ने समर्थन किया है। मैं भी इसका समर्थन करता हूं —

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

श्रीमन्, मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था बलिया जिले के इन देहातों को देखने का जिनके पीछे सैकड़ों वर्ष का इतिहास है। बड़ी खुशी की बात है कि आज इस प्रस्ताव द्वारा उन लोगों की कठिनाइयों का निवारण होने जा रहा है। परन्तु दुर्भाग्य की बात है कि हमारे राजस्व सचिव, ठाकुर शिवराम सिंह, जो स्वयं बलिया जिले के रहने वाले थे और इस मामले से बहुत दिलचस्पी रखते थे, आज हमारे बीच नहीं हैं। उन्होंने इस मामले में बड़ा परिश्रम किया और बहुत पूर्ण ढंग से यू० पी० का केस रखा। उन्होंने पटना जाकर अपने अनुभव तथा जानकारी के आधार पर बिहार सरकार को भी मनवा दिया कि हमारा केस कितना मजबूत है। आपका कथन यह है कि बहुत सा भाग बिहार में चला गया है, उनका कथन यह था कि हम मुकदमा जीते हैं और मुनाफे में जीते हैं।

(इस समय २ बजकर ४१ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होती लाल अग्रवाल पीठासीन हुए।)

इसके अलावा हमारे अधिकारियों ने जो कागजात पेश किए और जिस ढंग से पेश किए उसकी त्रिवेदी जी ने भी तारीफ की है। यह कहना कि राजस्व विभाग के अधिकारियों ने विलम्ब किया, तो विलम्ब की बात तो अब है नहीं, अब तो कानूनी रूप आ रहा है। जो कुछ विलम्ब भी हुआ, उसमें भी हमारे राजस्व विभाग का कोई दोष नहीं था। सन् १९५० में यह झगड़ा शुरू हुआ और जवाहर लाल जी के सामने पेश हुआ। अब उसी के परिणाम-स्वरूप हमारे सामने यह रिपोर्ट तथा प्रस्ताव है। हमसे जितनी भी जल्दी तथा शीघ्रता से हो सका हमने किया और हमारा विभाग इसको अब और तेजी से करेगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री मैनेजर सिंह—

श्रीमन्, माननीय सभा सचिव जी ने जो कुछ कहा है उसके संबंध में मैं सफाई देना चाहता हूं। अभी मैंने स्वयं अपने राजस्व विभाग के अधिकारियों को बधाई दी। मैंने केवल यह कहा था कि सन् १९६३ के बाद जिस प्रकार से आपका केस रखा गया हो उसकी भले ही कामयाबी हुई, इसके पहले इस तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया गया। मैंने केवल इतना कहा था।

*श्री भगवान दास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

१५ वर्षों के बाद अब आकर यह तय हुआ है कि गंगा जी के पानी के बहाव के कारण कटी हुई जमीन का झगड़ा किस प्रकार तय होगा। अब १५–२० वर्ष इस बात में लगेंगे कि एक बाउन्डरी बनेगी। कब तक यह बाउन्डरी बनेगी? इस एक इलाके की समस्या के लिये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री भगवान दास यादवेन्दु]

श्री मैनेजर सिंह को बराबर बधाई दी जा रही है। उनके लिये इतना बड़ा काम कोई बहादुरी का काम नहीं है।

आज जमुना जी के पानी के बहाव के कारण भी यही समस्या है। माननीय विकल जी ने प्रश्न को उठाया। हमारी जमीन का बहुत-सा भाग कटता चला जा रहा है और दिल्ली और पंजाब की तरफ बढ़ता जा रहा है। जहां तक मुझे याद है, सन् १९५२ से आज तक यह मामला चल रहा है। जमुना नदी के बहाव के कारण किसानों की जमीन इधर कटती चली जा रही है। इससे नुकसान यह है कि हमारे राज्य की जमीन तो कम होती जा रही है और उधर पंजाब की जमीन बढ़ती चली जा रही है। इसकी अभी तक किसी को फिक्र नहीं है। मैं तो समझता हूं कि दिल्ली, पंजाब और यू० पी० बाउन्डरी के मामले को भी हमें यू० पी० और बिहार की बाउन्डरी के साथ लेना चाहिये था। यह ठीक है, जैसा कि माननीय शास्त्री जी ने बतलाया, कि इस मामले में उनके कर्मचारियों को लगातार घोर परिश्रम करना पड़ा इस समस्या को सुलझाने में। मेरा कहना तो सिर्फ यह है कि हमारे मंत्री इस काम में दिलचस्पी लेते तो यह १४ साल तक लिंगर न करता। मैं उस गरीब छोटे कर्मचारी को धन्यवाद देना चाहता हूं जिसकी मेहनत के फलस्वरूप यह समस्या सुलझ सकी। मंत्री जी को केवल धन्यवाद इसी बिना पर दिया जा सकता है कि सब कर्मचारियों ने उनके नेतृत्व में काम किया।

श्री हुकुम सिंह विसेन---

श्रीमन्, जो आपका आदेश हुआ कि मैं जवाब दूं? जवाब किसको दूं? सबने तो हमारे माफिक बात कही है और सबने हमारे प्रस्ताव से सहमति प्रकट की है। मैं खास तौर से श्री भगवानदास को धन्यवाद देता हूं। वह ऐसी जगह से आए हैं जहां चूड़ियों की बड़ी अच्छी तिजारत है। आखिर में मैं सब माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है।

श्री राम चन्द्र विकल---

पंजाब और दिल्ली के बारे में भी कुछ आप ध्यान देंगे या नहीं?

श्री हुकुम सिंह विसेन---

ध्यान दूंगा, लेकिन वक्त से। अभी उसका वक्त नहीं आया है।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि सदन "भारत का संविधान" के अनुच्छेद ३ के प्रतिबन्धात्मक खन्ड के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य विधान मन्डल का विचार जानने के लिये राष्ट्रपति महोदय के दिनांक ४ जून, १९६६, के आदेश के साथ पठित दिनांक ७ मार्च, १९६६, के निर्देश के साथ प्राप्त 'दि बिहार ऐन्ड उत्तर प्रदेश (आल्टरेशन आफ बाउन्डरीज) बिल, १९६६" से सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ।)

बांदा गोलीकांड से संबद्ध कार्य-स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा

श्री रामसुन्दर पान्डेय (जिला आजमगढ़)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या अब बांदा गोली कान्ड पर बहस की जा सकती है?

श्री उपाध्यक्ष---

ठीक है। अब हम उसी विषय पर बहस करेंगे।

श्री रामसुन्दर पान्डेय—

१२ जुलाई को बांदा पुलिस द्वारा गोली वर्षा की गई। इस घटना के फलस्वरूप बांदा की जनता में सरकार के विरुद्ध घोर असंतोष तथा उत्तेजना विद्यमान है। बांदा के बाजार, स्कूल, कालेज तथा कचेहरियां भी बन्द हैं। वकील भी कचेहरी नहीं जा रहे हैं। मुझे सूचना मिली है कि अधिकारियों द्वारा जनता को डराया-धमकाया जा रहा है तथा आतंकित किया जा रहा है। वहां पर सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। यही नहीं, क्षतिग्रस्त परिवारों को अभी तक क्षति पूर्ति के नाम पर कुछ नहीं मिला है, जिससे उनमें उत्तेजना व्याप्त है।

श्री उपाध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा इस प्रदेश की करोड़ों जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने गत १२ जुलाई को 'उत्तर प्रदेश बन्द' के सिलसिले में अपनी भावनाओं का प्रदर्शन किया। सरकार द्वारा प्रदेश में जो मालगुजारी और भूमि एवं भवन कर बढ़ाया गया और जो सिंचाई की दर बढ़ायी गयी उसी के खिलाफ यह आन्दोलन था। जनता की इच्छा के विपरीत तमाम कानूनों को जनता के ऊपर लादा जा रहा है। इन्हीं सब बातों के विरोध में संयुक्त समाजवादी दल, समाज वादी दल के दोनों पक्ष, रिपब्लिकन पार्टी तथा आर० एस० पी० ने मिलकर इस 'बन्द' का आयोजन किया था, उनको प्रदेश की करोड़ों जनता का आशीर्वाद मिला। श्रीमन् मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि यह असंभव है कि इस आयोजन का ज्ञान उधर बैठने वालों तथा खासतौर से मंत्रियों को न हो। अंग्रेजी राज्य में भी कभी ऐसा अंधेर नहीं हुआ। आज कहने को तो कांग्रेसी राज्य है और कांग्रेस के मंत्री जनता के आदमी हैं लेकिन सरकारी कर्मचारी अब बिलकुल अनुशासनहीन हो गये हैं। वे जो चाहे कर बैठते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि उनको मंत्रियों का समर्थन प्राप्त होगा। जो वातावरण इस सारे प्रदेश में व्याप्त है, मैं समझता हूं कि उससे सरकार को सबक लेना चाहिये और हर वक्त डंडा इस्तेमाल करने की बात को न सोचना चाहिये।

श्रीमन्, बांदा में गोली कांड हुआ है, उस संबंध में म अपनी राय जाहिर नहीं करना चाहता क्योंकि आप का आदेश है, वह मामला सबजुडिस है। मैं केवल इतना कहूंगा कि अगर विवेक से काम लिया जाता तो बांदा में इस गोली कान्ड की जरूरत ही न पड़ती। इस कान्ड का मुकाबला जलियांवाला बाग और बस्तर कांड से किया जा सकता है। मैं तो सरकार को स्पष्ट रूप से सावधान करता हूं और उनसे मांग करता हूं कि बांदा की घटना को लेकर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिये। जब सरकार के मंत्री स्वयं महसूस करते हैं और श्री बनारसी दास जैसे मंत्री बांदा कान्ड को देखते हैं और अपनी रिपोर्ट देते हैं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिये, जब सरकार के अधिकारी मनमाने ढंग से काम करते हैं तो स्पष्ट है कि वह समय दूर नहीं जब सरकार को कुर्सी छोड़ना पड़े। मैं तो यहां तक कहूंगा कि जो गोली कान्ड उत्तर प्रदेश के बांदा शहर में हुआ है वह इतिहास में अभूतपूर्व है। आप चीन का रेडियो सुनिये। उसने भी यह बात कही है। कांग्रेसी राज्य के लिये, जो सत्य और अहिंसा का हामी बनता है यह और शर्म की बात है। मैं तो उन शहीद परिवारों के लिये सहानुभूति प्रकट करता हूं कि जो इस अमानुषिक गोली कान्ड के शिकार हुए। यही नहीं मैं सरकार से पुर जोर मांग करता हूं कि आप ऐसे परिवारों को भरपूर मुआविजा दें। देश में और प्रदेश में इस तरह का वातावरण पैदा होना चाहिये कि भविष्य में गोली चलाने की नौबत ही न आये। गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। यह सरकार दूसरे देशों के लिये तो अहिंसक है लेकिन कमजोरों पर गोली और लाठी चलवाने में गर्व करती है। मेरा कहना है कि पहले आप अपने देश में अहिंसक बनिये और तब दूसरे देशों को अहिंसा का पाठ पढाइये। मैं श्री बनारसी दास जी से पूछता हूं कि जब सारे प्रदेश में दफा १४४ लगाई जा सकती है तो क्या वजह थी कि बांदा शहर में अधिकारियों ने दफा १४४ नहीं लगाई? मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि अधिकारियों ने जानबूझ कर ऐसा किया। जब ९ बजे दिन में एक्जीबीशन ग्राउन्ड से जलूस चला तो उसे वहीं क्यों नहीं रोक लिया गया? ऐसा मालूम पड़ता है कि अधिकारियों ने पहले से ही गोली और लाठी चलाने की स्कीम बना ली थीं। जहां तक मेरी सूचना है, भीड़ को तितर-बितर

[श्री रामसुन्दर पाण्डे---]

होने के लिये भी कोई आदेश नहीं मिला। गोली चलाने के पहले जो वार्निंग दी जाती है वह भी नहीं दी गई। सचिवालय में भी ऐसा ही हुआ। जब मैजिस्ट्रेट को सरकार की ओर से आज्ञा मिली कि गोली चलवाओ तो उसने कहा कि आप हमें लिख कर आज्ञा दीजिये। लेकिन ऐसा कोई आदेश मैजिस्ट्रेट को लिखित रूप में नहीं दिया गया।

सरकार कोई मिसाल हमारे सामने पेश करे जिसमें ८ दिन तक अदालत बन्द रही। सारे बांदा में यह हो रहा है। श्री बनारसी दास जी बांदा गये थे। उनका फर्ज था कि जनता की इच्छा को समझने की कोशिश करते और उसकी भावनाओं का आदर करते। वकीलों का तबका ऐसा है जो जनता को बतलाता है कि देश का कानून क्या है। सरकार को भी वकील कानून पर चलने का रास्ता बताते हैं। वहां के लोगों का कहना है कि पुलिस और मैजिस्ट्रेसी ने अपना फर्ज अदा न करके जनता पर जुल्म किया। इस बात का शिकायतें आई हैं कि जनता को डराया और धमकाया जा रहा है। इसलिये मैं समझता हूं जब तक कलेक्टर और पुलिस कप्तान को वहां से बदला न जायं तब तक इस मामले की जांच करना मुमकिन नहीं है। श्री राजनारायण सिंह बांदा के दौरे पर गये थे। एक वकील साहब को मैं जानता हूं जो कांग्रेस के अच्छे खासे कार्यकर्त्ता हैं। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि उन्होंने इस गोली कान्ड से क्षुब्ध होकर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। जब आप की पार्टी के लोग ही ऐसी बातें करते हैं और कहते हैं कि बांदा में लोगों पर बड़ी ज्यादती हुई है तो आपको चाहिये कि उनकी बातों पर सहानुभूतिपूर्वक बिचार करें। मेरा सुझाव तो यह है कि इसकी जांच के लिये आप को चाहिये कि तीन सदस्यों की एक जांच कमेटी बनायें जिसका चेयरमैन कोई सुप्रीम कोर्ट का जज हो। मैंने सुना है कि एक रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज को या रिटायर्ड न हो तो सर्विस में रहते हुए एक हाई कोर्ट जज का एकल सदस्य कमीशन बनाने का विचार सरकार का है। यही शिकायत हमको बनारस विश्वविद्यालय के मामले पर भी रही जहां सरकार ने श्री मिठ्ठनलाल की अध्यक्षता में एक जांच कमीशन बनाया है। श्री मिट्ठनलाल ही उसके एकमात्र सदस्य हैं और अध्यक्ष भी वही हैं। मेरा खयाल है कि एक आदमी ऐसे मामलों की निष्पक्ष रूप से जांच नहीं कर सकता। सरकार का यह फर्ज है कि वह देखें कि भविष्य में इस प्रकार गोली न चले और इस बात को देखने की कोशिश करें कि किस अफसर ने अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं किया। यही नहीं, सरकार का यह भी फर्ज है कि अपराधी चाहे वह कितना बड़ा अफसर क्यों न हो, उचित रूप से दन्ड पावें।

एक सदस्य---

मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस समय सदन में माननीय गृह मंत्री नहीं हैं। मैंने माना कि श्री बनारसी दास जी वहां गये थे लेकिन इस सदन में जनता के प्रतिनिधियों की ओर से जो बातें कहीं जाती हैं उनको सुनने की जिम्मेदारी गृह मंत्री या उनके किसी प्रतिनिधि की थी। वास्तव में देखा जाय तो गृह मंत्री पर ही बांदा में जो कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी है। यहां तो हालत यह है कि मंत्री लोग जनता के पैसे से मजे करते हैं और जब जनता की पुकार सुनने का मौका होता है तो सदन से गायब रहते हैं। न कल कोई गृह मंत्री का प्रतिनिधि यहां था और है न आज ही है। आप यदि उचित समझें तो यह आदेश दे दें कि जो मंत्री जिस विषय से संबंधित हो उस विषय पर बहस होते समय वह सदन में उपस्थित हो, मैं तो देखता हूं कि गृह मंत्री इस सदन का अनादर करने के आदी हैं।

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री वंशीधर पान्डे)---

मिनिस्टर साहब बैठे हुए हैं। माननीय सदस्य को इस तरह पर्सनल अटैक करने का कोई अधिकार नहीं है।

[श्री उपाध्यक्ष—

यह तो ठीक ही है कि जहां तक हो सके संबंधित मंत्री को हाजिर रहना चाहिये और डिबेट में हिस्सा लेना चाहिये।

श्री रामसुन्दर पान्डेय—

इस समय सदन में न तो गृह मंत्री ही हैं और न सामान्य प्रशासन के मंत्री ही हैं। उनका अधिकार श्री बनारसी दास जी नहीं ले सकते। यह तो केवल जान्ते की बात है कि कैबिनेट की ज्वाइंट रिसपांसबिलिटी है। श्री बनारसी दास जी बांदा जरूर गये थे लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि उनको कुछ करने का अधिकार नहीं था।

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसी दास)—

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्रि-परिषद् की जिम्मेदारी संयुक्त है। कोई भी मंत्री सरकार की तरफ से पूरे उत्तरदायित्व के साथ बात कर सकता है। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि लोग यहां ऐसी दलीलें दे रहे हैं जिनका न न्यायविधि से कोई संबंध है और न अन्य प्रकार का कोई औचित्य है। कोई भी मंत्री प्रश्नों का उत्तर दे सकता है, बहस में भाग ले सकता है और कोई भी मंत्री जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेन्ट या गृह मंत्री की तरफ से बोल सकता है। मैं समझता हूं कि मा० सदस्य केवल आपत्ति करने के लिये आपत्ति करते हैं।

श्री भगवान दास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

मंत्री लोग जनता की सेवा नहीं करते। वे तो अपना पेट पालते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप बैठ जाइये।

एक सदस्य—

इस तरह की अनर्गल बातें करना अशोभनीय है। सदन की व्यवस्था कायम रखना आपका कर्त्तव्य है। मैंने कई बार देखा है कि श्री टम्बेश्वर प्रसाद हमेशा सदन में व्यवस्था भंग करने की कोशिश करते हैं।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद—

मैंने पेट पालने की बात बिलकुल नहीं कही। मैंने तो केवल यही कहा था कि मंत्री लोग जनता के पैसे से मजा उड़ाते हैं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मैं यह मानता हूं कि मंत्रि-मंडल की संयुक्त रिसपांसिबिलिटी है फिर भी यह खेद का विषय है कि जब इस मामले पर बहस हो रही है तो न तो गृह मंत्री ही मौजूद हैं और न उस विभाग के उपमंत्री। मैं समझता हूं कि कुछ मंत्री जान बूझ कर नहीं आते। वे सदन की भावनाओं का ख्याल नहीं रखते। और हमारी उपेक्षा करते हैं। यह बड़ी लज्जाजनक बात है। आप भी उनकी वकालत करने लगते हैं जिससे हमको बड़ा दुख होता है।

श्री उपाध्यक्ष--]

देहली में मुख्य मंत्रियों की मीटिंग हो रही है, इसलिये मुख्य मंत्री का इस बहस में भाग लेना संभव नहीं था ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

गृह विभाग के उप मंत्री कहां हैं ? जब तमाम प्रश्नों का उत्तर एक मंत्री ने दिया तब भी हमने कोई आपत्ति नहीं की । दफा ५२ के मामलों में भी हम कोई आपत्ति नहीं करते लेकिन खेद है इस वक्त जब एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर बहस होरही है, वे लोग मौज कर रहे हैं । क्या समझ कर वे सदन में नहीं आते ? उनको समझना चाहिये कि इन बातों से विरोधी पक्षों के लोगों को ठेस पहुंचती है ।

श्री बृजमोहन लाल गुप्त (जिला बांदा)--

मैं सदन के सब सदस्यों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज हम जिस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं वह कोई दलगत प्रश्न नहीं है । वह एक गम्भीर प्रश्न है । जहां तक १२ तारीख के आन्दोलन की बात है, मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उसमें पी० एस० पी० या जन संघ का हाथ नहीं है । लेकिन बांदा का कांड एक गम्भीर कांड है और उस पर हम सबको गम्भीरता से विचार करना है । हम समझते हैं कि जो कुछ कांड हुआ उसमें जनतंत्र और लोकहितों की हत्या हुयी है । कोई भी सरकार हो, जिस देश में ऐसे कांड हो सकते हैं वहां प्रजा तंत्र की रक्षा नहीं हो सकती । मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके जो आंदोलन करने के तरीके हैं वह महात्मा गांधी के उसूलों का हनन करते हैं और इस देश की गरीब जनता के अधिकारों की हत्या करते हैं । कम्युनिस्ट पार्टी और एस० एस० पी० के लोगों ने वहां आन्दोलन किया और गांव वालों को इकट्ठा किया और उनको बहका कर लाये कि १०-१० बीघे जमीन आपको मिलेगी । आन्दोलन चलाने के लिये यही लोग जिम्मेदार हैं । मैं समझता हूं कि जिन पार्टियों के नेताओं ने गांव वालों को बहकाया और उनको यहां प्रलोभन देकर लाये वे घटनास्थल से गायब हो गये; यह विश्वासघात है । १२ तारीख को ४ बजे मैं मौके पर गया और उसके बाद जेल में लोगों से मिला । अस्पताल में मैंने सभी घायलों को देखा । डिस्ट्रिक्ट-मैजिस्ट्रेट से रात में मेरी मुलाकात हुई । मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने दफा १४४ लगाई है ? क्या गोली चलाने का आर्डर दिया है ? उन्होंने जवाब दिया कि न मैंने दफा १४४ लगाई है और न गोली चलाने का आर्डर दिया है । मैं परिस्थिति की तथ्यपूर्ण वास्तविक बातें कहूंगा । लोक तंत्र में हर आदमी को अपने अधिकारों की रक्षा करने और अपनी मांगों को रखने का अधिकार है । जब सब जगह दफा १४४ लगी हुयी थी तो बांदा में क्यों नहीं लगी ? लोग जुलूस में लाठी लेकर शहर में घूमें लेकिन सरकार ने परिस्थिति को काबू में लाने की कोई कोशिश नहीं की । जब वे कचहरी में आये तो नारे लग रहे थे । उसके बाद गर्मी हुयी और पुलिस ने सोचा कि अगर हम थोड़े से आदमियों को गिरफ्तार कर लें तो हमारा काम पूरा नहीं होगा । उसके बाद लाठी चली । जनता की तरफ से भी लाठी का जबाव लाठी से दिया गया । गोली चलाने वाले लोगों में बहुत जिम्मेदार लोग थे । उनके नाम देना मुनासिब न होगा । गोली चलाने के बाद के वाकयात जो हैं वह बहुत गम्भीर हैं और जलयान वाले बाग की तरह के हैं । मैं यह समझता हूं कि जिस समय मजमा शान्त हो गया तब भी लोगों को बेरहमी के साथ पीटा गया । मैं साफ बात कह रहा हूं । एक लड़का ११--१२ साल का था; उसके गोली लगी और पुलिस वालें खींच कर ले आये और बाद में वह जख्म से मर गया । मुख्तयारखाने में जो लोग थे उनको घसीट घसीट कर मारा गया । मरने वालों की तादाद जो अधिकारियों ने दी है उससे कहीं अधिक थी । मेरा निश्चित मत है कि जो वर्तमान अधिकारी इस कांड के जिम्मेदार हैं, वह जब तक वहां मौजूद रहेंगे इन्क्वायरी नहीं हो सकती । आज वहां वार ऐसोसीएशन बन्द है, बाजार बन्द हैं,

सारे स्कूल बन्द हैं और सारे शहर में आतंक छाया हुआ है। मैं मुख्य मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वहां से एस० पी०, सिटी मैजिस्ट्रेट, डी० एम० और दीक्षित, सब इंसपैक्टर का ट्रान्सफर फौरन कर दिया जाये। अगर ट्रान्सफर नहीं होगा तो मजबूर होकर मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। जो आपने जुडीश्यल इन्क्वायरी बैठाई है वह ठीक किया है। उसके लिये मैं सरकार का आभारी हूं।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)—

जो तथ्य मेरे मा० मित्र ने बतलाये उनसे स्थिति बिलकुल स्पष्ट हो जाती है। मा० उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो समझता हूं कि ऐसी हालत में जिले के मुख्य अधिकारियों को तुरन्त वहां से हटा देना चाहिये। जो तथ्य मेरे मित्र के सामने आये हैं वह सब तथ्य श्री बनारसी दास के सामने आये होंगे, पुलिस मंत्री के सामने आये होंगे। और मुख्य मंत्री के सामने आये होंगे। इसके होते हुये भी यह सरकार जिले के अधिकारियों को वहां से फौरन ट्रांसफर नहीं करती। उस जलूस में बहुत से ऐसे लोग थे जो वहां पर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने आये थे। ऐसे लोगों के साथ सरकार ने जो व्यवहार किया वह प्रत्यक्ष है और उसकी जितनी भी निन्दा की जाय, थोड़ी है। आज पुलिस का रवैया यह हो गया है कि चाहे हिन्दू यूनिवरसिटी के विद्यार्थी और कर्मचारी हों चाहे सरकारी कर्मचारी हों वह किसी की परवाह नहीं करती। वह तो सिर्फ डन्डे बरसाना जानती है। आतंकवादी राज्यों में भी ऐसा नहीं होता। आज तो ऐसा मालूम पड़ता है कि आतंक का निर्माण करना ही पुलिस का काम है। कल श्री बनारसीदास जी दलील दे रहे थे, शायद आज भी वह दलील दें लेकिन उनको शर्म नहीं आती कि मंसूर के कांग्रेसियों ने ट्रेन रोक ली। फिर भी उनको सिर्फ ५) जुर्माने की सजा दी गई। सोचने की बात है कि आज एक पुराना कांग्रेस मेन पार्टी से इस्तीफा देने की बात सोचता है। इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। विरोधीदल का आदमी कोई स्पीच भी देता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। क्या हम इस देश के निवासी नहीं है?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आजकल सरकारी कर्मचारियों का तबादला क्यों होता है? तबादला इसलिये होता है कि अमुक कांग्रेसी को जितना है। वहीं अधिकारी जिलाधीश बन सकता है जो गुप्ता जी को ५ लाख रुपये की थैली दें। जो बेकसों पर जुल्म करें उनको गृह मंत्री जी पसन्द करते हैं। जो अधिकारी अत्याचार करते हैं उनका तबादला नहीं होता। आज कोई इन्डिपेनडेन्ट जिलाधीश ऐसा नहीं बचा है जो इस अत्याचार की निष्पक्ष रूप से जांच कर सकें। आज सारे प्रदेश की जनता आतंकित है। गरीब लोग नहीं जानते कि पोस्टमारटम रिपोर्ट कैसे मिलती है। लीगल एड का इंजतेजाम करने के लिये उनके पास रुपया नहीं है। बार एसोशियेशन एक भी कानूनी आदमी आजकल नहीं जा रहा है। ऐसे वातावरण में हमारे मंत्री जी क्या कर सकते हैं? उनका यह कहना कि आज डी० एम० और एस० पी० हमारी रक्षा करते हैं, ठीक नहीं है। मैं तो कहूंगा कि उन अफसरों को ट्रांसफर न करना ऐडमिनिस्ट्रेशन की खराबी है। आप यह देखेंगे कि सुचेता कृपलानी को गवर्नमेंट की बदइंतजामी पर आचार्य कृपलानी को अपना मुंह खोलना पड़ा और यह कहना पड़ा कि सरकार ने अत्याचार किया है। कोई और सरकार होती तो अपना मुंह न दिखाती। आचार्य कृपालानी एक निष्पक्ष व्यक्ति हैं और उनकी राय बेशकीमती है। जब तक जिले के मुख्य २ अधिकारियों का तबादला नहीं हो जाता तब तक कोई कमीशन आफ इंक्वायरी काम नहीं कर सकता।

इसके अलावा मैं यह भी सुझाव दूंगा कि जिन लोगों के पास वकील रखने का सुभीता नहीं, सरकार उनको कानूनी मदद दे। इन्क्वायरी कमीशन का हेड आफिस लखनऊ में न होकर

[श्री टंडनेश्वरप्रसाद]

बांदा में होना चाहिये। जिस गांव का आदमी मरा है उस गांव में जाकर कमीशन इन्क्वायरी करे। जो चिट्ठी भी भेज दे, कमीशन उसके घर पर जाकर इन्क्वायरी करे। इन शब्दों के साथ में आग्रह करूंगा कि जिस अधिकारी के खिलाफ वहां के लोगों को शिकायत हो उसका फौरन वहां से तबादला होना चाहिये।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

सबसे पहले मैं उन पार्टियों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस जलूस में सहयोग नहीं दिया। जहां तक मैं समझता हूं, सरकार का यह कर्त्तव्य है कि जब उसे मालूम पड़ जाय कि कोई ऐजीटेशन होने वाला है तो ऐंजीटेटर्स को पहले से ही गिरफ्तार कर लेना चाहिये। बांदा में सरकार को दफा १४४ लगाना चाहिये थी। मैंने सुना है कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने गांव के लोगों को बहकाया कि अगर आंदोलन सफल हो गया तो तुम में से हर एक को दस बीघे जमीन मिलेगी। मैं जानना चाहता हूं कि उनके कितने नेताओं को गोली लगी। मैंने भी आन्दोलनों की रहनुमाई की है। हम गोली खाते थे और डंडे खाते थे। यह नहीं कि लोगों को मार खाने के लिये छुड़ाकर खुद कहीं और खिसक जायं। जहां तक इस मामले का संबंध है, सकी जांच का सरकार ने माकूल इंतजाम कर दिया है। कमीशन के सामने सब बातें जायेंगी। आज तो स्थिति यह है कि जनता के अन्दर रोष है। ८ दिन से बाजार बन्द है, कचेहरियां बन्द, स्कूल कालेज बन्द हैं, लोगों का यह कहना है कि जब तक मौजूदा अधिकारी रहेंगे तब तक जांच नहीं हो सकती है। यह सरकार मजबूरी से कोई काम नहीं करती चाहे रहें या जायं। जब सरकार ने इंन्क्यारी कमीशन बिठाया है, तो उसका यह फर्ज हो जाता है कि वह सही सही जांच कराये। अगर किसी स्टेज पर भी इस बात का एहसास हो कि जांच ठीक न होगी तो उचित कदम उठाना जरूरी है। यह हम कैसे कह सकते हैं कि सही जांच नहीं हो सकेगी। यह तो प्रीमेच्योर जजमेंट आपने कर दिया। लोगों में इस बात का विश्वास होना चाहिये कि वहां के वातावरण में तबदीली हो। लोगों के अन्दर से डर की भावना मिट जाय। हमें सिर्फ यह देखना है कि किस काम को सरकार किस तरीके से करती है। इसमें कोई सवाल पुलिस प्रेस्टीज का नहीं है। अगर केवल यह मान कर चलना कि जिलाधीश और पुलिस के अधिकारी बखलअन्दाजी करेंगे जैसा कि कुछ सदस्यों ने कहा, ठीक नहीं मालूम होता। अगर सरकार ठीक समझे तो कुछ अधिकारियों का तबादला कर दें। लेकिन यह सोचना कि उन अधिकारियों रहते हुये निष्पक्ष रूप से जांच नहीं हो सकती, ठीक नहीं मालूम पड़ता। वातावरण को ठीक करने का यह तरीका नहीं है कि सब अफसरों को वहां से बदल दिया जाय। यह कमीशन जो सरकार ने बैठाया है इसमें किसी पार्टी का प्रश्न नहीं है। जिसने गलती की होगी उसे दंड मिलेगा। ईश्यूज को कनफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। एक सदस्य ने कहा कि सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिये। मैं उनसे कहूंगा कि सरकारी इस्तीफा नहीं दिया करती हैं। सरकारें तो हटाई जाती हैं। ६ महीने के बाद नये चुनाव होने वाले हैं। जुडीशियल इन्क्वायरी का फैसला जो भी हो, मैं महसूस करता हूं कि इन खूनों की जिम्मेदारी कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर है। इसमें कोई शक नहीं कि जो अधिकारी निकम्मे साबित होंगे उनको दंडित किया जायेगा। हिंसा से यह सरकार हटने वाली नहीं है। सरकार अपने कर्त्तव्य का पालन करेगी।

श्री राम सुन्दर शास्त्री (जिला गाजीपुर)—

१२ जुलाई की घटना के संबंध में कुछ कहने से पहले मैं श्री नवल किशोर जी से दो शब्द कहना चाहता हूं। १२ जुलाई का 'यू० पी० बन्द' पीसफुल तरीके का 'बन्द' रहा। इस से पहले महाराष्ट्र, मैसूर, केरल, गुजरात, बंगाल बन्द रह चुके थे। १२ जुलाई को सारा यू० पी० बन्द रहा। इसकी डिमाक्रेटिक फंकशनिंग में प्रशन्सा की जानी चाहिये थी। १० मई को यू०

पी० एसेम्बली के सामने प्रदर्शन हुआ। चीफ मिनिस्टर भाग कर बिहार चली गयीं। ११ मई को लाठी चार्ज करके लोगों को लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जेल में बन्द कर दिया। विरोधी दलों के सामने अब कोई रास्ता नहीं रह गया। जनता की भावनाओं को प्रकट करने के लिये १२ जुलाई को 'यू० पी० बन्द' का नारा दिया गया और लाखों नागरिकों और लाखों क्लर्कों और अन्य लोगों ने डाइरेक्ट व इनडाइरेक्ट तरीके से १२ जुलाई के आन्दोलन में शिरकत की।

बान्दा कान्ड क्यों हुआ? पी० एस० पी० के नेता नजरबन्द किये गये। कम्यूनिस्ट पार्टी के नेता भी बन्द किये गये, एस० एस० पी० के नेताओं को भी बन्द किया गया था। इसके बाद प्रदर्शन आया। प्रदर्शन में ढाई तीन सौ से ज्यादा आदमी नहीं थे। उन्होंने पुलिस का घेरा तोड़ने की कोशिश की। हजारों मुवक्किल और कचहरी के लोग भी उसमें शामिल हो गये। १५ तारीख को चेयरमैन बान्दा के नेतृत्व में एक मीटिंग हुई जिसमें ४०० के करीब शहर के नागरिक थे और दूसरे लोग इकट्ठे हुए जिन्होंने कहा कि एस०पी० और डी० एम० जब तक यहां से नहीं हटाये जाते तब तक दुकानें नहीं खुलेंगी। आपको शर्म होनी चाहिये कि आपके एम० एल० ए० इस्तीफे की धमकियां दे रहे हैं। जो लोग अपने अपने काम से कचहरी में आये थे पुलिस ने उनको भी नहीं छोड़ा। मस्जिदों में से लोगों को घसीटकर मारा पीटा गया। जिस आदमी को पुलिस वाले लाठियों से मार रहे थे उसकी लाश कहां है? बान्दा की घटना किसी पार्टी का सवाल नहीं है। अंग्रेजी राज में भी ऐसी शर्मनाक घटना नहीं हुई। बनारसी दास जी से वकीलों ने कहा कि पुलिस फोर्स हटाइये। ५०० पी० ए० सी० वाले लगे हुए हैं। अगर पुलिस के हाथ रोके नहीं गये तो यह आप को भी बख्शेंगे नहीं। बान्दा की घटना के सिलसिले में वहां पर पीस कायम करने के लिये पुलिस फोर्स को हटाइये। जो लोग बन्द हैं उनको रिहा कीजिये। जिले के अधिकारियों का ट्रान्सफर करने की जरूरत है। उसमें विलम्ब नहीं होना चाहिये।

श्री गोविन्द सहाय (जिला बिजनौर)—

श्रीमन्, मेरा इरादा आज की बहस में हिस्सा लेने का नहीं था। बहुत से लोगों के बयानात सुने। साथ ही श्री बृज मोहन लाल जी की स्पीच भी सुनी। उसके सुनने के बाद कुछ कहने की प्रेरणा मिली। श्री बृज मोहन लाल बहुत नर्म तबियत के आदमी हैं। उन्हें कोई यह नहीं कह सकता है कि वह आवेश में आकर कुछ कहने के आदी हैं। जहां तक उनके पोलिटिकल एलाइनमेन्ट का ताल्लुक है, वे कांग्रेस पार्टी में जो मिनिस्टीरियल दल है उससे ताल्लुक रखते हैं। इसलिये जो कुछ वे कहते हैं उसे आसानी से न मैं नजर-अन्दाज कर सकता हूं, न कांग्रेस पार्टी नजरअन्दाज कर सकती है। उस पर गौर करना होगा।

जहां तक गोली चलाने का ताल्लुक है, मैं समझता हूं कि चूंकि इन्क्वायरी कमीशन बैठ गया है, इसलिये बहस में जाना ठीक न होगा लेकिन यह बात सही है कि गोली चलाने का काम किसी सरकार के लिये, खासकर डिमाक्रेटिक सरकार के लिये गौरव की बात न होगी और उसका असर भी बुरा होता है। देखने की बात यह है कि गोली चलाने के बगैर क्या काम नहीं चल सकता था। अगर इस मसले पर वहां की जनता, वहां की पोलीटिकल पार्टीज, कांग्रेस पार्टी और जनता जिसमें उस इलाके के सारे लोग शामिल हैं, इन सबका एक आवाज से कहना है कि कोई गल्ती हुई है, कहीं पर गल्ती है, कहीं पर स्टाफ ने ठीक तरह से नहीं समझा, तो इस वक्त एक डिमाक्रेटिक गवर्नमेन्ट के लिये एक ही चारा रहता है इसका एक ही मतलब है। डिमाक्रेटिकल गवर्नमेन्ट वह होती है जो जनता की भावनाओं व आकांक्षाओं का खयाल करती है, आदर करती है।

अगर उनका गलत जजमेन्ट भी हो तो एक डिमाक्रेटिक सरकार का मतलब है कि हमें सर झुकाना पड़ता है। जहां तक इस मांग का ताल्लुक है कि वहां पर गल्ती हुई, तो हमें बहुत से लोगों ने लिखा है, बहुत सी बातें हमारे सामने आयीं, जिनसे शुबहा होता है कि शायद कहीं गलती हुई है। जो काम करना चाहिये था वह ठीक तरह से नहीं किया गया। अगर ऐसा शुबहा पैदा हो जाय, तो प्रश्न पैदा होता है कि क्या एक डिमाक्रेटिक गवर्नमेन्ट को जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई ऐक्शन लेना चाहिये या नहीं। अब यह दलील दी जाती है कि जब कोई ब्योरोक्रेट गलत काम करता है तो सारी दुनिया के ब्योरोक्रेट दलील देते हैं कि इस वक्त हटाने से सरविसेज का मोरेल गिर जायगा और यह वजन बहुत भारी हो सरविसेज का हो जाता है कि बहुत लोगों की एक तरफा राय भी कम हो जाती है। इस वक्त कांग्रेस पार्टी इस वजन को ज्यादा महत्व देती है कि अगर हमने कोई ऐक्शन लिया तो इससे सरविसेज में डिमारलाइजेशन आ जायगा। आपको चुनना है कि पब्लिक का डिमारलाइजेशन रखें हैं या ऐसे अधिकारियों का जो गलत अन्दाजा लगायें। यह बिलकुल मैटर आफ प्रिन्सिपल की बात है। यदि आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि इस वक्त हटाने से नुकसान होगा तो आप डिमाक्रेटिक रूल से पुलिस रूल की तरफ बढ़ रहे हैं। हमको दिलेरी के साथ कहना चाहिये कि गलती हुई है, गलती दबाने से खराब नतीजे ही पैदा हो सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस पर प्रेस्टीज के दृष्टिकोण से नहीं गौर करेगी, बल्कि बड़ी नजर से गौर करेगी।

श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)—

पहले पुलिस ने लोगों को मारा पीटा। पूरी फोर्स मंगा ली गयी थी। लाठी चार्ज तेजी के साथ किया गया और उसी के बाद ही गोली चलाई। गोली में एक लड़का १२ वर्ष का था वह मारा गया। जब उसको उठाकर अस्पताल ले जाया जा रहा था तो पुलिस ने ले जाने नहीं दिया। वह मर गया। मैंने अपनी आंखों से देखा है। सड़क पर चलने वालों को, व भागने वालों को पुलिस वालों ने पीछा करके मारना शुरू किया। दूर चौराहे पर आतंक छाया हुआ था। श्रीमन्, हमारी सब की मांग है कि वहां पर शान्ति का वातावरण तब तक पैदा नहीं होगा जब तक कि वहां से अधिकारियों को हटाया नहीं जाता। घटनाओं की तो न्यायिक जांच होगी लेकिन लोगों में जो भय और आतंक फला हुआ है उसमें तब तक कमी नहीं होगी जब तक कि एस० पी०, डी० एम०, आदि को हटाया नहीं जाता।

श्री बेचनराम (जिला मिर्जापुर)—

माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, जो विवाद अध्यक्ष महोदय ने इस विषय पर एलाउ किया है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। बांदा में जो जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, इसी के सम्बन्ध में यह चर्चा है। ऐसे प्रत्येक काण्ड में जो मारे जाते हैं, उनकी मौत बहुत ही दुखद होती है। प्रत्येक जनवादी सरकार यह इच्छा रखती है कि ऐसी घटनायें न हों। मैं दो तीन बातों की ओर आपके द्वारा इस माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं सब अपने-अपने ढंग से जनता को उन्नति की ओर से ले जाना चाहती हैं। हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है क्योंकि हमको उन्हें सही दिशा में ले जाने की जिम्मेदारी उठाना है। कुछ दिन पहले "घेरा डालो" आन्दोलन हुआ और इधर १२ जुलाई, को "उत्तर प्रदेश बन्द" का आन्दोलन चला। हमारे प्रदेश में जो बन्द का कार्यक्रम चला और उसी के साथ ही साथ जन जीवन को अस्तव्यस्त करने की कोशिश की गयी, वह कुछ बहुत सफल नहीं हुई। बहुत से दुकानदार केवल भय और आतंक के कारण अपनी दूकानें नहीं खोल सके। बांदा की घटना उन्हीं तमाम कार्यों का निचोड़ है। जो तरीके अपनाये गए और जो बातें की गयीं उन्हीं का परिणाम है। अगर सम्बन्धित राजनीतिक दल अहिंसात्मक रूप से अपनी मांगें रखते तो शायद ये घटनायें नहीं घटतीं।

(इस समय ४ बज कर १३ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कृष्णानन्द राय, पीठासीन हुए।)

अब प्रश्न उन लोगों का है कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि एस० पी० और डी० एम० का तुरन्त ट्रांसफर कर देना चाहिए। चाहे कोई भी सरकार हो, किसी बात को कार्यरूप में परिणत करने के लिए वह अपने अफसरों की ही जिम्मेदारी समझती है। अब यह देखना होगा कि किसी कार्य को करने में उनका ढंग क्या है। पुलिस ने गोली चलाई या कलेक्टर ने गोली चलाने का आदेश दिया, तो उनको इसके लिए कोई इनाम मिलने वाला नहीं था और कांग्रेस सरकार ने भी उनको इस तरह के कोई आदेश नहीं दिए थे। तात्कालिक परिस्थिति को कंट्रोल करना स्थानीय अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है। अभी यह कहा गया कि कमीशन का चेयरमैन कोई सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए और उसकी सदस्य संख्या तीन हो। जब सरकार ने सिनियरिटी के साथ एक कमीशन नियुक्त कर दिया तो उस मामले में कोई दूसरी राय देना ठीक नहीं जंचता। जो कार्य सरकार उचित ढंग से करती है उनकी टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं है। सरकार ने न्यायिक जांच का प्रबन्ध कर दिया है और इस तरह उसने हमारी मांग को मान लिया है। अब आप को सन्तोष करना चाहिए। बहस तो उसूलों की है। जुडीशियल इनक्वायरी की सिफारिशें अधिकारियों पर बाइंडिंग हैं और नैतिक दृष्टि से सरकार पर भी बाइंडिंग है।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे जिले और बांदा जिले के बीच में केवल कालिंदी नदी पड़ती है और उसमें वह काली नदी भी मिलती है जिसमें लोगों की लाशें फेंकी गई हैं। प्रति दिन उस जिले से मेरे जिले में लोग आया करते हैं। श्री बृजमोहन लाल गुप्त की बात बिलकुल सही है। आप जब इस बात को मान गए कि इस मामले की जुडीशियल इनक्वायरी होनी चाहिए तो प्राइमा फेसी आपने इस तथ्य को मान लिया कि अधिकारियों की तरफ से धांधली हुई है। इसलिए आपको चाहिए कि डी० एम० और एस० पी० का फौरन ट्रांसफर कर दें। इस सरकार में सामान्य बुद्धि का अभाव है। आपकी कांफेडेन्शियल बातें सड़कों पर सुनाई देती हैं। माननीय नवलकिशोर जी जनसंघ को बधाई देते हैं। हिटलर ने जिस प्रकार सोशल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना की थी या जर्मनी में जिस प्रकार हिन्डनवर्ग के समय में सरकार की स्थापना हुई थी, सुचेता सरकार के कुछ मन्त्रियों के जिले में यही भावना पैदा हो गई होगी। स्वयं मुख्य मन्त्री की आज्ञा निकली कि यह घटना बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। मैंने सुना है कि इस मामले में सरकार पर दबाव डाला जा रहा है। यह तरीका अच्छा नहीं है। बांदा की घटना बड़ी दर्दभरी है। जब सत्तारूढ़ पार्टी के लोग यह मानते हैं कि ज्यादती हुई तो क्यों आप ने डी० एम० और एस० पी० को ट्रांसफर नहीं किया? कहा जाता है कि एस० पी० ने इस कांड में बहुत अदूरदर्शिता का परिचय दिया। मैं श्री पांडेय से सहमत नहीं हूं कि जुलूस पर दफा १४४ लगाई जाय। मैं तो समझता हूं कि जनता को प्रदर्शन करने का अधिकार है। अगर आप गोली के जरिए जनता को अकारण रोकना चाहते हैं तो यह ठीक नहीं है। यदि यही चलता रहा तो अयूब खां, हिटलर या सुहारतो में और आप में क्या फर्क रहा?

आज जनतन्त्र के ऊपर एक खतरा आया हुआ है। के० के० दास को हटाने का काम कर्मचारियों का नहीं है, यह तो काम सरकार का है। आपकी कांग्रेस सन् १९४७ के मेम्बरों से बनी थीं। बाद में इसमें बहुत से ऐसे लोग आ गए जो वांछनीय नहीं थे। यह तो ठीक है कि हमको स्वतन्त्रता मिल गई लेकिन मैं श्री बनारसीदास और उनके साथियों से कहना चाहता हूं कि वे गोबिल्स और हिटलर बनने की कोशिश न करें। जनमत का निरादर आपको नहीं करना चाहिए। नौकरशाही की प्रतिष्ठा के बल पर आप अधिक दिनों तक नहीं चल सकते। जनता में आपके प्रति आदर की भावना समाप्त हो चुकी है।

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि ज्वाइन्ट रेसपांसीबिलिटी है। इस प्रसंग में मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि श्री लाल बहादुर शास्त्री ने रेलवे एक्सीडेन्ट के कारण इस्तीफा दिया था। श्री चतुर्भुज शर्मा के साथ किसी ने इस्तीफा नहीं दिया। मेरी राय में श्री हरगोबिन्दसिंह जैसे लोगों को जरूर ही हटा देना चाहिए।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, वस्तुस्थिति तो प्रत्यक्षदर्शी तो ही बतला सकता है। यहां हम उन कारणों की खोज करें जिनसे यह परिस्थिति उत्पन्न हुई। देश के अन्दर ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है जिसमें हिंसात्मक तत्व मौजूद हैं और हमारा प्रजातन्त्र खतरे में है। आज हम पुरानी मान्यताओं को छोड़ रहे हैं और ऐसी चीजें एडाप्ट कर रहे हैं जो जनतन्त्र के खिलाफ हैं। "घेरा डालो" आन्दोलन इस प्रकार की ही एक बात थी। बांदा में जो लोग मर गए या मारे गए उनके साथ सरकार को सहानुभूति है। लेकिन किसने उन परिस्थितियों को उत्पन्न किया जिनका नतीजा ऐसा हुआ? 'घेरा डालो' आन्दोलन का मैं भी भुक्तभोगी हूं। उसमें ५० प्रतिशत गुन्डा एलीमेंट को काम में लाया गया था। अहिंसात्मक ढंग से अपनी बात कहने का प्रत्येक नागरिक को अधिकार है। लेकिन 'घेरा डालो' आन्दोलन में महिलाओं तक को नहीं छोड़ा गया। कहने को तो आन्दोलनकारी अहिंसक थे लेकिन उनमें हिंसा की हिलोरें जोर मार रही थीं।

(इस समय ४ बज कर १६ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

आप 'यू० पी० बन्द' को ही ले लीजिए। सारी पार्टियों ने, केवल जन संघ को छोड़कर, इसका समर्थन किया और यह दिखाने की कोशिश की कि जनता हमारे इशारों पर चलती है। मैं तो केवल इतना ही कहूंगा कि सरकार को बदलने का यह तरीका नहीं है। इटावा जिले के औरया नगर में लोगों ने आतंकवाद के जरिए बाजार बन्द करवाए, इस बात को मैं अच्छी तरह जानता हूं। दूकादारों को विश्वास था कि पुलिस उनकी रक्षा नहीं कर पाएगी क्योंकि कम से कम १,००० आदमी उनसे दूकानें बन्द करने को कह रहे थे और उनका एक बड़ा जुलूस आ रहा था। हो सकता है कि बांदा में ऐसी स्थिति पैदा हो गई हो कि अधिकारियों की जान खतरे में पड़ गई हो या सरकार की प्रोपर्टी को खतरा पैदा हो गया हो। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं और माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि प्रजातन्त्र को पनपने के लिए अहिंसात्मक आन्दोलन को प्रोत्साहन दें। हमारा उद्देश्य देश को समृद्धिशाली बनाना होना चाहिए और इसके लिए शान्त वातावरण का होना बहुत जरूरी है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, १२ तारीख के बांदा काण्ड की खबर जब अखबारों में पढ़ी तो उम्मीद तो यह थी कि उसके साथ उत्तर प्रदेश के गृह मन्त्री के इस्तीफे की भी खबर होगी क्योंकि जब रेलवे डिजास्टर हुआ था तब स्व० लालबहादुर शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था। पुलिस के जुर्म दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं तो मोटी-सी बात जानता हूं कि माननीय बनारसीदास जी मौके पर पहुंचे और उन्होंने खुद हालात को देखा और मुख्य मंत्री ने यह बात कहा कि टियरगैस का इस्तेमाल नहीं हुआ और कोई प्रीकाशनरी मेजर्स नहीं लिए गए। इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं? मैं समझता हूं कि इसके लिए जिलाधीश और पुलिस कप्तान ही जिम्मेदार हो सकते हैं। जब आपने जुडीशियल इन्क्वायरी करने के लिए एक हाई कोर्ट के जज को मुकर्रर कर दिया तो एक तरह से आप ने प्राइमा फेसी इस बात को मान लिया। इसके बावजूद भी उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई यह बात मेरी समझ में नहीं आती। जितने भी तबादले आप करते हैं, उन सब में यही कहते हैं कि हम तो पब्लिक इन्टरेस्ट में तबादले करते हैं। क्या इस प्रदेश की पब्लिक का इन्टरेस्ट और क्या बांदा की पब्लिक का इन्टरेस्ट इसमें है कि उन अफसरों का ट्रांसफर न किया जाय? वहां के वकीलों ने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि जब तक डी०एम० और एस०पी० का तबादला नहीं होगा तब तक वह कोर्ट अटेन्ड नहीं करेंगे।

इस वक्त मेरे हाथ में बार एसोसिएशन का रेजोलूशन है जिसमें यही बात अंग्रेजी में कही गई है। बांदा के लोगों ने यह फैसला किया है कि वह तब तक न बाजार खोलेंगे और न कोर्ट खोलेंगे जब तक कि सरकार इस रेजोलूशन पर अमल नहीं करती। एक तरफ तो पब्लिक इन्टरेस्ट है और दूसरी तरफ अफसरों का इन्टरेस्ट है, चाहे के० के० दास साहब का इन्टरेस्ट हो चाहे बा कर साहब का इन्टरेस्ट हो। उत्तर प्रदेश की जनता को खास तौर से कहना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में इस बात का फैसला करें। आज जमुनाप्रसाद जैसे कार्यकर्ता अपनी पत्नी के साथ इस बात के लिए अनशन किए हुए हैं कि इन अफसरों का फौरन ट्रांसफर किया जाय। जुडीशियल इन्क्वायरी हो रही है। जो फैसला उस इंक्वायरी कमीशन का होगा हम सब उस फैसले को मानेंगे लेकिन यह जरूरी है कि कमीशन के ऊपर कोई दबाव न पड़े। इन सब बातों को देखने के लिए अफसरों को वहां से हटाना जरूरी है।

श्री बृजराजसिंह (जिला हमीरपुर)—

सौभाग्य से, जब यह गोलीकाण्ड हुआ था, उसके पहले मैं कुछ लोगों के साथ बांदा गया हुआ था। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि ज्यादती उन पार्टी वालों की है जो गरीब जनता के लोगों को भुलावा देकर शहर में ले आए और खुद जाकर गायब हो गए। सबसे पहला कसूर उन पार्टी वालों का है। उसके बाद उन अफसरों का कसूर है जो इस काण्ड के लिए जिम्मेदार हैं। असल में सारा दोष उन्हीं लोगों का है जिन्होंने गरीब जनता को कोर्ट के सामने लाकर खड़ा कर दिया।

एक सदस्य—

उपाध्यक्ष महोदय, यह गलत बयानी हो रही है।

श्री बृजराजसिंह—

बिलकुल नहीं। मैं वहां मौजूद था। मैंने स्वयं सारा काण्ड देखा। इसलिए मैं बांदा की पोजीशन बहुत अच्छी तरह से जानता हूं। जिस मौके पर गोली चलाई गई थी वह मौका ठीक था। जनता ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस की गलती केवल यह थी कि उन्होंने धारा १४४ नहीं लगाई।

श्री उपाध्यक्ष—

इस समय जो विषय चल रहा है, उसी पर आप बोलें।

श्री बृजराजसिंह—

पुलिस की दूसरी गलती यह थी कि जब भीड़ कचेहरी में जमा हुई, उससे पहले ही उसको तितर-बितर कर देना चाहिए था। गोली चलाने से पहले कोई एलान नहीं किया गया। पुलिस ने लोगों को खींच-खींच कर मारा। एक ११ साल के बच्चे को पुलिस ने जान से मार डाला। यह सब पुलिस कप्तान के हुक्म से हुआ। वास्तव में पुलिस ने इस तरह की ज्यादती की है जो कि न देखी जा सकती है और न कही जा सकती है।

(व्यवधान)

(इस समय ४ बजकर ४१ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

एक प्रार्थना मेरी है। आज कांग्रेस पक्ष के लोगों ने और हमारे पक्ष के लोगों ने भी यह विचार प्रकट किया है कि जिलाधीश व पुलिस कप्तान या जिस एस० डी० एम० के हुक्म से गोलीकाण्ड हुआ उनका ट्रांसफर कर दिया जाय। यह पहली बात है जिस पर कि मैं सरकार से आश्वासन

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

प्राप्त करना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि पीड़ितों को मुआवजा दिया जाय और जो लोग घायल हुए हैं उनकी चिकित्सा का प्रबन्ध हो। तीसरी बात यह है कि इन्क्वायरी बांदा में ही हो और उसका दफ्तर भी वहां हो।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूं कि बांदा, बुन्देलखण्ड के अन्तर्गत आता है। पार्टी की तरफ से एक आदमी का नाम भेजा गया लेकिन उसे बोलने का मौका नहीं मिला। इसे मैं अध्यक्ष का पक्षपातपूर्ण व्यवहार समझता हूं और इसको मुझे शिकायत है कि एक भी बुन्देलखण्ड के आदमी को बोलने का मौका नहीं दिया गया। यह व्यवस्था न सिर्फ पक्षपातपूर्ण है बल्कि अन्यायपूर्ण भी है।

श्री अध्यक्ष—

आप लिख कर भेज दीजिए। तब इस पर विचार होगा। इस वक्त आप बैठ जायें।

सहकारिता मन्त्री (श्री बनारसीदास)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, १२ तारीख को बांदा में जो दुर्घटना हुई और जिसके परिणाम-स्वरूप आदमी मारे गए उसके लिए न केवल सदन को बल्कि सभी लोगों को बड़ा दुख है। और जो लोग मारे गए उनके परिवार के साथ हमें पूरी-पूरी हमदर्दी है। इस प्रश्न पर विचार कि ऐसे मौके पर फोर्स का इस्तेमाल उचित था या अनुचित या कि जितना परिर्याप्त था उससे अधिक किया गया, इस बात का निर्णय करना न सदन का काम है, न मेरा ही है। यह निर्णय तो इन्क्वायरी कमीशन करेगा और उसके जो फाइंडिंग्स होंगे सरकार उनके अनुसार अमल करेगी। आपने आदेश दिया था कि इस गोली काण्ड से जो परिस्थिति पैदा हुई उसी पर डिस्कशन सीमित रखा जाय। यह एक मानी हुई बात है कि इस सदन में पुलिस का बजट स्वीकार किया जाता है। पुलिस के बजट के अन्दर वृद्धि भी हो सकती है। प्रश्न यह है कि क्या कोई ऐसी परिस्थिति हो सकती है जिसमें पुलिस को गोली चलाने या लाठी चार्ज करने या बल का प्रयोग करना उचित हो सकता है। कभी-कभी 'एरर आफ जजमेंट' भी हो सकती है। कभी-कभी हर एक मुहकमे में गलती हो जाती है। पुलिस के जरिए गलत आदमी मारे जा सकते हैं। सवाल यह है कि बन्दूक का लाइसेन्स दिया जाय या नहीं, सवाल यह है कि पुलिस फोर्स देश के अन्दर रक्खी जाय या न रक्खी जाय? अभी कुछ माननीय सदस्यों ने यह बात पैदा की कि....

एक सदस्य—

हमारा तो कहना यह है कि सबसे पहले टियर गैस का प्रयोग करना चाहिए, उसके बाद वाटर होज, फिर लाठी चार्ज और सबसे बाद में फाइरिंग का नम्बर आना चाहिए। यह बात सरकार मानती है या नहीं? भीड़ देखते ही आप फाइरिंग का आर्डर दे देते हैं, यह ठीक नहीं है।

श्री बनारसीदास—

चूंकि सात आदमियों की हत्या हुई, यह मांग की गई कि गवर्नमेंट इस्तीफा दे दे। श्रीमन्, १२ ता० को 'उत्तर प्रदेश बन्द' हुआ और मैं समझता हूं इस प्रदेश की जनता इस बात का पूरे तौर से अहसास करती है और सरकार को धन्यवाद देती है कि ५४ जिलों में से ५३ जिलों में शान्ति रही। सरकारी अधिकारियों की सतर्कता का इससे बड़ा नमूना क्या हो सकता है? मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि सड़क पर दुर्घटना नहीं होनी चाहिए। ड्राइवर बड़ा अच्छा है और मुसाफिर भी बड़ा अच्छा है।

अब मुझे इन बातों को सुनने की फुर्सत नहीं है। सिर्फ ३ बातों के लिए मैंने प्रार्थना की थी कि सरकार उन तीन बातों पर अमल करने का आश्वासन दे दे। सरकार शान्ति चाहती है चाहे वह ग्रेव यार्ड की शान्ति क्यों न हो, हम इस मामले में सरकार का साथ देने को तैयार नहीं हैं, इसीलिए प्रोटेस्ट में हम लोग उठते हैं।

(जनसंघ दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गए।)

श्री बनारसीदास—

अभी मैं यह अर्ज कर रहा था कि सब लोग समहत हैं कि सरकार ने ५३ जिलों में बड़ा अच्छा इंतजाम किया। श्रीमन्, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पुलिस फोर्स की जिम्मेदारी, प्रशासन की जिम्मेदारी शान्ति और व्यवस्था को कायम रखने की है, और ऐसी परिस्थितियों हो सकती हैं जब कि जनहित में बड़ी शान्ति रखने के लिए थोड़ी शान्ति भंग करना जरूरी हो, यानी बल प्रयोग कभी-कभी जरूरी हो जाता हो, लेकिन यह देखना पड़ता है कि कोई अधिकारी अपने बल का अनुचित प्रयोग न कर सके।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

आप पहले यह कह दीजिए कि हम वहां के अधिकारियों को हटा देंगे। आपके इस बेकार भाषण को सुनने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। आप एलान कीजिए कि सरकार मैजिस्ट्रेट और पुलिस कप्तान को जरूर हटा देगी।

श्री अध्यक्ष—

आपने एक प्रश्न कर दिया। जिस प्रकार और जिन शब्दों में मन्त्री जी जवाब देना चाहते हैं, दे सकते हैं। जोश में आने की जरूरत नहीं है। मन्त्री जी अपना भाषण जारी रखें।

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जनतन्त्र में यद्यपि फोर्स की आवश्यकता हो सकती है लेकिन औचित्य की परिधि से कोई अधिकारी नहीं निकल सकता। ना ही इस मामले में किसी अधिकारी ने ऐसा किया ही है। इसलिए किसी अधिकारी के ट्रांसफर का प्रश्न ही नहीं उठता। हमने जुडीशियल इन्क्वायरी बिठा दी है।

श्री रामसुन्दर शास्त्री—

पहले ही मन्त्री जी को यह बात साफ कर देनी चाहिए थी।

श्री अध्यक्ष—

आप यह नहीं कह सकते कि मन्त्री जी किस प्रकार भाषण दें, न मन्त्री जी ही कह सकते हैं कि आप किस ढंग से भाषण दें।

एक सदस्य—

तो हम बाहर जाते हैं।

श्री अध्यक्ष—

इसका आपको अधिकार है। आपको बाहर जाना ही है, तो चले जाइए।

एक सदस्य—

जनता जिन बातों को सुनना चाहती है मन्त्री जी उन्हीं बातों को टालना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

मन्त्री जी को अधिकार है कि वह अपना भाषण जिन शब्दों में और जिस तरीके से देना चाहें, दे सकते हैं।

(व्यवधान)

(मन्त्री के भाषण पर असन्तोष व्यक्त करते हुए संयुक्त समाजवादी, कम्युनिस्ट, निर्दलीय तथा रिपब्लिकन दलों के सदस्यों ने सदन का त्याग किया।)

श्री बनारसीदास—

जिस प्रकार का नंगा प्रदर्शन इस सदन के अन्दर होता है उसी प्रकार की इंक्वायरी यह लोग चाहते हैं।

एक सदस्य—

बड़ा अफसोस है कि बनारसीदास जी असली बातों का जवाब नहीं दे रहे हैं। अगर मन्त्री जी यह बात साफ कहें कि उनका इरादा क्या है तब तो ठीक है, नहीं तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी भवन के बाहर जाने के लिए मजबूर है।

(प्रजा सोशलिस्ट दल के सदस्यों ने सदन का त्याग किया।)

श्री अध्यक्ष—

मन्त्री जी, आपको जो डिसटरबेन्स हुआ है उसकी वजह से २ मिनट का समय आपको और दिया जाता है।

श्री बनारसीदास—

बहुत अच्छा। माननीय रामसुन्दर पांडेय कहते हैं कि ३ जजों का कमीशन होना चाहिए। यह किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को कमीशन का चेयरमैन बनाना चाहते हैं। अगर हम चाहें तो यू० एन० ओ० के आदमियों को इस जांच के लिए बुला सकते हैं। अगर सरकार को यह मालूम हो कि डी० एम० और एस० पी० के होने से न्यायिक जांच में बाधा पड़ती है तो ट्रांसफर करने का विचार हो सकता है किसी भी अधिकारी को, चाहे वह कितना ही बड़ा अधिकारी हो। बगैर कसूर के पनिश नहीं किया जा सकता। अयोध्या काण्ड में हमने कुछ अधिकारियों को सस्पेन्ड किया है। इस काण्ड में भी यदि जुडीशियल इंक्वायरी के फलस्वरूप यह पाया गया कि फायरिंग का कोई औचित्य नहीं था तो सरकार उन लोगों को जो गिल्टी पाए जायेंगे, जरूर जरूर सजा देगी। जैसा नवलकिशोर जी ने कहा, जिन्होंने यह वातावरण पैदा किया उन्हीं के सर पर खून का इल्जाम है। हमारा उत्तरदायित्व जनता के ८ १।२ करोड़ लोगों के प्रति है। गांधी जी ने बछड़े को इसीलिए मरवाया कि उसको अधिक कष्ट न हो। कभी-कभी सरकार को ऐसा ही करना पड़ता है।

दर्शक दीर्घा से सदन में पर्चा फेंकने के सम्बन्ध में श्री इब्राहीम परवेज को कारावास की सजा

श्री अध्यक्ष—

कल १८ तारीख को ४ बजकर ५० मिनट पर इस सदन में ऊपर से कुछ पर्चे फेंके गए थे। वह पर्चे जिस आदमी ने फेंके थे उस आदमी को उसी समय उपाध्यक्ष महोदय के आदेश से पकड़ लिया गया था। वह हमारी हिरासत में था और मैंने आदेश दिया था कि सी० आई० डी० इस सम्बन्ध में जांच करके अपनी रिपोर्ट दें। इस वक्त सी० आई० डी० की रिपोर्ट मेरे सामने है। मैं समझता हूं कि जिसने पर्चे फेंके थे वह सदन में हाजिर किया जाय।

(पर्चे फेंकने वाले को सदन में उपस्थित किया गया।)

आपका नाम इब्राहीम परवेज है? आप दीर्घा में मौजूद थे? आपने कुछ पर्चे फेंके, वह पर्चे यहीं हैं? मैं समझता हूं कि इसी किस्म के पर्चे आपने फेंके? उन पर्चों की तादाद क्या थी।

श्री इब्राहीम परवेज---

तीन सौ या साढ़े तीन सौ।

श्री टम्बेश्वर प्रसाद (जिला सीतापुर)---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय जब तक कार्यवाही समाप्त न हो जाय, बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि सदन का समय, जब तक कार्यवाही समाप्त न हो जाय, बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

ये पर्चे आप कहां से लाए थे? आपके मुताल्लिक जो हमारे पास रिपोर्ट आई है सी० आई० डी० की, वह इस प्रकार से है और इसके मुताल्लिक मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या यह रिपोर्ट सही है। आप का नाम श्री मुहम्मद इब्राहीम परवेज, पिता का नाम श्री एम० एम० युसुफ है और आप? मुहल्ला वजीरगंज, शहर लखनऊ, के रहने वाले हैं। इनका निवास स्थान वजीरगंज थाने 'सन्निकट' है। यह उर्दू मुहाफिज दस्ते के एक मुख्य कार्यकर्ता हैं, इसकी संघर्ष समिति के मेम्बर भी हैं। यह दल उर्दू भाषा के संरक्षण के लिए बनाया गया है। जिस दल के आप मेम्बर हैं वह उर्दू भाषा की हिफाजत के लिए बनाया गया है। इन्होंने दिनांक २-४-६५, ३-४-१९६५ को विधान भवन के सामने उर्दू भाषा को उत्तर प्रदेश की एक राज्य भाषा घोषित कराने के लिए भूख हड़ताल की थी और दिनांक ३-४-१९६५ को एक डेलीगेशन के साथ उसी सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री, उत्तर प्रदेश, से मिले थे। यह कल दिनांक १८-७-१९६६ को विधान-भवन-प्रवेश-पत्र सं० ३२०, दिनांक १८-७-१९६६ द्वारा विधान भवन में आए।

एक सदस्य---

यह पास किसके दस्तखत से जारी किया गया?

श्री अध्यक्ष---

यह पास उनको मौलाना राहत मौलाई की सिफारिश पर दिया गया था।

(श्री इब्राहीम परवेज से)

यह प्रवेश पत्र आप को श्री राहत मौलाई के द्वारा ही मिला था या किसी और के द्वारा?

श्री इब्राहीम परवेज---

वह एक मामूली आदमी था और मैं समझता हूं कि उसका नाम लेना मुनासिब नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

क्या मैं यह समझूं कि आपने जाली दस्तखत बना कर यह पास हासिल किया? आप ने कहा कि मैं उस आदमी का नाम बताना मुनासिब नहीं समझता। जिस शख्स ने आप की सिफारिश की कि यह पर्चे आपको दिए जायं वह शख्स राहत मौलाई नहीं था और जिस शख्स ने आपको यह पर्चे दिलवाए वह भी राहत मौलाई नहीं था?

श्री इब्राहीम परवेज---

इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता।

श्री अध्यक्ष---

जब आप इस पर्चे को लेने के लिये गये तब आप किसी शख्स की सिफारिश लेकर गए इस दफ्तर में कि आप के पास दिया जाय, यह बताइए इस पर्चे को आपने कहां से पाया? क्या आप ने उसे रायल होटल में जाकर लिया था?

श्री इब्राहीम परवेज---

दोनों पर्चे मुझे गेट पर दिए गए। पास बनवाने का काम ऐक्शन कमेटी के किसी मेम्बर को दिया गया होगा। मैं पास लेने रायल होटल नहीं गया।

श्री अध्यक्ष---

यह दोनों पर्चे आपके पास थे या सिर्फ एक ही पर्चा आपके पास था ?

श्री इब्राहीम परवेज---

मुझे सिर्फ पीले पर्चे दिए गए।

श्री अध्यक्ष---

इसमें क्यों लिखा हुआ है कि श्री राहत मौलाई द्वारा यह पर्चा जारी किया गया ? यह आप बतला सकते हैं या नहीं ?

श्री इब्राहीम परवेज---

मैं किसी पर्चे पर दस्तखत करवाने नहीं गया।

श्री अध्यक्ष---

आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए।

श्री इब्राहीम परवेज---

मैं इसकी वजह तो कुछ नहीं बतला सकूंगा।

श्री अध्यक्ष---

जब आप इस सदन के अन्दर दाखिल हुए तो किसकी सिफारिश से दाखिल हुए, उसका नाम बतला सकते हैं ?

श्री इब्राहीम परवेज---

इन्हीं पीले पर्चों से मैं आया हूं।

श्री अध्यक्ष---

क्या आप उस आदमी का नाम बतला सकते हैं या बताना नहीं चाहते जिसने आपको यह पर्चे दिए ?

श्री इब्राहीम परवेज---

मैं उसका नाम बतलाना नहीं चाहता।

श्री टम्बेश्वरप्रसाद---

ऐक्शन कमेटी के मेम्बर का ही नाम बतला दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

लिहाजा आप उस आदमी का नाम बतलाने से इन्कार करते हैं जिसके द्वारा आप को प्रवेश पत्र प्राप्त हुआ। माननीय राहत मौलाई जी उर्दू भाषा के हितों के एक प्रमुख समर्थक हैं और उर्दू मुहाफिज दस्ता से भी इस प्रकार उनका सम्बन्ध है। क्या राहत मौलाई साहब को आप जानते हैं ?

श्री इब्राहीम परवेज---

मेरा उनका कई मीटिंगों में साथ रहा, इसलिए जानता हूं।

श्री अध्यक्ष---

क्या वह जर्दू मुहाफिज दस्ता के सदस्य हैं?

श्री इब्राहीम परवेज---

उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

जब श्री इब्राहीम परवेज ने विधान भवन के सामने उर्दू भाषा के लिए भूख हड़ताल की थी, माननीय श्री राहत मौलाई ने इन लोगों को संबोधन करते हुए एक भाषण जर्दू भाषा के पक्ष में विधान भवन के समक्ष दिया था?

श्री इब्राहीम परवेज---

दूसरी पार्टी के लोगों ने भी इस तरह के भाषण दिए थे। दूसरी सियासी पार्टी के लोग भी थे। सबके नाम मैं नहीं जानता।

श्री अध्यक्ष---

उसी समय २-४-१९६५ को १०० आदमियों का डेलीगेशन लेकर वह राज्यपाल महोदय से मिले थे, क्या आप यह बात जानते हैं?

श्री इब्राहीम परवेज---

मैं उस वक्त भूख हड़ताल पर था। इसलिए मुझे इसका कोई इल्म नहीं है।

श्री अध्यक्ष---

श्री परवेज का कथन है कि जो पर्चे उन्होंने कल विधान सभा में फेंके उनको जर्दू मुहाफिज दस्ता के केन्द्रीय कार्यालय बनारसीबाग, लखनऊ, से उन्होंने प्राप्त किया था।

श्री इब्राहीम परवेज---

मैंने कहा था कि वह पर्चे मुझे ऐक्शन कमेटी के जरिए प्राप्त हुए थे।

श्री अध्यक्ष---

आपका मतलब यही तो है कि जर्दू मुहाफिज दस्ते का जो सेन्ट्रल कार्यालय है, उसकी ऐक्शन कमेटी से पर्चे आपको मिले थे?

श्री इब्राहीम परवेज---

इस सिलसिले में इतना कहूंगा कि पीले कागज मुझे असेम्बली के बाहर के गेट पर मिले थे।

श्री अध्यक्ष---

विधान सभा का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंनें यह पर्चे विधान सभा में फेंके थे। मौलाना राहत मौलाई से वह भली भांति परिचित हैं। उनका यह भी कहना है कि यह पर्चे उनको कल ही दिए गए थे चूंकि संघर्ष समिति या ऐक्शन कमेटी का आदेश था कि उन पर्चों को विधान सभा के सदस्यों को बांटा जाय।

श्री परवेज आप यह जानते हैं कि जो फेल आपने किया वह इस सदन का अवमान है, यानी बेइज्जती है? आपने यहां की कार्यवाही में बदतअन्दाजी की, क्या इस बात को महसूस करते हैं?

श्री इब्राहीम परवेज---

यह सही है कि मैंने ऐवान के सभी पार्टियों के मेम्बर और चीफ मिनिस्टर साहब का ध्यान उर्दू जबान की तरफ दिलाने की कोशिश की थी। मुझे यह नहीं मालूम था कि इसमें ऐवान की कार्यवाही में विघ्न पड़ता है।

श्री अध्यक्ष--

कोई बात नहीं। अब हम आपको बतलाते हैं कि कानून की दृष्टि से आप ने सदन का अवमान किया। क्या आप माफी मांगने के लिए तैयार हैं?

श्री इब्राहीम परवेज---

जो सजा आप देंगे उसको मैं मंजूर करूंगा। मैं माफी तो नहीं मांगूंगा।

श्री अध्यक्ष--

यह जानते हुए कि आपने गलती की है, आप माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हैं, क्या मैं यह समझूं?

श्री इब्राहीम परवेज---

जिस वक्त मैंने पर्चे फेंके थे उस वक्त यह मेरे इल्म में नहीं था कि यह ऐवान की बेइज्जती है। गलती का खमियाजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूं और आपकी दी हुई सजा भुगत लूंगा।

श्री अध्यक्ष---

तो फिर आप यह जानते हैं कि जो पास आपको मिला है उसमें यह शर्त है कि किसी किस्म का प्रदर्शन कोई शख्स जो यहां से सदन की कार्यवाही देखता है, नहीं कर सकता और अगर वह करता है जो उसे नहीं करना चाहिए, तो वह जो पास उसे मिला हुआ है उसकी शर्तों का उल्लंघन करता है। आप यह तो जानते होंगे जो आदमी सदन के अन्दर घुसता है वह यहां के जो नियम हैं उसका पाबन्द है, और पाबन्दी का मतलब यही है कि अगर वह उन नियमों का उल्लंघन करे तो सजायाब हो सकता है। यह आपको मालूम है? आपको इस बात का एहसास है कि आप ने नियमों का पालन नहीं किया?

श्री इब्राहीम परवेज---

मैंने आपके सामने यह बयान तो दे दिया है ही कि मुझे इस बात का इल्म नहीं था। लेकिन इससे ऐवान की तौहीन हुई है तो मैं उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष---

तो आप इस बात को मानते हैं कि आपने इन पर्चों को फेंका? आप यह भी मानते हैं कि जो नियम थे आपने उनके खिलाफ काम किया। अब आप कहते हैं कि आपसे जो गलती हुई उसके लिए जो सजा मैं दूं, उसको आप भुगतने के लिए तैयार हैं।

(मार्शल से)

इनको बाहर ले जाओ और सदन को अब अधिकार है कि वह जैसा उचित समझे इस सम्बन्ध में प्रस्ताव रखें।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह सिद्ध हो चुका है कि जिस पास के आधार पर यह यहां आए वह असेम्बली यानी इस सदन के एक सदस्य द्वारा दिलवाया गया था। सदन के सदस्यों के लिए यह नियम है कि यदि वह किसी को पास देने की सिफारिश करते हैं तो यह देख

[कुंवर श्रीपालसिंह]

लें कि वह भला आदमी है। नियमों में साफ लिखा है कि सदन में उनको किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। अगर किसी ऐसे आदमी को पास देने की कोई सदस्य सिफारिश करता है तो वह नियम को भंग करता है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि पास किसने दिलवाया। आप देखेंगे कि यह भी नियम है जिस व्यक्ति को प्रवेश पत्र दिया गया उस व्यक्ति का भी यह कर्तव्य है कि उसका व्यवहार उचित होगा। यदि वह कोई अनुचित व्यवहार करता है तो उसके लिए प्रत्यक्ष रूप से जिसको पास दिया गया है वही जिम्मेदार होगा। यह एक दुर्भाग्य का विषय है कि इसी सदन के एक सदस्य ने इनको पास दिलवाया और यदि हम यह कहें कि अप्रत्यक्ष रूप से श्री परवेज क व्यवहार के लिय हमारा सदन स्वयं उत्तरदायी है.....

श्री अध्यक्ष---

पहले तो मैं समझता हूं कि हम इस प्रश्न को समाप्त कर दें कि जो पर्चे फेंक कर इन्होंने सदन का अवमान किया है उसको इनको क्या सजा दी जाय। इसके बाद हम इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि इनको पास दिलवाने की जिम्मेदारी जिस सदस्य की थी उनको क्या सजा दी जाय।

सहकारिता मन्त्री (श्री बनारसीदास)---

मैं समझता हूं कि सदन का अवमान करने के दंड स्वरूप १५ दिन के लिये कारावास की सजा देना काफी होगा।

कुंवर श्रीपालसिंह---

मैं संशोधन पेश करता हूं कि १५ दिन की अवधि को बढ़ा कर ६ महीने कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

उस शख्स ने आपके सामने यह स्वीकार किया कि वह यहां के नियमों से परिचित नहीं था और उससे गलती हुई। इस गलती के लिये वह कहता है कि जो कुछ भी सजा उसे दी जाय उसके लिये वह तैयार है। दूसरी बात यह है कि उसने गलती की इसमें तो कोई शक नहीं। जब वह इस बात को नहीं छुपाता तो मैं समझता हूं कि उसने जो गलतों की उसकी मात्रा कुछ कम कर दी जाय। क्योंकि जब कोई आदमी कोई गलती करता है और यह मानन से इनकार करता है कि उसने गलती की तब तो उसका दोष और भी बढ़ जाता है। इस हिसाब से मैं स्वयं सोच रहा था, कि उसे केवल एक सप्ताह की सजा दी जाय। बात सिर्फ यहा है कि वह उसका नाम नहीं बतलाता जिसने उसे पर्चे दिये थे। सदस्यों को यह मालूम होगा कि वह इस एक बात को छिपा रहा है। मेरी राय में है कि सब बातों को देखते हुये १० दिन की सख्त सजा काफी होगी। हमारी शोभा इसमें नहीं है कि हम इस बात को व्यक्त करें कि हम बहुत कठोर सजा देना चाहते ह और जिसने अपराध किया है उससे बदला लेना चाहते हैं। अब अगर माननीय बनारसीदास जी मान लें तो १० दिन की ही सजा दी जाय।

कुंवर श्रीपालसिंह---

श्रीमन, जी या मेरी राय तो यह है कि यदि आप कड़ी सजा दें या आप अपराधी को बिलकुल छोड़ दें असल म एक षड़यंत्र है और उसम एक पूरा दल सम्मिलित है। जानबूझ कर यह षणयन्त्र रचा गया है। यदि हमने सख्त कार्यवाही नहीं की तो इस प्रकार की बात भविष्य म भी की जायेंगी। इसलिये यदि इसमें कड़ी सजा नहीं दी जाती तो यह दूसरों के लिये मिसाल नहीं होगी और गलत काम करने से आप किसी को रोक नहीं सकेंगे। आप सजा को कम करने का प्रयास न करें। मैं तो श्री बनारसी दास जी स यह निवेदन करूंगा कि सजा को और कठोर हो जाने दें।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—

दो बातें स्पष्ट हुईं। एक तो यह कि उन्होंने इश्तहार फेंके। उन्होंने कहा कि उस समय यह बात वह नहीं जानते थे। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने उस हाउस के काम म दखल-अन्दाजी की है। आप न २-३ बार उनको मौका दिया कि वह माफी मांग लें। दूसरी तरफ उन्होंने बराबर इस बात पर जिद की कि अगर उनके जरिये सदन की तौहीनी हुई है तो वह इसके लिये तैयार है।

उनको उचित सजा दी जाय और इसके लिये वह तैयार हैं। इसलिये मेरी राय तो यह है कि या तो आप इतने उदार बन जायें कि उनको कोई सजा ही न दें। इसमें भी आप की डिगनिटी है। उनको केवल वार्निंग दे दी जाय। श्री बनारसी दास जी ने जो सजा प्रस्तावित की है, वह बहुत कम है। आप तो उस को भी १० दिन करना चाहते हैं। इसलिए मेरी राय तो यह है कि जो प्रस्ताव श्री बनारसी दास जी ने पेश किया है उसी को मंजूर कर लिया जाय।

श्री भगवान दास यादवेन्द्र—

उसको मालूम नहीं था कि पर्चे फेंकना सदन का अपमान है। उसका उद्देश्य तो उर्दू को तरक्की देने का था। भारत के संविधान में उर्दू भी एक भाषा है उसका इन्टेंनशन जानबूझ कर हाउस का अपमान करने का नहीं था। मैं समझता हूं कि उसे माफ कर देना चाहिये। लेकिन उसने माफी नहीं मांगी। यहीं एक बात इसमें है। मैं चाहूंगा कि सजा अधिक से अधिक १ सप्ताह की होनी चाहिये।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

मैं तो यह राय दूंगा कि आप सब लोगों की राय लें लीजिये।

श्री रामसुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

यह जो व्यक्ति है उसने यह सब काम जानबूझ कर किया। उसके माहौल से और उसके ऐक्शन से यह मालूम होता है। अगर हमने उसको कड़ी सजा नहीं थी तो रोज इसी तरह से पर्चा बाजी होगी। आप तो जानते होंगे कि इस प्रदेश में उर्दू का यह षड़यंत्र बड़े जोर से चल रहा है। यह वास्तव में दूसरा पाकिस्तान बनाने का साजिश है। इस मामले म कड़ी से कड़ी सजा देकर इस साजिश को दबाने की कोशिश की जाय।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

श्रीमान जी, आप के सदन में यह परिपाटी है कि हम उदारता का व्यवहार करेंगे और जहां तक हमें याद है, हम हमेशा उदारता का परिचय देते रहे हैं। अगर कोई अनजाने में गलती करता है तो सदन सदा उसको क्षमा करता रहा है। उत्तर प्रदेश में इस सदन की गरिमा और महिमा यही रही है। जिस व्यक्ति ने उर्दू के संबंध म पर्चा डाला जब वह हाउस के सामने कहता है कि मैंने यह गलती जानबूझ कर नहीं की, मैं नहीं जानता था कि मुझको सजा मिलेगी, इसलिए मेरी गलती माफ की जाय। यदि अनजाने में गलती होती है तो सदन की गरिमा इसी बात में है कि वह उस गलती को क्षमा कर दें। अगर किसी ने जानबूझ कर गलती नही की तो वह कोई बड़ा अपराध नही माना जाता है। वार्निंग देकर या भर्त्सना करके आप उस व्यक्ति को छोड़ दें।

श्री अध्यक्ष—

इस पर ज्यादा लम्बी चौड़ी बहस न होती तो अच्छा था। सीधी बात यह है कि एक आदमी न गलती की लेकिन वह कहता है कि यह गलती मैंने जानबूझ कर नही की। कानूनी

बात तो यह है कि चाहें आप जानते हों या न जानते हों अगर आप जुर्म करते हैं तो आप सजा के भागी हैं। निश्चित बात है। अफसोस इस बात पर है कि उस शख्स ने तीन तीन मर्तबा मौका पर भी माफी नहीं मांगी, उल्टे उसने यहां कहा कि मैं सजा पाने के लिये तैयार हूं। जिस आदमी ने उसे अन्दर आने में सहायता दी, उसका नाम वह छिपा रहा है। यहां दो बातें ऐसी हैं जिनकी बिना पर उसे सजा देने का प्रस्ताव रखा गया है। मैं समझता हूं कि सजा देने का प्रस्ताव अनिवार्य है। मैंने उसे मौका दिया लेकिन उसने उससे फायदा नहीं उठाया बल्कि उसने साफ शब्दों में कहा कि वह सजा भुगतने के लिये तैयार है।

अब प्रश्न यह है कि इब्राहीम परवेज को जो उसने सदन का अपमान किया है, उसके प्रायश्चित्त स्वरूप वह सजा भुगतने के लिये तैयार है, वह सजा मांगता है इसके अलावा जिस आदमी से उसे पर्चे मिले उसका नाम बताने से भी वह इनकार करता है। इसलिये मैं समझता हूं कि उसे १५ दिन का कठोर दंड दिया जाय।

प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ कि इब्राहीम परवेज को १५ दिन के लिये कठोर कारावास का दंड दिया जाय। मैं आदेश देता हूं कि वह लखनऊ जिला जेल में इस अवधि तक रहें।

कुंवर श्रीपालसिंह—

डा० फरीदी ने इसी विषय को लेकर एक हंगामा खड़ा कर दिया था। उसके बाद उर्दू मुहाफिज दस्ते की ऐक्शन कमेटी बनी। उस ऐक्शन कमेटी के सदस्य राहत मौलाई साहब भी हैं। इसका भी प्रमाण मिल चुका है। मैं यह चाहता हूं कि मौलाना राहत मोलाई के विरुद्ध जो कार्यवाही हमारे नियमों के अन्तर्गत है, वह होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

इस सम्बन्ध में आपसे निवेदन करूंगा कि आप लिख कर इसकी सूचना दे दें तो मैं देखूंगा कि उस पर क्या कार्यवाही हो सकती है।

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ:
१९ जुलाई, १९६६।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९५ पर)

ग्रामवार राज्य नलकूपों की सूची जो जिला आगरा में जनवरी, १९६२ से अगस्त, १९६५ तक बनाये गये।

अनु-क्रमांक	जिले का नाम	ग्रुप का नाम	नलकूप संख्या	गांव का नाम	विवरण
१	२	३	४	५	६
१	आगरा ..	वाह ..	८४	वरैदा ..	चालू नलकूप
२	"	"	८५	रेनका ..	"
३	"	"	९८	सुजनपुरा ..	"
४	"	"	९१	पिनहट ..	"
५	"	"	९९	गढ़वर ..	बोर कूप
६	"	"	१००	डेरक ..	"
७	"	"	१०१	नहटोली ..	"
८	"	"	१०२	कमलपुर ..	"
९	"	"	१०४	परना ..	"
१०	"	"	१०३	परना ..	"
११	"	"	१०५	करनपुरा ..	"
१२	"	"	१०६	करनपुरी ..	"
१३	"	"	१०७	किनपुरा ..	"
१४	"	"	११३	सिधौउली ..	"
१५	"	"	९२	पिनहट ..	"
१६	"	एतमादपुर ..	१	धीरपुरा ..	चालू नलकूप
१७	"	"	२	सिरौलिया ..	"
१८	"	"	३	अनवारा ..	बोर कूप
१९	"	"	४	रसूलाबाद ..	"
२०	"	"	५	सितौली ..	"
२१	आगरा ..	एतमादपुर ..	६	चौगांव ..	बोर कूप
२२	"	फतेहाबाद ..	१	बरौली ..	"
२३	"	फिरोजाबाद ..	१	बजीरपुर-जिहालपुरा ..	चालू नलकूप
२४	"	"	२	अकलाबाद-हसेनपुर ..	"
२५	"	"	७	रसीदपुर कनेटी	"
२६	"	"	६	नेपई ..	"
२७	"	"	८	नेपई ..	"
२८	"	"	९	जाठऊ ..	"
२९	"	"	१०	जाठऊ ..	"
३०	"	"	१८	सरगवां ..	"

सत्यमेव जयते विधान सभा

१	२	३	४	५	६
३१	आगरा	फिरोजाबाद	१९	सरगवां	चालू नलकूप
३२	,,	,,	२०	खरसोली ..	,,
३३	,,	,,	२३	इटलऊ ..	,,
३४	,,	,,	२४	जरौली खुर्द ..	,,
३५	,,	,,	२५	आलमपुर जर्खी	,,
३६	,,	,,	२६	रुपासपुर ..	,,
३७	,,	,,	२७	पिलुआ ..	,,
३८	,,	,,	२८	जलालपुर ..	,,
३९	,,	,,	३०	फुलैंची ..	,,
४०	,,	,,	३१	इटौरा ..	,,
४१	,,	,,	३२	बवाईपुर भाकिनपुरा	,,
४२	,,	,,	३३	सिलरा हरबालपुर	,,
४३	,,	,,	३५	मठसेना ..	,,
४४	,,	,,	३६	अन्डनी ..	,,
४५	,,	,,	३७	हमीरपुर ..	,,
४६	,,	,,	२२	सलेमपुर ..	,,
				आनन्दीपुर	
४७	,,	,,	११	बरागांव ..	बोर कूप
४८	,,	,,	१३	नर्खी धौकल ..	,,
४९	,,	,,	१४	बरतारा ..	,,
५०	,,	,,	१५	शेरपुर भूरा ..	,,
५१	,,	,,	१६	,,	,,
५२	,,	,,	३८	आसफाबाद ..	,,
५३	,,	,,	४०	शाहपुर ..	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये तां० प्र० सं० ४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ १०३ पर)

सुखेना ताल (लाही नाला)

इस झील से एक ड्रेन बनाने का निश्चय किया गया है तथा इस पर पुलों के निर्माण में लगभग १५,००० रु० व्यय होने का अनुमान है। कार्य आरम्भ हो गया है।

लिल्होरा झील

इस झील से ड्रेन बनाने की योजना नहीं है। अतः धन के व्यय तथा कार्य आरम्भ होने का प्रश्न नहीं उठता।

रामनगर खम्मन खेरा ताल

रामनगर खम्मन खेरा ड्रेन का सर्वे कार्य अभी चल रहा है।

सुरेखा और कुम्भी झील (फिरोजाबाद नाला)

फिरोजाबाद ड्रेन के बढ़ाने की योजना थी। कुछ काम को छोड़ कर शेष कार्य पूरा हो चुका है। इसमें लगभग १२,५०० रु० व्यय होने का अनुमान है। इस पर पुल बनाने की आवश्यकता नहीं है।

सराय पांडे (मगितपुर झील)

इस झील से ड्रेन बनाने की कोई योजना नहीं है। अतः धन के व्यय तथा कार्य आरम्भ होने का प्रश्न नहीं उठता।

पी० एस० पू० पी०—ए०पी० १२६ एल० ए०—१९६६—८४६।

उत्तर प्रदेश विधान सभा